द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २२

१२ मार्च, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

382 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १२ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टैक्निकल शिक्षा

+

†*८८३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय योजना काल में टैक्निकल शिक्षा के विस्तार के लिये आवंटित की गई राशि में लगभग १० करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है और यह राशि शिक्षा के लिये किये गये सामान्य आवंटन में से निकाली गई है; और

(ख) यदि हां, तो टैक्निकल शिक्षा की उन योजनाओं का ब्योरा क्या है जिन पर यह अतिरिक्त राशि खर्च की जाने वाली है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) और (ख). शिक्षा के लिये किये गये सामान्य आवंटन में पुन: समायोजन करके ९·७४५ करोड़ रुपये की एक राशि की व्यवस्था की गई है जो कुछ चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों और पालिटैक्निकों की विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने पर खर्च की जायेगी । इस में से ७·२४५ करोड़ रुपये की राशि सामान्य शिक्षा योजनाओं में से और शेष टैक्निकल शिक्षा के लिये योजना में किये गये वर्तमान आवंटन में से ली गई है ।

इस योजना का उद्देश्य टैक्निकल शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम में २४६० स्थान और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ४३७० स्थान बढ़ाना है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : टैक्निकल शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करन से सामान्य शिक्षा की किन-किन मदों को हानि पहुंची है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० मो० दास** : लगभग १५ मदें हैं। उनमें से तीन चार जो प्रमुख हैं मैं उनका उल्लेख करूंगा। प्रारम्भिक शिक्षा में से ११० लाख रुपये, युवक कल्याण गतिविधियों के आवंटन में से १२५ लाख रुपये, हिन्दी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं की उन्नति के आवंटन में से ११२ लाख रुपये, संग्रहालय, पुरातत्व सम्बन्धी गतिविधियों, अभिलेखागारों आदि से १२२ लाख रुपये, सांस्कृतिक गतिविधियों में से ९७ लाख रुपये की बचत की गई। अन्य कई मदों में भी बचत की गई।

†**श्री स० चं० सामन्त** : देश में वास्तव में कितने इंजीनियरों की कमी थी और इस विस्तार कार्यक्रम से वह किस हद तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री म० मो० दास** : योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने पता लगाया कि वस्तुतः डिग्री पाठ्यक्रम में २,७९४ स्थानों की और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ८,२८१ स्थानों की कमी थी। इस विस्तार कार्यक्रम से डिग्री पाठ्यक्रम में २४५८ स्थान और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ४,३७० स्थान बढ़ जायेंगे। विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर भी डिग्री पाठ्यक्रम में ३३६ स्थानों और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ३,८५१ स्थानों की कमी रह जायेगी।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में वारंगल स्थान पर एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय किया है ?

†**श्री म० मो० दास** : राज्यों की द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में आठ इंजीनियरिंग कालेज खोलने की प्रस्थापना थी जिन में से ६ खोल दिये गये हैं। आंध्र में वाल्टेयर स्थान पर एक कालेज खोला जा चुका है परन्तु वारंगल के बारे में मुझे मालूम नहीं।

†**श्री रंगा** : माननीय सदस्य ने वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की प्रस्थापना के बारे में प्रश्न पूछा है परन्तु माननीय उप मंत्री वाल्टेयर के बारे में कह रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय का इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें वाल्तेयर में खोले गये कालेज के बारे में पता है परन्तु वारंगल के बारे में वे नहीं जानते।

†**श्री रंगा** : दूसरी बात उन्होंने नहीं कही।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा था; माननीय सदस्य ने नहीं सुना होगा।

†**श्री रंगा** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें यह कहते सुना है। माननीय सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिये।

†**श्री वामानी** : टैक्निकल स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जायें इस बारे में सामान्य नीति क्या है और क्या इस बात की ओर भी ध्यान दिया जायेगा कि राजस्थान जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी टैक्निकल स्कूल खोले जायें ?

†**श्री म० मो० दास** : हमें राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं से प्रस्थापनायें प्राप्त होती हैं। राज्य सरकारें जो प्रस्थापनायें भेजती हैं उस सम्बन्ध में स्थान का निर्णय राज्य सरकार को ही करना होता है और जिन कालेजों को खोलने में केन्द्रीय सरकार कोई सहायता देती है उसके लिये गैर-सरकारी संस्थायें राज्य सरकार से राय ले लेती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दामानी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : एक सदस्य केवल एक ही प्रश्न पूछें। श्री हेडा।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कालेज के लिये अनुदान देना स्वीकार किया है और उस कालेज के लिये मुख्य मंत्री ने वारंगल का सुझाव दिया है ?

†**श्री म० मो० दास** : इस समय मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं सभा को बता चुका हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो एक कालेज खोला जाना था वह वाल्टेयर में खुल चुका है। मुझे वारंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य एक कालेज का वचन दे दें जबकि आंध्र प्रदेश में कई कालेज खुलने की गुंजाइश है। जब माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है तो अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहियें क्योंकि वह इनकार कर सकते हैं।

दिल्ली में बेघरों के लिये मकान

\+

†*८८४. { **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बेघर लोगों के लिये कहां-कहां मकान बनाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अभी मकान बनाने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिले हैं। सरकार दिल्ली प्रशासन से स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या दिल्ली में बेघर लोगों का पूर्ण सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री दातार** : कुछ केन्द्रीय समाज कार्यकर्ताओं ने एक सर्वेक्षण किया है और १९५४ में उनकी संख्या लगभग ६००० थी।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इन मकानों पर आने वाली लागत में निगम का कितना अंशदान होगा ?

†**श्री दातार** : दिल्ली नगर निगम को अभी इस प्रश्न पर विचार करना है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : ये मकान बनाने के लिये सरकार को कब तक कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा ?

†**श्री दातार** : यथासम्भव शीघ्र।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या क्या है और यदि हां, तो सरकार इन बेघर लोगों को यथासम्भव शीघ्र बसाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का उत्तर मैं ने अभी-अभी दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं बेघर लोगों की संख्या और यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या प्रयत्न करने वाली है ।

†**श्री दातार** : मैं ने अभी-अभी बताया था कि कुछ समाज कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि १९५४ में इन बेघर लोगों की संख्या ६००० थी । अब यह लगभग १०,००० होगी ।

तेल और प्राकृतिक गैस नियम

†*८८५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस सम्बन्धी परिरक्षण तथा विकास नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं । इस विषय में उपयुक्त नियम बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार बता सकती है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकारी क्षेत्र में गैस का उत्पादन कर रहे तथा भविष्य में करने वाले कारखानों में किस हद तक समन्वय हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों द्वारा समन्वय

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : नियम तो परिरक्षण और विकास के लिये हैं । मेरा प्रश्न यह था कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और सरकारी क्षेत्र में गैस का उत्पादन कर रहे अथवा निकट भविष्य में उत्पादन करने वाले कारखानों में किस हद तक समन्वय हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे सरकारी क्षेत्र में किसी ऐसे कारखाने के बारे में मालूम नहीं जो गैस का उत्पादन करता हो और जो इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन हो । जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है इसकी गतिविधियों का समन्वय तो तभी होगा जब प्राकृतिक गैस का उत्पादन होने लगेगा । तरल तेल के साथ अथवा अलग तैयार होने वाली गैस के परिरक्षण के लिये हम पहले ही नियम बना रहे हैं । उसके तैयार होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में यह व्यवस्था की गई है गैस उपोत्पाद के तौर पर तैयार की जाये और उपोत्पाद के तौर पर ही इसका प्रयोग किया जाये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वह कृत्रिम गैस होती है न कि प्राकृतिक गैस । वह उपोत्पाद होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तुंग गवेषणा केन्द्र

+

*८८६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तुंग गवेषणा केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी संगोष्ठी की कार्यवाही पर इस बीच विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वायुमंडलीय गवेषणा समिति ने संगोष्ठी में किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए दो स्टेशनों की स्थापना के लिये सिफारिश की है—प्रथम स्टेशन हिमालय के केन्द्रीय भाग में तथा दूसरा इस पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिमी भाग में जिस से कि इन स्थानों पर उत्तुंग प्राणि विद्या, जीव भौतिकी, ब्रह्मांड रश्मियां, हिमानी विद्या तथा अंतरिक्ष विद्या आदि विषयों पर खोज की जा सके ।

[**इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया**]

श्री भक्त दर्शन : उत्तर में बताया गया है कि दो नये केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन कौन से स्थान हैं जिन के बीच में से अन्त में निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री म० मो० दास :** कुछ वर्ष पहले अनुसंधान किया गया था और हिमालय में मध्य भाग का दौरा करने के लिये कई दल भेजे गये थे परन्तु स्थानों के चुनाव के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह प्रश्न कई वर्षों से विचाराधीन है और जो सिम्पोजियम गुलमर्ग में हुआ था, वह सन् १९५५ में हुआ था, १९५७ में उस की रिपोर्ट मिली और १९५८ में उस पर विचार किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जायेगी क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**श्री म० मो० दास :** जी हां; हम इसे जल्दी कराने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस संगोष्ठी में कोई और दूसरी सिफारिशें भी हैं ?

†**श्री म० मो० दास :** शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय गुलमर्ग में हुई गोष्ठियों से है । हमें प्रतिवेदन की प्रतियां मिली हैं और प्रतिवेदन पर परिषद् की वातावरण गवेषणा समिति की १७ जनवरी को हुई बैठक में विचार किया गया था । उस समिति ने सिफारिश की है कि दो केन्द्र स्थापित किये जायें—एक मध्य हिमालय में और दूसरा उत्तर-पश्चिम हिमालय में ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब विश्वविद्यालय

+
†*८८७. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय के विकास की प्रस्थापनाओं के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि विश्वविद्यालय की इमारत के लिये ३५ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी परन्तु अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है । इमारत के लिये अनुदान कब दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य किस मद के बारे में कह रहे हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण की मद ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन अनुदानों के बारे में ऐसा होता है कि दौरा करने वाली समितियां विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से विभिन्न मदों के बारे में विचारविमर्श करती हैं और जो मदें अविलम्बनीय समझी जाती हैं उन के लिये अनुदानों की स्वीकृति दी जाती है । कई अनुदान अगले वर्षों में और विभिन्न प्रावस्थाओं में दिये जाते हैं। अनुदानों का वितरण इसी प्रकार होता है।

इस मद विशेष के बारे में मुझे अलग पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत अनुदान स्वीकृत कर दिये हैं परन्तु इनमें से भुगतान बहुत कम हुआ है । मद २(१) के अन्तर्गत इमारत के लिये १२ लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है परन्तु अभी तक केवल ३ लाख रुपया दिया गया है । अनुदानों के भुगतान इतने धीरे-धीरे करने के क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि पहले बताया जा चुका है विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के बारे में आयोग द्वारा नियुक्त की गई दौरा करने वाली समितियों के सदस्य बातचीत करते हैं यह बातचीत उप-कुलपतियों, विभाग के अध्यक्षों और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों जैसे कि इंजीनियर, वास्तुशास्त्रियों के साथ ही की जाती है और उसके बाद किसी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है और तभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अपनी मांगें भेजते हैं। परन्तु वे एकदम तो सारा रुपया खर्च कर देते इसलिये जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उन्हें रुपया दे दिया जाता है। उदाहरणतः गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के विभागों के लिये विश्वविद्यालय ने ९५,७६,००० रुपये की मांग की थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ७५ लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रावस्था के लिये १५,१०,००० पये की स्वीकृति दी गई। अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु अभी तक भुगतान नहीं किया गया इसलिये उसका उल्लेख नहीं किया गया। योजनाओं के अनुमोदित हो जाने के बाद कुछ प्रावस्थाओं में अनुदानों का भुगतान किया जाता है।

जीवन बीमा निगम

+

†*८८८. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :
श्री अन्सार हरवानी :
श्री वाजपेयी :
श्री कालिका सिंह :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री राम कृष्ण :
श्री सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है मूंदड़ा वर्ग के समवायों ने जीवन बीमा निगम से कहा है कि वह अभ्यंशों को पुनः खरीद ले;

(ख) यदि हां, तो यह पेशकश किस प्रकार की है;

(ग) यह पेशकश किन समवायों से प्राप्त हुई है; और

(घ) इस पेशकश पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री मुरारका** : विवरण से पता चलता है कि दामोदर चौबे एण्ड कम्पनी की पेशकश उनके द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के कारण स्वीकार नहीं की गई थी। वे शर्तें क्या थीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रार्थना पत्र में ये शर्तें लिखी थीं कि निगम वे अंश उनके नाम कर दे और वे अंश अच्छे होने चाहियें। और कुछ शर्तें ऐसी थीं जो निगम को स्वीकार्य नहीं थीं।

†**श्री मुरारका** : इन शर्तों को स्वीकार करने में क्या कठिनाई थी कि अंश उस समवाय के नाम कर दिये जायें और अंशों के प्रमाण-पत्र ठीक होने चाहियें। क्या इसमें कोई सन्देह था कि अंश अच्छे हैं और क्या निगम वे अंश खरीददार के नाम नहीं कर सकता था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं तो यह नहीं कह सकता । परन्तु वास्तव में निगम ने इस मामले की जांच की थी । निगम को यह विश्वास नहीं था कि सभी अंश अच्छे हैं और स्पष्ट है कि इसी कारण वह इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सका ।

†**श्री दामानी** : क्या निगम ने सभी अंश अपने नाम पंजीबद्ध करा लिये हैं या कुछ बाकी हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री मुरारका** : अंश खरीदने की यह पेशकश श्री मूंदड़ा से कब प्राप्त हुई थी । यह क्रय कब तक किया जा सकता था और श्री मूंदड़ा से कब स्पष्टीकरण मांगा गया जो कि उन्होंने नहीं भेजा जैसा कि विवरण में बताया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : श्री मूंदड़ा ने २८ जनवरी के पत्र में यह पेशकश की थी और पत्र में लिखा था कि २ सप्ताह तक इन्हे खरीदा जा सकता है । बोर्ड ने इस पर विचार किया और श्री मूंदड़ा से बातचीत करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई । तब उन्होंने प्रश्नाधीन अंशों के बारे में कुछ और जानकारी मांगी थी । श्री मूंदड़ा ने कहा कि जब वह कलकत्ता जायेंगे तब यह जानकारी भेज देगें परन्तु उन्होंने वह जानकारी नहीं भेजी और न ही उन से फिर बातचीत हो सकी । इसलिये वह पेशकश खत्म हो गई ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या श्री मूंदड़ा ने ये अंश खरीदने से इनकार कर दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है । बात यह है कि उन्होंने एक पत्र लिखा और इस बात का प्रचार भी किया कि वह उन्हें खरीदने के लिये तैयार हैं । जब जीवन बीमा निगम के डायरेक्टरों ने इस मामले पर विचार किया तो उन्होंने कुछ और जानकारी और प्रत्याभूतियां मांगी परन्तु वे प्राप्त नहीं हुई । वह इसमें विलम्ब करते गये । उन्होंने उत्तर दिया कि वह बाद में यह जानकारी भेज देगें परन्तु उन्होंने नहीं भेजी । अतः हम यह धारणा बना सकते हैं कि वह इस पर स्थिर नहीं थे ।

†**श्री सूपकार** : श्री मूंदड़ा किन शर्तों पर ये अंश खरीदना चाहते थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास पत्र की प्रति है । क्या आप चाहते हैं कि मैं सारा पत्र पढ़ूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल सुसंगत भाग ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस में लिखा है :

> "मैं निम्नलिखित शर्तों पर, अपने द्वारा बेचे गये, अपनी समवायों के अंश वापस खरीदने का आवेदन करता हूं....."

शर्तों का मतलब है नक़द अदायगी कि इतने अंश इतनी धनराशि में, इत्यादि ।

> "यह प्रस्ताव उस तारीख से दो सप्ताह तक के लिये है । मेरे द्वारा संविदा के परिचालन की जमानत के तौर पर मैं पचास लाख रुपये की जमानत जमा कर दूंगा । जिन अंशों को आप से वापस खरीदने को मैं सहमत हूं वे समय समय पर जब मुझे आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

होगी मुझे या मेरे द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को अदायगी पर दिये जायेंगे । प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से दो महीनों के अन्दर सारा सौदा पूरा हो जायेगा । यदि यह सौदा स्वीकृत है तो इससे आपको क्रय-मूल्य से लगभग १० लाख रुपयें का लाभ होगा ।"

†**श्री कासलीवाल** : श्री मुरारका के प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा है कि दलालों द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को निगम ने नहीं माना । क्या दलालों के इस सार्थ ने इन अंशों के खरीदने के लिये कोई मूल्य बताया था; और यदि हां, तो यह प्रस्तावित मूल्य निगम द्वारा दिये गये मूल्य से अधिक था या कम ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे इस आशय की कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यह कहा गया है कि "दामोदर चौबे एंड कम्पनी" ने "जैसप एंड कम्पनी लिमिटेड" के १,९०,००० सामान्य अंश खरीदने का प्रस्ताव किया और जिन पक्षों की ओर से प्रस्ताव किया गया, उनके नाम ज्ञात नहीं हैं । क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि ये पक्ष विदेशी क्रेता नहीं हों और क्या सरकार इस सार्थ को अपने चक्र में लाने की स्थिति की जांच कर रही है क्योंकि सरकार स्वयं इस सार्थ को बड़ी मात्रा में व्यादेश देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ दलालों ने प्रस्ताव किया था । जीवन बीमा निगम ने इसको स्वीकार नहीं किया है । मुझे पता नहीं है कि सरकार इस के बारे में अब क्या पूछताछ करेगी । मैं आपको बताता हूं कि श्री मूंदड़ा ने एक विशेष धन राशि पर, जो कि उसको दी गयी धन राशि से कुछ अधिक थी, इन सब अंशों को इकट्ठा खरीदने का प्रस्ताव किया था, इन दलालों ने केवल जैसप्स के कुछ अंश खरीदने का प्रस्ताव किया और सारे नहीं । इन दोनों की तुलना करना सम्भवतः कठिन है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में केवल दो प्रस्ताव हैं : एक दामोदर चौबे एंड कम्पनी का और दूसरा श्री हरिदास मूंदड़ा का । क्या मैं जान सकता हूं कि "रिचर्डसन और क्रूडास" अंश या "जैसप्स" अंश या मूंदड़ा ग्रुप के कोई और अंश खरीदने के कोई और भी प्रस्ताव हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक हमें पता है, कोई और नहीं हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मेसर्स "दामोदर चौबे एंड कम्पनी" ने "रिचर्डसन और क्रूडास" के अंश खरीदने का भी प्रस्ताव किया है । उनके दो प्रस्ताव हैं, एक तो "रिचर्डसन और क्रूडास" के १,७०,००० अंश खरीदने के लिये और दूसरा "जैसप्स" के १,९०,००० अंश खरीदने का ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां । मुझे खुशी है कि मेरे साथी ने इस पर मेरा ध्यान दिलाया है । मेसर्स "दामोदर चौबे एंड कम्पनी" ने दो अलग अलग पत्र लिखे हैं : एक "जैसप्स" के सम्बन्ध में और दूसरा "रिचर्डसन और क्रूडास" के सम्बन्ध में ।

†**श्री तंगामणि** : इसके अतिरिक्त क्या अन्य कोई और प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे प्रस्ताव विवरण में दिये हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें पता नहीं है। मैं हां या ना नहीं कह सकता क्योंकि वास्तव में मुझे पता नहीं है। यह जीवन बीमा निगम पर है और इसको प्रस्ताव मिले भी हों या नहीं।

†**श्री मुरारका** : यह बात देखते हुए कि आज के बाजार भाव की निस्बत श्री मूंदड़ा का प्रस्ताव ५० लाख रुपये का है.....

†**कुछ माननीय सदस्य** : दस लाख रुपये का।

†**श्री मुरारका** : जी नहीं बाजार भाव की तुलना करते हुए यह ५० लाख रुपये है। **क्या** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जीवन बीमा निगम को इस प्रस्ताव का अनुसरण करने और यह देखने के लिये कि क्या श्री मूंदड़ा अब भी वही मूल्य देने को तैयार है, कोई राय देगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। विभिन्न कारणों से जिनमें मुख्य यह है कि जैसा मुझे जीवन बीमा निगम से पता लगा है, उन्हें यह आशा नहीं है कि श्री मूंदड़ा इस प्रस्ताव को पूरा करेंगे।

युद्ध-सामग्री कारखाना, मुरादनगर

†***८८९. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-सामग्री कारखाना, मुरादाबाद में सैनिक सामान के अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई बोर्ड नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). जी हां।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कितने मूल्य का सामान अस्वीकृत किया गया और उस को किस प्रकार बेचा गया ?

†**श्री रघुरामैया** : इस प्रकार के सामान के निर्माण में कुछ सामान तो साधारणतः नामंजूर किया ही जाता है। परन्तु इस विशेष मामले में असामान्य रूप से सामान नामंजूर किया गया था। अतः एक बोर्ड नियुक्त किया गया है जिसने इसकी जांच की है और मुझे कहा गया है कि अग्रेतर ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है क्योंकि यह विशेष सैनिक सामान से सम्बन्धित है। कार्यवाही की जा रही है यह देखने के लिये कि कौन जिम्मेदार है, एक जांच न्यायालय की भी नियुक्ति कर दी गयी है और विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : काम में न आने वाले सामान का कुल मूल्य भी ? वे ब्यौरा नहीं चाहते हैं।

†**श्री रघुरामैया** : मुझे वास्तविक मूल्य का पता नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं नामावलि नहीं चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय का कहना है कि उनके पास यह जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड

+

†*८९२. { **श्री जाधव :**
श्री वाजपेयी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, के कर्मचारियों ने दिसम्बर, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक हड़ताल कर दी थी ;

(ख) हड़ताल की कालावधि में कितने जन-घंटों की हानि हुयी ; **और**

(ग) उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) प्रेस में दो कर्मचारी संघों में से एक ने १४ दिसम्बर, १९५७ से १४ जनवरी, १९५८ तक आंशिक हड़ताल की ।

(ख) जहां तक हड़ताल में सम्मिलित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ८,०७,७४७ जन-घंटों की हानि हुई ।

(ग) हड़ताल के समाप्त हो जाने पर केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से ब्यौरेवार विचार किया । इन विचारों को देखते हुये कुछ विषयों पर आदेश जारी किये जा रहे हैं और बाकी की जांच हो रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उनकी क्या विशिष्ट मांगें थीं और सरकार ने उनको कहां तक माना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कर्मचारियों की मांगों के बारे में हमने एक विवरण बनाया है ।

†**श्री जाधव** : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तिम निश्चय कब किया जाने वाला है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरा विचार है कि हम शीघ्र ही निश्चय कर लेंगे । उनको श्रम और वित्त मंत्रालयों में जांच हो रही है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को पता है कि हड़ताल की कालावधि में कुछ गैर-टैक्निकल कर्मचारियों से मशीनें चलाने के लिये कहा गया और फलस्वरूप मशीनों को नुक्सान पहुंचा, यदि हां तो कितनी धनराशि की हानि हुई ?

†**श्री ब० रा० भगत**: जहां तक हमें पता है, कोई नुकसान नहीं हुआ है और मेरे विचार में यह बात सच नहीं है कि गैर-प्रविधिक व्यक्तियों से मशीनें चलाने को कहा गया क्योंकि प्रति-दिन उपस्थिति ४४० से ८०० के बीच थी । टैक्निकल कर्मचारी उपलब्ध थे और प्रेस में आंशिक रूप से कार्य हो रहा था ।

†**श्री नाथ पाई** : मंत्री महोदय ने कहा कि वहां दो संघ थे और हड़ताल दो में से एक ने की । क्या वह यह बतायेंगे कि कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया और क्या ४४ घंटे काम करने की मांग स्वीकार कर ली गयी है ; यदि नहीं, तो उस मांग का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत: जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हड़ताल आंशिक थी। कर्मचारी एक बड़ी संख्या में हड़ताल पर थे। लेकिन यह सच है कि सब दिनों में उपस्थिति ४०० से ८०० के बीच थी।

†**श्री नाथ पाई** : कितनों में से ?

†**श्री ब० रा० भगत**: मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री नाथ पाई** : जी, मैं जानता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब माननीय सदस्य को प्रश्न नहीं पूछना चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत** : औसतन उपस्थिति ३,३४७ है और इस कालावधि में उपस्थिति ५८२ और ९०० के बीच थी। जहां तक काम के घंटों का सम्बन्ध है, इस की भी जांच हो रही है। जिन मांगों की जांच हो रही है उनमें यह एक मुख्य मांग है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न पूछा, उन्होंने एक प्रकार का आश्वासन सा दिया कि काम के घंटों में इस कमी के कारण उत्पादन में कमी नहीं होगी। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम बहुत शीघ्र ही निश्चय कर लेंगे।

†**श्री नाथ पाई** : कृपया मुझे एक मिनट दीजिये :

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन माननीय सदस्य को खड़े हो कर बोलना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : मेरे द्वारा दिये गये एक आश्वासन की ओर निर्देश किया गया है और इससे कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। हड़ताल में बातचीत के दौरान में मैं ने कहा था कि यदि काम के घंटे कम कर दिये जायें, फिर भी उत्पादन स्तर वही रहना चाहिये। हमारा मतलब यह था कि यदि ४४ घंटे काम करने के बाद, उत्पादन कम हो जाता है तो कर्मचारी अतिरिक्त घंटों में काम करने को तैयार हैं, जिसके लिये सरकार को उनको अतिरिक्त मजूरी देनी पड़ेगी। यह उस पत्र में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है जो हमने श्रम मंत्री को लिखा है और उस बात पर हम अब भी कायम हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं ? निस्सन्देह, मैं उनके वक्तव्य का निषेध नहीं करता हूं। परन्तु ऐसे आश्वासन का कोई तात्पर्य ही नहीं है। ऐसी बात को आश्वासन नहीं कहा जा सकता। यह तो हमेशा हो सकता है। मेरा ख्याल था कि आश्वासन कोई और था, हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो। जो कुछ श्री नाथ पाई ने कहा है वह तो एक स्पष्ट बात है। इस से तो कोई अन्तर ही नहीं पड़ता। यदि अधिक काम किया जाये और उसके लिये अतिरिक्त मजूरी दी जाये तो फिर इसमें आश्वासन कैसे कहा जा सकता है ?

खनिज निक्षेप

†*८९३. **श्री अब्दुल लतीफ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजनौर के पास उप-पहाड़ी प्रदेशों में कोयला और अन्य मूल्यवान खनिजों के बहुत निक्षेप हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन खनिजों को बड़ी मात्रा में निकालने की सम्भावना का परिगणन करने के लिये क्या सरकार ने इस प्रदेश का भू-तत्वीय सर्वेक्षण कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). क्योंकि इस क्षेत्र में किसी लाभदायक खनिज का पता नहीं चला है, अत: निकट भविष्य में भारत भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग का इस प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का कोई विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अब्दुल लतीफ़ ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या वहां पर भूतत्वीय सर्वेक्षण के किसी दल को यह पता लगाने को भेजा गया था कि वहां पर कोई निक्षेप है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का नाम "अब्दुल लतीफ़" है ? मैं ने श्री अब्दुल लतीफ़ को पुकारा है । श्री अब्दुल लतीफ अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री अब्दुल लतीफ** : आपने जो इन्क्वायरी की है, उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री के० दे० मालवीय : इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिआलाजीकल (भूतत्वीय) पार्टी भेजी थी और उसकी यह रिपोर्ट है कि वहां कुछ लिगनाइट है और बालू में सोना वग़ैरह पाया गया था, लेकिन उनकी भी कोई मुकम्मल राय नहीं है । जिआलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की तो यह राय है कि उसकी कोई इकानामिक बर्थ नहीं है । जब तक कोई ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक कोई प्रोग्राम बनाना हमारे लिये मुश्किल है ।

श्री अब्दुल लतीफ : क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोई जांच करायी है या कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट पर ही भरोसा कर लिया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक रिपोर्ट है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पहले कुछ मालूमात की थीं । जिनके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां पर कोई खास मिनरल्स नहीं मिली हैं । इसलिये हमारा इरादा कोई उसको परस्यू[1] करने का नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुये कि वहां पर बालू में से सोना पाया जाता है आपने यह उचित नहीं समझा कि आप अपनी तरफ से कोई जांच कराते ?

श्री के० दे० मालवीय : बालू में अक्सर सोना निकल आता है लेकिन उसकी कोई खास अहमियत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pursue.

दशमलव सिक्के

+

†*८९४. { **श्री हेम राज :**
श्री वोडयार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल रहे पुराने सिक्कों को वापस लेने और उनके स्थान पर दशमलव सिक्कों को चालू करने के कार्य में, प्रथम वर्ष में, कोई सारवान सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत परिचालित सिक्के वापस लिये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी विभाग और रेलवे अब भी जनता को पुराने सिक्के देते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री हेम राज : गवर्नमेंट मिन्ट्स (सरकारी टकसालों) में ज्यादा से ज्यादा नये सिक्के बनाने का क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे देश में तीन मिन्ट्स हैं । वे अपने पूरे समय काम कर रही हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा नये सिक्क बनाये जा रहे हैं ।

श्री हेम राज : हर माह में कितने नये सिक्के बनाये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : करीब गरीब आठ नौ करोड़ पीसेज़ नये सिक्के ।

श्री हेम राज : क्या दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर कि बहुत से गवर्नमेन्ट आफिसेज़ हैं वहां लोगों को पुराने सिक्के नहीं दिये जायेंगे बल्कि नये सिक्के ही दिये जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : एक ऐसी विज्ञप्ति जारी की गई है कि जो सरकारी दफ्तर हैं जैसे कि रेलवे और पोस्ट आफिसेज़ उनमें जो पुराने सिक्के आयेंगे वे वापस ले लिये जायेंगे उनको फिर नहीं दिया जायगा । मगर कभी कभी खास स्थिति में, नये सिक्कों की कमी के कारण इस विज्ञप्ति की बात पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती और कभी कभी पुराने सिक्के दिये जाते हैं । मगर आम तौर से सरकारी दफ्तरों से नये सिक्के ही दिये जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि पुराने सिक्कों और नये सिक्कों के कारण अक्सर बाजार में गड़बड़ होती रहती है और उसमें कुछ लोगों को नुक्सान उठाना पड़ता है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देर से देर कब तक इन पुराने सिक्कों को हटा दिया जायगा ?

श्री ब० रा० भगत : जब कि नये सिक्कों का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ था तो उस समय सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि तीन, साढ़े तीन साल में नये सिक्कों का पूरा पूरा चलन हो जायगा । अब जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उनसे मालूम होता है कि यह अवधि कुछ और बढ़ जायगी । हो सकता है कि चार साल हो जायें । यह परिस्थिति है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता चलता है कि १-४-१९५७ से ३१-१२-१९५७ तक दो आना और उससे कम मूल्य के २६ करोड़ सिक्के वापस लिये गये हैं। यह लगभग चार प्रतिशत है। अतः यद्यपि एक वर्ष समाप्त हो गया है, तथापि, विवरण के अनुसार, केवल चार प्रतिशत सिक्के ही वापस लिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन सब सिक्कों के वापस लिये जाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** २५ वर्ष ।

†**श्री ब० रा० भगत :** जैसे ही सिक्के आते हैं, हम उनको वापस ले लेते हैं, उनको दोबारा जारी नहीं किया जाता है। केवल बात यह है कि सिक्के तब तक परिचालन में रहेंगे जब तक कि उनका विमुद्रीकरण नहीं कर दिया जाता। दुअन्नियों के सम्बन्ध में समझता हूं कि छः महीनों में पीली दुअन्नियों का विमुद्रीकरण हो जायगा और दूसरे छः महीनों में सब दुअन्नियों का विमुद्रीकरण हो जायगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई पक्का वायदा नहीं कर सकता।

†**श्री मुहीउद्दीन :** नये सिक्कों के अपनाने के तरीक़ों में शीघ्रता करने के लिये, क्या यह सच है कि सरकार ५० नये पैसे के नोट प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या मैं जान सकती हूं कि दो आने के सिक्कों का दिल्ली, विशेषतः संसद् भवन, में विमुद्रीकरण कर दिया गया है क्योंकि डाक घर भी उनको स्वीकार नहीं करता ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह सच है क्योंकि दो आने के पीले सिक्के जाली बहुत हैं। अतः कुछ कठिनाई होती है, लेकिन हमने परिपत्र जारी कर दिये हैं और यह देखने के लिये पूरी सावधानी बरती है कि जनता को कोई बेकार कठिनाई न हो।

तेल के नये कुओं का पता लगना

†*८९५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरन क्षेत्र में नये कुओं से तेल का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कुओं में तेल का पता लगा है ; और

(ग) उसके उत्पादन की क्या सम्भावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) अब तक पूरे किये गये सात कुओं में से चार में तेल पाया गया है।

(ग) अच्छी मात्रा में वाणिज्यिक उत्पादन की आशा है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मोरन में पता लगे इस तेल का प्रस्तावित आसाम शोधनशाला में शोधन किया जायगा ; और यदि हां, तो क्या इस आवश्यकता को पूरा करने में उस शोधनशाला की अपेक्षित क्षमता बढ़ जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मोरन में उत्पादित देल का नयी 'आयल इंडिया लिमिटिड, द्वारा प्रवर्तन किया जायगा जिसमें भारत सरकार 'आसाम आयल कम्पनी' के साथ भागीदार है। जैसे ही 'आयल इंडिया लिमिटिड' द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम पूरा हो जायगा, मोरन तेल के शोधनशाला में उपयोग का प्रश्न उठेगा।

अमृत बाजार पत्रिका का मनीपुर परिशिष्टांक

†*८९६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५७ में अमृत बाज़ार पत्रिका में एक मनीपुर परिशिष्टांक प्रकाशित हुआ था ;

(ख) इस के प्रकाशन के सम्बन्ध में अमृत बाज़ार पत्रिका ने मनीपुर प्रशासन को अदायगी के लिये कितनी रकम के बिल प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) अमृत बाज़ार पत्रिका, कलकत्ता में इस परिशिष्टांक के प्रकाशन के कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) परिशिष्टांक के प्रकाशन के लिये मनीपुर प्रशासन ने कोई रकम नहीं दी थी परन्तु पर्यटन तथा स्थानीय कलाओं तथा हस्तशिल्पों के संवर्द्धन के लिये समाचारपत्र में प्रशासन द्वारा कुछ विज्ञापन प्रकाशन के लिये भेजे गये थे जिन के लिये समाचारपत्र द्वारा प्रशासन को ४६६९ रुपये १६ नये पैसे के बिल प्रस्तुत किये गये थे।

(ग) पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये परिशिष्टांक छापने के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमृत बाज़ार पत्रिका, कलकत्ता द्वारा परिशिष्टांक प्रकाशित किया गया था। जिन समाचार-पत्रों ने लेख तथा विज्ञापन दे कर इस प्रकार के परिशिष्टांक निकालना स्वीकार किया है राज्य सरकारों से उन की सहायता करने के लिये कहा गया है और उन में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या परिशिष्टांक तथा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये अन्य समाचार पत्रों से भी मूल्य-कथन आमंत्रित किये गये थे ?

†**श्री दातार** : इस मामले में मूल्य-कथन आमंत्रित करने का कोई प्रश्न नहीं था। अमृत बाज़ार पत्रिका ने मनीपुर के सम्बन्ध में एक विशिष्ट परिशिष्टांक छापना स्वीकार किया था और यही कारण है कि उन्हें विज्ञापन दिये गये थे।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या सरकार की नीति केवल उन समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की है जो सरकार के पक्ष में लिखते हैं ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: श्रीमान् क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं ? एक समाचार पत्र किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में एक विशेष परिशिष्टांक निकालता है—कोई भी समाचार पत्र ऐसा कर सकता है—और पर्यटन के हित में प्रशासन द्वारा उस का लाभ उठाया जाता है । यह एक सामान्य बात है और इस में किसी समाचार पत्र के पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है । जब कभी भी कोई समाचार पत्र ऐसा करता है तो सम्भवतः उस के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायेगा ।

फैरो मेंगनीज़ संयंत्र

*८९७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फैरो-मैंगनीज़ तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) सरकार द्वारा फैरो-मैंगनीज़ के कितने संयंत्र अब तक स्थापित किये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या गरिंडी (जिला श्रीकाकुलम्) में फैरा-मैंगनीज़ संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने अभी तक सालाना १७७,३०० टन कुल ताकत की नौ पार्टियां मंजूर कर दी हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । फिर भी माननीय सदस्य का मतलब शायद गिरीविदी (जिला श्रीकाकुलम्) से है । यदि ऐसा है तो एक प्राइवेट पार्टी द्वारा लगाये गये प्लांट में पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया गया है ।

श्री इ० मधुसुदन राव : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक साल के लिये कितना फ़ैरो-मैंगनीज़ चाहिये और वह कितना उत्पादन कर सकती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं सवाल को समझ नहीं पाया हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक प्रश्न पूछना शुरू किया था और एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने अपनी बात समाप्त की है । वह केवल यह जानना चाहते हैं वहां जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है उस की क्षमता कितनी होगी और हमारे अपने उपभोग के लिये हमें कितने फ़ैरो-मैंगनीज़ की आवश्यकता है और हमारी वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य नियत किया गया है वह १६०,००० टन है । जैसा कि मैं पहिले ही बता चुका हूं इस लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक अनुमोदित कुल क्षमता १७७,३०० टन है । इस में से ३ तीन संयंत्रों ने पहिले ही उत्पादन-कार्य प्रारम्भ कर दिया है ; दी मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती, दी इलैक्ट्रिकल एण्ड मेटालर्जिकल वर्क्स, बम्बई और दो फ़ैरो-एलौयेस कारपोरेशन, तुमसार । इन की विभिन्न क्षमतायें हैं । अनुज्ञापन समिति द्वारा ५४,००० टन की कुल क्षमता की दो और योजनाओं को इस बात के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है कि पूंजी वस्तुओं की भारी विद्युत् संयंत्र समिति द्वारा उन की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं का परीक्षण किया जायेगा, माननीय सदस्य सम्भवतः जो जानकारी चाहते थे वे सभी बातें इस जानकारी में आ गई हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या गिरीविदी संयंत्र की कुछ सहायता की जा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह संयंत्र ग़ैर सरकारी क्षेत्र में है । सहायता के किसी स्वरूप का मनसेक्षण करना मेरे लिये कठिन है । यदि यह वित्तीय सहायता है तो ग़ैर सरकारी क्षेत्र के अन्य किसी उद्योग की भांति वे वित्त निगम तथा अन्य पक्षों से इस के लिये कह सकते हैं । वित्तीय स्वरूप की प्रत्यक्ष सरकारी सहायता जैसी कोई चीज़ नहीं है ।

†**श्री हेडा** : श्रीकाकुलम् तथा उड़ीसा राज्य के पार्श्ववर्ती ज़िले निम्न श्रेणी के मेंगनीज़ अयस्क से भरे पड़े हैं और यह कारख़ाना गिरीविदी में है । तुमसार का कारख़ाना निम्न श्रेणी के उस अयस्क का पूर्णतः उपभोग नहीं कर सकता है । क्या उस क्षेत्र में और संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की सरकारी क्षेत्र में या ग़ैर सरकारी क्षेत्र में कोई योजनायें हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य पहिले ही पूरा किया जा चुका है । ऐसी कितनी ही अच्छी बातें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, परन्तु हमें उन सब का संसाधनों के भीतर ही समायोजन करना होगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा में जोडा स्थान पर जो फ़ैरो-मैंगनीज़ संयंत्र स्थापित किया गया है वह कब उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करेगा और उस संयंत्र की क्षमता कितनी है तथा उसे कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक पृथक सूचना चाहिये, उस जगह का नाम क्या है ?

†**श्री पाणिग्रही** : जोडा का फ़ैरो-मेंगानीज़ संयंत्र ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जोडा फ़ैरो-एलौएज (प्राइवेट) लिमिटेड की उत्पादन क्षमता ३०,००० टन है । यह उड़ीसा में जोडा स्थान पर स्थिति होगा । इस वर्ष, १९५८ के मध्य में यह संयंत्र बन कर तैयार हो जायेगा ।

शिक्षा का आयोजन

†८९८. **डा० क० ब० मेनन** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा-पटल पर निम्न लिखित काग़ज़ात रखने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षा के विकास के लिये प्रत्यक्ष आयोजन के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से प्राप्त टिप्पण की एक प्रति ; तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस टिप्पण के सम्बन्ध में राज्य-सरकारों से प्राप्त टिप्पणियां ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख) लोक-सभा पटल पर मद्रास सरकार से प्राप्त टिप्पण की एक प्रति तथा अब तक प्राप्त टिप्पणियां रखी जाती हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–५८६/५८**]

†**डा० क० ब० मेनन** : क्या राज्य के एक प्रतिनिधि द्वारा सम्मेलन में की गई इस आपत्ति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से मंत्रियों के अच्छे, बुरे और अनुत्कंठित भाषण छापे जाने लगे हैं और उन्हें स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों में सम्मिलित किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे माननीय मित्र का प्रश्न मद्रास सरकार में शिक्षा के विकास के लिये प्रत्यक्ष आयोजना से सम्बन्धित टिप्पण के सम्बन्ध में है। पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल एक विभिन्न प्रकार का प्रश्न है। मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं परन्तु यह इस प्रश्न में से बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है।

†**डा० क० ब० मेनन** : सम्मेलन में जिन विषयों पर वाद विवाद किया गया था, पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण भी उन में से एक विषय था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। वह वाद विवाद के लिये एक विषय था परन्तु इस समय प्रश्न प्रत्यक्ष आयोजन तथा उस पर मद्रास सरकार के एक टिप्पण के सम्बन्ध में है। इस प्रश्न का पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है और, यदि हां, तो क्या व अन्य राज्यों को इस की सिफारिश करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इस टिप्पण को राज्य सरकारों को उन के विचारार्थ तथा टीका के लिये भेजना चाहिये।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†*८९९. **श्री जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कनिष्ठ विभाग के पुनः प्रवर्तन के लिये एक मांग है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का कनिष्ठ विभाग सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। बम्बई में राज्य सरकार ने १९५३ में कनिष्ठ विभाग को बन्द करने का निर्णय किया था और वहां कनिष्ठ विभाग की इकाइयां मुख्यतः उन क्षत्रों में कार्य कर रही हैं जिने क्षेत्रों को राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप बम्बई में जोड़ा गया था। तथा बम्बई सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी भागों में कनिष्ठ विभाग की इकाइयां पुनः प्रवर्तित की हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : बम्बई सरकार ने इस योजना को बन्द क्यों किया था और फिर से क्यों शुरू किया है ?

†**सरदार मजीठिया** : माननीय सदस्य बम्बई सरकार से पूछ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सर्व सेवा संघ

†*९००. **श्री वैं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सर्व सेवा संघ को जो केन्द्रीय अनुदान दिये गये थे क्या उन के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह विश्वास किया जाता है कि संघ इस प्रयोजन के लिये भिन्न सूत्रों, अर्थात् सरकारी अभिकरणों तथा गांधी स्मारक निधि आदि जैसे अन्य ग़ैर सरकारी अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। उन्होंने भिन्न सूत्रों से प्राप्त कुल राशि में से खर्च पूरा किया है और प्रत्यक वैयक्तिक सूत्र का पृथक लेखा नहीं रखा है । क्योंकि उन्हें प्रत्यक वैयक्ति के सूत्र का लेखा प्रस्तुत करना है इस-लिये लेखों को अलग करने और उन्हें सरकार को प्रस्तुत करने में काफ़ी समय लगता है । फिर भी उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिये ज़ोर दिया जा रहा है ।

†**श्री वैं० च० मलिक** : १० मार्च, १९५८ के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में योजना उप-मंत्री श्री श्या० नं० मिश्र द्वारा दिये गये विवरण से प्रकट होता है कि १९५७-५८ में ग्रामदान गांवों के विकास के लिये १० लाख रुपये की जिस रकम की मंज़ूरी दी गई थी वह अग्रिम लेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण उड़ीसा सरकार द्वारा सर्व सेवा संघ को सौंपी नहीं गई है । निर्धारित अवधि में उन क्षेत्रों के लिये रकम खर्च न करने के सम्बन्ध में सरकार, सर्व सेवा संघ के विरुद्ध क्या कार्य-वाही करना चाहेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : उड़ीसा राज्य द्वारा यह निर्णय किया गया है कि सर्व सेवा संघ का प्रयोजन राज्य अभिकरण की सहायता करना है, परन्तु सर्व सेवा संघ का खर्च पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न होगा । यह कार्यवाही की गई है ।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि कोरापुट ज़िले में भूक से होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा सर्व सेवा संघ के बीच प्रतिवाद के कारण यह रकम उन्हें सौंपी नहीं गई है ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री महन्ती** : क्या माननीय मंत्री कृपया इस की जांच करेंगे ? यह एक ऐसा मामला है जिस में रकम की मंज़ूरी दी गई थी परन्तु उड़ीसा सरकार ने सर्व सेवा संघ को इसे नहीं सौंपा था । क्या उस प्रतिवाद के कारण ऐसा किया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार जांच करेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : इस का कारण वह प्रतिवाद नहीं है । सर्व सेवा संघ के लिये जिन रकमों की मंज़ूरी दी गई थी और जो रकमें उसे दी गई थीं, उस ने १९५५ से उन के सम्बन्ध कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । यही कारण है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को सर्व सेवा संघ को दिये गये अनुदान या सहायता में कमी करने के लिये लिखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा** : उड़ीसा राज्य ने हमें लिखा है। उड़ीसा राज्य ने १० लाख रुपये के एक अनुदान की मांग भी की है। नारायणपटना योजना है और उन्होंने इस नई योजना के लिये २,२०,००० रुपये के एक अतिरिक्त आवंटन के लिये कहा है।

हिमाचल प्रदेश का मन्दिर

*९०२. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर में आग लगने का क्या कारण था ; और

(ख) सरकार को तथा मन्दिर को कितनी क्षति हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). अनुमान है कि इमारतों को एक लाख रुपय का नुकसान हुआ है लेकिन कुल कितना नुकसान हुआ अथवा आग लगने का क्या कारण था, इस का अब तक ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है। इस के लिये अदालती जांच हो रही है और उस के परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री पद्म देव : चूंकि यह मंदिर आर्केयोलोजिकल डिपार्टमेंट के मातहत है और आग लगने से यह मंदिर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, क्या सरकार ने इस की मुरम्मत के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

†**श्री दातार** : मुझे यह बात मालूम नहीं है कि यह पुरातत्व विभाग के अधीन है। यह एक प्राचीन मन्दिर है। अत्यधिक हानि हुई थी और सरकार जांच कर रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस मन्दिर को आग लगे काफी समय हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी और कितना समय इस आग लगने की घटना की इन्क्वायरी करने में सर्फ होगा ?

†**श्री दातार** : ३० दिसम्बर, १९५७ को आग लगी थी, एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और जांच की जा रही है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चे

†*९०३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्योंकि देश के भिन्न भागों में शिक्षा का माध्यम भिन्न है इसलिये देश के विभिन्न भागों में स्थानान्तरित किये जाने के कारण प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) क्योंकि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को देश के विभिन्न भागों में स्थानान्तरित किया जा सकता है इसलिये बहुत से राज्यों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषायें होने के कारण प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा देने में कठिनाइयां हुई हैं। यह कठिनाई प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक शिक्षा के मामले में अधिक है और सामान्य सैनिकों की अपेक्षा सैनिक अधिकारियों को इस कठिनाई का अनुभव अधिक होता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जैसाकि ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में राज्य-सभा पटल पर रखे गये विवरण में संकेत किया गया है प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ विशिष्ट सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उस विवरण में जिन किंग ज्यौर्जिस स्कूलों की ओर निर्देश किया गया है उन में प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों से रियायती फ़ीस ली जाती है और वे छात्रवृत्तियों के लिये पात्र होते हैं। सरकार कुछ अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी, जैसेकि सैनिक अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये सहायक अनुदान देने के लिये एक अंशदायी निधि योजना है, सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या इन बच्चों के लिये कोई शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के बच्चों को वही सुविधायें मिलती हैं जो उस क्षेत्र के अन्य बच्चों को मिलती हैं। शिक्षा का माध्यम जो कुछ भी होता है वह राज्य सरकार ही निश्चित करती है। कुछ स्कूलों के लिये कोई विशेष सुविधायें मांगी जाती हैं और वे दे दी जाती हैं। सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के बच्चों को वे सब सुविधायें मिलेंगी जो अन्य बच्चों को मिलती हैं।

†**श्री जोकीम आलवा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये मुख्यतः भाषा की सुविधा के बारे में बातचीत कर रही है। कई बार उनके लिये अध्यापकों की ही व्यवस्था नहीं की जाती। क्या माननीय मंत्री राज्य सरकारों से ये सुविधायें दिलवायेंगे ? इसके अतिरिक्त कई स्कूलों में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश ही प्राप्त नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : सभा के समक्ष रखे गये विवरण में उल्लिखित छः स्कूलों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। दूसरे, राज्य में जिस भाषा की व्यवस्था की गई है उसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय राज्य सरकार के शिक्षा विभागों से ये सुविधायें दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने दो कठिनाइयां बताई हैं और वे जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : प्रतिरक्षा सेनाओं को जो सुविधायें दी जाती हैं उनमें बच्चों की शिक्षा भी शामिल है। यह सैनिकों की सेवा की शर्तों में तो शामिल नहीं परन्तु यह तो स्वाभाविक है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना पदाधिकारी अधिक से अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक स्कूलों में राज्य प्राधिकारियों के सहयोग से बहुत ही अच्छे प्रबन्ध किये गये हैं। हर स्थान पर आवश्यकता के अनुसार कार्य किया गया है।

†**श्री भक्त दर्शन** : रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ किंग ज्यौर्जिस स्कूल चलते हैं। भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहां आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां सभी भाषाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार मजीठिया** : के जी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है । परन्तु हिन्दी भी एक विषय है । आशा है कि यथासमय हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह देखते हुए कि न केवल प्रतिरक्षा सेवाओं के बल्कि अन्य कई अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं और उनके बच्चों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत सब राज्यों में कुछ ऐसे स्कूल खोले जायें जिन में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा कोई अन्य उपयुक्त भाषा हो और जिस से अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकता पूरी हो सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था करने लगें तो हमें विदेशों में उन विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये भी व्यवस्था करनी होगी जिन को सब से अधिक कठिनाई होती है । यह भी एक विशेष मामला है । प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी काफी कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें थोड़े-थोड़े समय बाद एक से दूसरे स्थान पर बदल दिया जाता है और इसके फलस्वरूप उन्हें एक स्थान पर अपने परिवार को रखना पड़ता है और स्वयं वे दूसरे स्थान पर रहते हैं । उनके उच्च असैनिक कर्मचारियों को भी कठिनाई होती है परन्तु उतनी नहीं । जहां तक सम्भव है हम प्रतिरक्षा सेवाओं की यह कठिनाई दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । असैनिक कर्मचारियों को अधिक कठिनाई नहीं होती ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या "किंग ज्यौर्जिस स्कूल" के नाम को बदलने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग प्रश्न है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या मैं प्रश्न को दोहराऊं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने प्रश्न को समझ लिया है । मैं ने कहा कि यह अलग प्रश्न है । इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अन्तर्राज्यिक सीमा विवाद

†***९०४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह उनकी सीमाओं का निबटारा कर दे;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इन राज्यों ने सीमा सम्बन्धी कौन से प्रमुख विवादों का निबटारा करने के लिये कहा है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). बम्बई सरकार ने बम्बई और मैसूर राज्यों में प्रादेशिक पुनः समायोजन की कुछ प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं।

(घ) ये प्रस्थापनायें मैसूर राज्य सरकार को भेज दी गईं और दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अनौपचारिक रूप से उस पर चर्चा की थी।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित की है कि यदि दो सरकारों में ऐसा विवाद हो जाय तो उसे किसी उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी प्राधिकारी को सौंप दिया जाये?

†**श्री दातार** : प्रक्रिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो पहले उस पर मुख्य मंत्री आपस में बात चीत करते हैं और फिर अन्य कार्यवाही होती है।

†**श्री महन्ती** : गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उड़ीसा विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है और उसे राज्य सरकार के द्वारा भेज दिया जिसमें भारत सरकार से प्रार्थना की गई है कि बिहार और उड़ीसा के बीच सीमा विवाद का निर्णय कर दिया जाये। इस उत्तर में इस विवाद का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? केवल बम्बई का ही क्यों उल्लेख किया गया?

†**श्री दातार** : उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री महन्ती** : जी नहीं। मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस उत्तर से ठीक तथ्यों का पता नहीं चलता। प्रश्न के उत्तर में उन्होंने केवल बम्बई और मैसूर का ही उल्लेख किया। यह क्यों? यह प्रश्न तो राज्यों के सभी सीमा विवादों से सम्बद्ध है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से नहीं मिला है। हमें केवल इन्हीं सरकारों के बारे में कहना है जिन से इस प्रश्न का सम्बन्ध है।

†**श्री कासलीवाल** : जब सीमा आयोग स्थापित करने की मांग की गई थी उस समय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि स्वयं राज्य सरकारें सीमा सम्बन्धी मामलों का निबटारा कर सकेंगी। अब तक कितनी राज्य सरकारों ने स्वयं सीमा सम्बन्धी मामलों का निबटारा किया है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : आंध्र और मद्रास ने एक मध्यस्थ द्वारा निर्णय कराया है। बम्बई और मैसूर के अतिरिक्त और किसी ने हमारे पास इस बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या गृह-कार्य मंत्रालय को आंध्र सरकार से कोई पत्र मिला है जिसमें उड़ीसा और आंध्र के बीच सीमा के दावे, जो विशेषकर परलाकिमिडी के बारे में है और जिस पर हाल ही में आंध्र विधान सभा में काफी चर्चा हुई, का निबटारा करने की प्रार्थना की गई है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सरकारों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका उल्लेख प्रश्न के उत्तर में किया गया है।

---

†मूल अंग्रजी में

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा

†*९०५. **श्री झूलन सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में दोनों राज्य सरकारों की रायें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

†**श्री झूलन सिंह** : यह देखते हुए कि सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत देर से चल रहे विवाद और दो प्रकार की भूमि सम्बन्धी विधियों के लागू होने के कारण बहुत बेचैनी फैली हुई है क्या सरकार शीघ्र निर्णय करने के लिये प्रयत्न करेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार ने कुछ जानकारी मांगी है जिसके प्राप्त होते ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियां

†*८९०. **श्री बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री १६ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों में आगे और कोई कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस की और कितनी राशि है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) मनीपुर, ४६,००० रुपये ।

पोरबिलिया कोयला खान

†*८९१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबिलिया कोयला खान की 'दिशरगढ़ सीम' जो १९५५ में भूमिगत आग के कारण बन्द कर दी गई थी पुनः खोल दी गई है ;

(ख) इस खान में कोयले की मात्रा का कितना अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) उत्पादन की वर्तमान गति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पोरबिलिया कोयला खान की विभिन्न तहों में लगभग ४४० लाख टन कोयला होगा । ऐसा अनुमान लगाया गया है ।

(ग) लगभग २०,००० टन प्रति मास ।

सरकारी निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्ति

***९०१. श्री क० भ० मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकारी निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): सरकारी पेन्शन पाने वालों के राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि उनकी कार्यवाहियां संविधान के मुताबिक हों ।

मनीपुर में कबायलियों का हमला

†***९०६. श्री आसर :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि ११ फरवरी, १९५८ को चूड़ाचांदपुर (मनीपुर) में ५०० कुरी कबायलियों ने एक सब-डिवीज़नल आफिसर को बंगले में घेर लिया ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) ऐसी घटनायें फिर न हों इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जी हां, चूड़ाचांदपुर का एस० डी० ओ० जब बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र को आंवटित की गई उस भूमि का निरीक्षण करने गया जिसका विवाद चल रहा था तो उसे ३०० आदमियों ने घेर लिया । इस ज़मीन के टुकड़े पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा करके वहां गिर्जे की एक कच्ची इमारत बना ली थी । लोगों ने यह मांग की कि प्रशिक्षण केन्द्र के मैदान को चर्च के लिये लिखित रूप से आवंटित कर दिया जाये । एस० डी० ओ० के इनकार करने पर लोगों ने उसे घेरे में ले लिया और बाद में उसके बंगले तक उसका पीछा किया । पुलिस ने उन लोगों को हटाया ।

(ग) स्थिति को काबू में लाने के लिये मनीपुर राइफ़ल्ज़ की एक प्लैटून ताइनात की गई । उनमें ९ गुट्टों के सरदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है । सम्बन्धित व्यक्तियों ने लिखित रूप में एस० डी० ओ० से माफी मांगी और यह आश्वासन दिया कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा ।

चूने के पत्थर और संगमरमर के निक्षेप

†***९०७. श्री घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में चूने के पत्थर और संगमरमर के निक्षेप मिले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** जी हां; पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में झाल्दा के निकट इचाटु और जाबर क्षेत्रों में चूने के निक्षेपों का पता लगाया गया है। इचाटु क्षेत्र में चूने के पत्थर की तहों की मोटाई एक सी नहीं है। जाबर क्षेत्र में चूने के निक्षेप सीमेंट बनानें के लिये उपयुक्त नहीं क्योंकि उनमें कई कुछ मिला हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा

†*९०८. **श्री गोरे :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वित्त** मंत्री १९ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प आय वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये 'प्रीमियम' की दर घटा कर अनिवार्यतः बीमा करने के बारे में उसके पश्चात् कोई निर्णय हुआ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय क्या था ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). नहीं श्रीमान। अभी इस मामले की जांच हो रही है।

अखिल भारतीय शहीद स्मारक

*९०९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के अताराकित प्रश्न संख्या १७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ से १९४७ के बीच स्वातन्त्रीय संग्राम में जो शहीद हुए, उनकी स्मृति में दिल्ली में एक अखिल भारतीय स्मारक बनाने की प्रस्थापना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

उत्तरी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर

†*९१०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १८ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी उच्चतर प्रोद्योगिकीय संस्था, कानपुर की योजनाओं और प्राक्कलनों के बारे में उसके पश्चात अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) अभी नहीं ;

(ख) चालू योजना में इस संस्था के लिय २०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला उत्पादन लागत का ब्यौरा

†*९११. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन की लागत व्यौरे का परीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ; अभी कुछ और कोयला खानों में उत्पादन की लागात के व्यौरे का परीक्षण किया जाना है ;

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विमान वाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर)

†*९१२. **डा० राम सुभग सिंह : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना के लिये हाल ही में खरीदा गया विमान वाहक पोत (एयरक्राफ़्ट कैरियर) भारतीय बेड़े में कब शामिल हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : यह बताना लोक हित में नहीं कि विमान वाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) भारतीय बेड़े में कब शामिल होगा ।

"कन्टम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर"

*९१३. **श्री वाजपेयी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी "कन्टम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर" का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रकाशन कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) "कन्टम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर" का हिन्दी संस्करण, जिस का नाम "आज का भारतीय साहित्य" रखा गया है, पहले ही प्रकाशित हो चुका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौसेना

†*९१४. **सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना में सुधार करने के लिये १९५७-५८ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**

---

†मूल अंग्रजी में

चीनी सैनिक शिष्टमंडल

*११५. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री हेम बरूआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी लोक गणराज्य के सरकारी सैनिक शिष्टमंडल ने इस बीच भारत की यात्रा की है ;

(ख) उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था ;

(ग) वे भारत में कब आये और इस देश में कितनी अवधि तक रहे ; और

(घ) उन्होंने किन किन जगहों और संस्था को देखा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल था और हमारे सशस्त्र सेनाओं के १९५६ में चीन जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल के प्रत्युत्तर में आया था :

(ग) यह प्रतिनिधि मण्डल २२ जनवरी १९५८ को पहुंचा था, और लगभग ६ सप्ताह रहने के बाद ३ मार्च १९५८ को वापस लौटा ।

(घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ५]**

बुद्ध जयन्ती

११८५. **श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली तथा भारत के अन्य स्थानों में २५००वीं बुद्ध जयन्ती की स्मृति में स्मारक बनाने के हेतु चुने गये स्थानों का विकास करने पर भारत सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) अब ये स्थान किस कार्य के लिये काम में लाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अब तक, रिज, (नई दिल्ली) पर चुनी गयी जगह का सर्वेक्षण करने पर केवल २७५ रु० का खर्च हुआ है। २५००वीं बुद्ध जयन्ती की यादगार में स्मारक बनाने के लिये केवल यही एक स्थान चुना गया है ।

(ख) इस समय यह रिज के जंगली क्षेत्र का एक भाग है ।

प्रौढ़ शिक्षा

†११८६. **श्री दामानी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरों तथा ग्राम्य क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है ; और

(ग) उन के लिये कितनी राशि अलग रखने का विचार है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जन सम्पर्क सप्ताह

†११८७. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जो लोक सम्पर्क सप्ताह मनाया गया उस में आय कर लौटाने के कितने मामले निबटाये गये ;

(ख) ये मामले किन वर्षों के हैं ;

(ग) उनका अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे सप्ताह मनाने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) १४६१

(ख)

१९५१–५२	२
१९५२–५३	१
१९५३–५४	१०
१९५४–५५	४
१९५५–५६	१३
१९५६–५७	२१२
१९५७–५८	१२१९

(ग) जिन १४६१ मामलों का निबटारा किया गया था उन में से केवल ३० मामले एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन मामलों में भी जो विलम्ब हुआ वह अधिकारियों के बस की बात न थी, क्यों कि :—

(१) कर दाताओं से जो पूरी जानकारी मांगी गई थी वह उन्होंने नहीं भेजी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) मामलों को एक से दूसरे प्रान्त में भेजने के कारण निर्धारण के पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं थे ।

(घ) जी नहीं ; प्रमुख स्थानों पर लोक सम्पर्क पदाधिका ी मौजूद हैं जो शिकायतों की ठीक समय पर जांच करते रहते हैं। अन्य कमिश्नरों ने इस कार्य के लिये अलग से सप्ताह मनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की ।

हैलिकाप्टर्स

†११८८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक प्रत्येक देश से कितने हैलिकाप्टर्स खरीदे गये हैं ;

(ख) क्या १९५८–५९ में और हैलिकाप्टर्स खरीदने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**:(क) छः, केवल अमरीका से ।

(ख) और (ग). १९५८–५९ में और हैलिकाप्टर खरीदने का कोई विचार नहीं है ।

अल्प बचत

†११८९. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री संगण्णा :
श्री पांगरकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७, १९५७–५८ में अब तक प्रत्येक राज्य में अल्प बचतों से कुल कितनी राशि एकत्र की गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : १९५६–५७ और १९५७–५८ (जनवरी, १९५८ की समाप्ति तक) प्रत्येक राज्य में अल्प बचतों से जो कुल राशियां एकत्र की गईं वे नीचे दी गई हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(लाख रुपयों में) राशि	
	१९५६–५७	अप्रैल, १९५७ से जनवरी, १९५८ (अस्थायी)
१. आन्ध्र	१,०४	१,९३
२. आसाम	२,११	१,१३
३. बिहार	५,६८	२,९०
४. बम्बई	१६,२४	१०,०५

†मूल अंग्रजी में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(लाख रुपयों में) राशि	
५. दिल्ली . .	१,३०	१,०६
६. हिमाचल प्रदेश . .	६	४
७. जम्मू और काश्मीर . .	१५	२४
८. केरल . . .	७३	८०
९. मद्रास	१,९२	२,६४
१०. मध्य प्रदेश . .	३,०१	१,६५
११. मनीपुर . .	२	३
१२. मैसूर . .	९३	१,१३
१३. उड़ीसा .	१,२२	८०
१४. पंजाब	८,०३	२,६०
१५. राजस्थान	२,१०	१,१०
१६. त्रिपुरा	१	४
१७. उत्तर प्रदेश . .	९,४१	४,३४
१८. पश्चिमी बंगाल .	७,५६	५,८३
कुल . .	६१,५२	३८,३१

बूहजंग गवर्नमेंट हाई स्कूल, अगरताला

†११९०. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७–५८ में बूहजंग गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, अगरताला के खाते में कई अनियमितताएं पकड़ी गयी हैं;

(ख) ये किस प्रकार की अनियमिततायें थीं और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या–क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हाँ।

(ख) ३,५३७ रुपये ४३ नये पैसों की सरकारी रकम का गबन।

(ग) उस गबन के जिम्मेवार व्यक्ति को मुअत्तिल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गयी है। जिस व्यक्ति को इस गबन के लिये उत्तरदायी बताया जाता है उससे सारी राशि वसूल कर ली गयी है और वह सरकारी खजाने में जमा करा दी गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

खनन के पट्टे

†११९१. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश द्वारा १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक खनन के पट्टे देने से पहले पूर्वानुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन-पत्र भेजे गये थे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग

†११९२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग द्वारा की गयी इन सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों ने क्या किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों की शिक्षा आदि के लिये सुधार सम्बन्धी कार्यवाहियां की जायें ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विभिन्न सुझावों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

पंजाब में पोस्त की काश्त

†११९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पंजाब में जिलावार कुल कितने एकड़ भूमि में पोस्त की काश्त हो रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**:

जिला	१९५७–५८ के मौसम में पंजाब में पोस्त की काश्त के अन्तर्गत क्षेत्र
	एकड़
कपूरथला	६७
होशियारपुर	८९
जालन्धर	जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान से सम्पदा शुल्क

†११९४. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वित्त मंत्री** ४ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५६ से लेकर राजस्थान में सम्पदा शुल्क के कितने केस पंजीबद्ध किए गए और निपटाये गए ; और

(ख) उक्त अवधि में सम्पदा शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि एकत्रित की गई थी ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख).

पंजीबद्ध किए गए केस	२८७
निपटा दिए गए केस	२४३

सम्पदा शुल्क के रूप में एकत्रित की गई राशि ६,१०,५१० रु० ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का कल्याण

†११९५. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से संघ राज्य क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्य सरकारों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिए काम कर रही सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के नाम क्या कया है;

(ख) उन्हें १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार इस योजना के असफल हो जाने पर इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना बंद कर देने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) और (घ). जी हाँ, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त, सहायक-आयुक्त तथा राज्य-सरकार के पदाधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों से यह ज्ञात होता है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी संस्थाओं का काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि कोई योजना असफल हो जाय तो सामान्य तरीका यही है कि उसका अनुदान बंद कर दिया जाता है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि किसी भी स्वीकृत योजना की असफलता भारत सरकार के ध्यान में अभी तक नहीं आई है।

अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिये आवास

†११९६. **श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी बस्तियां और आवास–स्थान बनाए गये हैं; और

(ख) उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में वार्धक्य निवृत्तिप्राप्त कर्मचारी[1]

†११९७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १ जनवरी, १९५८ तक की अवधि में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कितने औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों ने वार्धक्य निवृत्ति प्राप्त की; और

(ख) उन खाली स्थानों पर कितने व्यक्तियों को सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पदोन्नति

†११९८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ से ३१ जनवरी, १९५८ तक की अवधि में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कितने स्नातक क्लर्कों तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्क बनाया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Superannuated Staff.

(ख) ३१ जनवरी, १९५८ को कितने स्नातक लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बम्बई में स्मारक

†**११९९. श्री आसर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के कितने स्मारक इस समय केन्द्रीय सरकार की देख रेख में हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे किस किस ज़िले और किस किस स्थान पर हैं; और

(ग) १९५६–५७ वर्ष में प्रत्येक स्मारक के परीक्षण तथा सुधार पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने का तस्कर व्यापार

१२००. श्री सरजू पाण्डे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डे पर १९५२ से अब तक कितने मूल्य का सोना चोरी छिपे लाते ले जाते पकड़ा गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ग) चोरी छिपे लाने ले जाने के अपराध के लिये कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया और उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी थे; और

(घ) वे किन किन देशों के थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) दिल्ली के पालम और सफदरजंग हवाई अड्डों पर, १ जनवरी, १९५२ से २८ फरवरी, १९५८ तक की अवधि में, चोरी छिपे लाते या ले जाते हुये जो सोना पकड़ा गया उसका मूल्य लगभग ८,०९,००० रुपये है।

(ख) इस सम्बन्ध में छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) और (घ). इन मामलों के सम्बन्ध में अब तक दो व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका है; और ये दोनों ही विदेशी-लेबनन के रहने वाले थे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†**१२०१. श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार की ओर से बम्बई राज्य को दी गई सहायता से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मराठवाड़ा प्रदेश में कितने मकान तैयार किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ का उल्लंघन

†१२०२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९५८ तक भारत सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं जिनमें लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ का उल्लंघन किया गया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई दंड अभियोग चलाये गये थे; यदि हां, तो कितने ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). इस्पात तथा खान नियंत्रण आदेश को लागू करने का काम पूर्णरूपेण राज्य-सरकारों का है और इसलिये उनके उल्लंघन का कोई भी मामला सरकारी तौर पर भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया जाता, इसलिये उल्लंघन के मामलों की संख्या उनके सम्बन्ध में चलाये गये मुकदमों तथा उन के परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकारों से ही उपलब्ध की जा सकती है।

राष्ट्रीय मानचित्रावली (नेशनल एटलस)

†१२०३. **श्री रा० च० माझी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली (नेशनल एटलस) संस्था द्वारा संकलित राष्ट्रीय मानचित्रावली (नेशनल एटलस) हिन्दी में प्रकाशित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रकाशन पर कितना खर्च आया है ;

(ग) उसकी कितनी प्रतियां छपी हैं और एक प्रति की कितनी कीमत निश्चित की गयी है ;

(घ) कितनी प्रतियों के लिये आर्डर प्राप्त हो गये हैं ;

(ङ) क्या अन्य भारतीय भाषाओं में भी राष्ट्रीय मानचित्रावली (नेशनल एटलस) छपवाने की कोई प्रस्थापना है; और

(च) उस मानचित्रावली (एटलस) को अंग्रेजी में छपवाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) ३,१७,१५० रुपये जिनमें संस्थापन व्यय भी सम्मिलित है।

(ग) उसकी ३००० प्रतियां छपवाने का विचार है। आयात किये गये काग़ज पर छपी प्रति पर १२५ रुपये लागत आयेगी और देसी कागज़ पर छपी प्रति पर १०० रुपये।

(घ) २८ फरवरी, १९५८ तक १०४।

(ङ) जी, हां, अंग्रेजी में छप जाने के बाद ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) अंग्रेजी में छपवाये जाने वाली मुख्य मानचित्रावली (एटलस) के लिये अपेक्षित सामग्री इकट्ठा करने का काम इस समय हो रहा है। आशा है कि लगभग १८० मानचित्रों वाली एक मानचित्रावली (एटलस) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तैयार हो जायेगी, यद्यपि यह भी विचार है कि जब भी आवश्यकता हो अलग अलग मानचित्र भी छपवा दिये जायें ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

†१२०४. **श्री सुबोध हन्सदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के बोर्ड और शामीनिकीय की १९५७ में कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) उन गोष्ठियों में किन किन विषयों पर चर्चा की गयी थी; और

(ग) वे गोष्ठियां कब कब और कहां कहां हुई थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने १९५७ में कई गोष्ठियां की थीं।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

मद्रास में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१२०५. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास राज्य में कुल कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल चल रहे हैं; और

(ख) बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक मद्रास राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १४६ ।

(ख) १९५६–५७ ३,१९,२४१ पये ।
१९५७–५८ ११, ०२,००० पये ।

दिल्ली में दीवानी और फौजदारी मामल

१२०६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी के कितने मामले इस समय अलग अलग विचाराधीन हैं ; और

(ख) इनके निबटाये जाने में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

† भूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेनायें

†१२०७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने वर्दीधारी प्रतिरक्षा सेनाओं को मनोरंजन कर की छूट दी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

जनता पालिसियां

१२०८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १८ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५७ के बाद जनता पालिसियां जारी करने के लिये कितने केन्द्र राज्यवार स्थापित किये गये हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ; और

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५७ तक जारी की गयी जनता पालिसी के प्रीमियम से कितनी आय हुई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जनता पालिसियां जारी करने के लिये ३० सितम्बर, १९५७ के बाद कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५७ तक जारी की गयी जनता पालिसियों के प्रीमियमों से १,३९,४१,६०० रुपये की आय हुई। [३१ अक्तूबर, १९५७ तक के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है]।

मंत्रालयों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन

†१२०९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ (दिसम्बर, १९५७ तक) विभिन्न मंत्रालयों ने टैक्सियों के भाड़े के रूप में कुल कितनी कितनी राशियों का भुगतान किया है ;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय के पास कितनी कितनी कारें, जीपें और अन्य वाहन हैं ; और

(ग) क्या इन वाहनों के इस्तेमाल का कोई हिसाब रखा जाता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) जी हां।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

१२१०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि १९५७ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के दौरों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): ८२६९ रुपए ७२ नए पैसे।

---

† मूल अंग्रेजी में

एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति

†१२११. **श्री सूपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति की सारी सिफारिशें मान ली हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति ने जो १०१ सिफारिशें की थीं उन सबकी प्रारम्भिक जांच पूरी हो गयी है। ६३ मान ली गयी हैं—५२ समिति द्वारा सिफारिश किये गये रूप में और ११ रूपभेदों के साथ। बदली परिस्थितियों के कारण ६ सिफारिशों के बारे में कोई विशिष्ट कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। शेष सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जीवन बीमा निगम के विनियोग

†१२१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने सरकारी प्रतिभूतियों, अंशों, ऋण स्टाकों आदि में २८ फरवरी, १९५८ को कुल कितनी पूंजी लगा रखी थी;

(ख) निगम ने सरकारी और गैर-सरकारी निकायों में २८ फरवरी, १९५८ तक कुल कितनी पूंजी लगायी थी; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में २८ फरवरी, १९५८ तक कुल कितनी पूंजी लगायी गयी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) सरकारी प्रतिभूतियों, अंशों, ऋण स्टाकों आदि में निगम द्वारा १ सितम्बर, १९५६ से २८ फरवरी, १९५८ तक लगायी गयी पूंजी का विवरण इस प्रकार है :

	पुस्त मूल्य
	रुपय
केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतिया . . .	४०,०२,६१,४७६
अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियां	१,७५,४३,५३२
डिबेन्चर ऋण स्टाक	१,३५,६७,०३५
प्रिफरेन्स अंश . .	२,९०,८५,३७८
साधारण अंश	१०,८९,७९,५१९
	५६,९४,३६,९४०

(ख) २८ फरवरी, १९५८ तक सरकारी और अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों में निगम ने १,७८,०५,००८ रुपये और सरकारी क्षेत्र में समवायों के अंशों में १,८३,६३२ रुपये की पूंजी लगायी है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल २८ फरवरी, १९५८ तक १५,१४,४८,३०० रुपये की पूंजी लगायी गयी है।

पंजाब में खनिज पदार्थ

†१२१३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि पंजाब में १९५७–५८ में पाये गये खनिज पदार्थों का निम्नलिखित ब्यौरा क्या था;

(१) खनिज पदार्थ का नाम ;

(२) उसका लगभग कितना परिमाण उपलब्ध है ; और

(३) कितना परिमाण निकाला गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** पंजाब में १९५७-५८ में पाये गये खनिज पदार्थों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(१) चूने का पत्थर और स्लेट। (२) और (३). धर्मकोट में सीमेंट ग्रेड की किस्म का ५० लाख टन चूने का पत्थर निकलने का अनुमान है। १९५७–५८ के लिये भारत के भूतत्वीय परिमाप का फील्ड-सीजन अब भी चालू होने के कारण लोहारू में चूने के पत्थर के सम्बन्ध में और फीरोजपुर झिरका में स्लेट के सम्बन्ध में की गयी जांच के परिणाम अप्रैल में सीजन समाप्त होने पर जांच करने वाले अधिकारियों के वापस आने पर ही मिल सकेंगे।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†१२१४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या सम्बन्धी नवीनतम आंकड़ों के प्राक्कलन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अनुसार तैयार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(१) उनकी कुल आबादी; और

(२) उपर्युक्त अधिनियम के पारित होने के पहले और बाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की आबादी कितनी कितनी थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** १ मार्च, १९५१ (जनगणना की तारीख) को अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों की जन संख्या के आंकड़ों के प्राक्कलन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३७) की धारा ४२ की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ में दिये गये उपबंध पंजाब पर लागू नहीं होते।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]

---

†मूल **अंग्रजी में**

पंजाब में स्मारक

†१२१५. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के परिरक्षण के सम्बन्ध में १९५८–५९ के लिय कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) क्या परिरक्षित किये जाने वाले प्रत्येक स्मारक के लिये अलग-अलग राशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ग). १९५८–५९ की बजट प्रस्थापनायें अभी मंजूर नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

दक्षिण केरल कुडुम्बी महाजन सभा

†१२१६. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की कुडुम्बी जाति के संघ दक्षिण केरल महाजन सभा से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उस जाति की कुछ मांगें दी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां।

(ख) इस अभ्यावेदन पर राज्य सरकार की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।

आई० सी० एस० अफसर

†१२१७. { **श्री दिनेश सिंह :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कितने आई० सी० एस० अफ़सर भारत सरकार की सेवा में हैं;

(ख) इन में से कितने वैदशिक-कार्य मंत्रालय के आधीन काम कर रहे हैं; और

(ग) इनमें से कितनों ने भारतीय वैदशिक सेवा के लिय इच्छा प्रगट की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १४६ (इनमें वह १६ अफसर भी शामिल हैं जो स्वायत्तशासी निगमों में काम कर रहे है)

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) ३४ ।

(ग) २८ ।

प्रतिरक्षा लेखा विभाग

†१२१८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा लेखा विभाग में लोअर डवीजन कल्कों के रूप में काम करने वाले ग्रजुएटों को अपर डिवीजन कल्कों में भरती के लिय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा लेखा विभाग में ग्रैजुएटों की अपर डिवीजन कल्कों में भर्ती के लिये कोई प्रतियोग्यता परीक्षा नहीं होती। यह भर्ती क्षेत्रीय काम दिलाऊ दफ्तर की मार्फत की जाती है। लेकिन काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों की जांच के लिय एक साधारण लिखित परीक्षा और इंटर्व्यू किया जाता है । जो ग्रैजुएट लोअर डवीजन कल्क नौकरी में हैं उन्हें काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखाने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें गैर-ग्रैजुएट लोअर डिवीजन कल्कों के साथ वरिष्ठना व योग्यता के आधार पर कल्कों की श्रेणी के अपर डिवीजन के उन स्थानों पर पदोन्नत किया जाता है जो पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं। यह बात सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप है ।

असिस्टेंट

†१२१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असिस्टेंट ग्रेड की जो परीक्षा जुलाई, १९५७ में हुई थी उसमें कितने व्यक्ति सफल घोषित किये गये हैं; और

(ख) कितने-कितने सफल व्यक्तियों को क्रमश: स्थायी और अस्थायी पदों पर नियुक्त किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि जुलाई, १९५७ में असिस्टेंट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें १९९१ अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त कर ली है । इसके अलावा अनुसूचित जातियों के ४५ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने योग्यता क्रम में निचले स्थान प्राप्त किये हैं और इनके बारे में भी आयोग ने यह सिफारिश की है कि इनकी परीक्षा फल के आधार पर सुरक्षित किये गये पदों पर नियुक्ति कर दी जाये । एक अभ्यर्थी का परीक्षाफल अभी आयोग द्वारा घोषित होना शेष है ।

(ख) परीक्षाफल के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों से असिस्टेंट ग्रेड के कितने स्थायी पदों की पूर्ति की जायेगी इसका निश्चय अभी नहीं हुआ है । परीक्षाफल के आधार पर अस्थायी पदों पर नियुक्तियां करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन याचिकायें

†१२२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के सम्बन्ध में पंजाब राज्य के निर्वाचन न्यायाधिकरणों को १९५७ में कुल कितनी निर्वाचन याचिकायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इनमें से कितनी निर्वाचन याचिकायें अभी निर्णयाधीन हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु

†**अध्यक्ष महोदय :** एक स्थगन प्रस्ताव है । १० मार्च को हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । इसी सम्बन्ध में यह स्थगन प्रस्ताव है । अब इस मामले की क्या स्थिति है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** हवालात में लगभग १२ बजे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । इसका पता उस समय लगा जब पुलिस दण्डाधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिये उसको लेने हवालात में गई । जिलाधीश को तुरन्त खबर दी गई तथा उनसे जांच की प्रार्थना की गई । तुरन्त जांच प्रारम्भ कर दी गई । कई गवाहियां ली जा चुकी हैं । पोस्ट मार्टम भी हो चुका है । डाक्टर की रिपोर्ट है कि संभवत: संखिया खा लेने से मृत्यु हुई है । उसके शरीर पर मार के कोई निशान नहीं थे । जांच अभी चल रही है । संभव है कि जांच का प्रतिवेदन मिलने पर हमें मामले की ओर जांच करनी पड़े ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस तरह की पहले भी मौतें पुलिस हवालात में हो चुकी हैं । उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक पुलिस हवालात में कमला नायर नामक सज्जन की मौत हो चुकी है और बाद में हमेशा एक पर्याप्त जांच कर के कह दिया जाता है कि इस तरह से यह मौत हो गई । पुलिस हवालात में मौत होने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार को ऐसे केसेज (मामलों) को लाइट हार्टेडली नहीं लेना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि जांच की जा रही है इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना सार्वजनिक हित या न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(१) भारतीय अर्सैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६२, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(२) भारतीय अर्सैनिक सेवा (गैर-यूरोपीयन सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ६३, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(३) भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ६४, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६५, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(५) भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६६, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ५८४/५८]

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८३, दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५८५/५८]**

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८४ दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५८६/५८]**

रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) नियम

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं सम्पदा-शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५ दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) नियम, १९५८ को एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५८७/५८]**

---

†मूल अंग्रजी म

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के क्रम की घोषणा करता हूं। चूंकि चर्चा के लिये आवण्टित सभा का अनुमोदन कल सभा में हो चुका है अतः अब मैं मोटे तौर पर बता सकता हूं कि किन-किन दिनों को कौन-कौन सी मांगें ली जायेंगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण से बाद में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना सभा को तुरन्त दे दी जायेगी।

क्रम तथा तिथि इस प्रकार हैं—

(१)	वाणिज्य तथा उद्योग	१८ तथा १९ मार्च।
(२)	शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा	१९ तथा २० मार्च।
(३)	स्वास्थ्य	२०, २१ तथा २४ मार्च।
(४)	सिंचाई और विद्युत्	२४ तथा २५ मार्च।
(५)	परिवहन तथा संचार	२५, २६ तथा २७ मार्च।
(६)	निर्माण, आवास और संभरण	२७ तथा २८ मार्च।
(७)	इस्पात, खान और ईंधन	३१ मार्च तथा १ अप्रैल।

†**अध्यक्ष महोदय**: शेष विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाय। इस प्रकार पढ़ कर सुनाया जाना आवश्यक नहीं है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

शेष विवरण जो सभा पटल पर रखा गया

(८)	खाद्य तथा कृषि	१ तथा २ अप्रैल।
(९)	सामुदायिक विकास	२ तथा ३ अप्रैल।
(१०)	सूचना तथा प्रसारण	३ तथा ५ अप्रैल।
(११)	प्रतिरक्षा	५ तथा ७ अप्रैल।
(१२)	श्रम और रोजगार	७ तथा ८ अप्रैल।
(१३)	वैदेशिक कार्य	९ अप्रैल।
(१४)	अणुशक्ति विभाग	१० अप्रैल,।
(१५)	पुनर्वास मंत्रालय	१० तथा ११ अप्रैल।
(१६)	गृह-कार्य मंत्रालय	११ तथा १४ अप्रैल
(१७)	वित्त मंत्रालय	१५ तथा १६ अप्रैल।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं *प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत को संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं रेलवे कर्मचारियों की एक शिकायत प्रस्तुत करता हूं और वह कर्मचारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में है । निलम्बन के काल से उस कर्मचारी का आधा वेतन रोक लिया जाता है और बाद में यदि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाता है और उसे सज़ा मिलती है तो शेष आधा वेतन भी उसे नहीं दिया जाता । इस प्रकार एक अपराध के लिये उसे दोहरा दण्ड दिया जाता है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे कर्मचारियों में बड़ी अशान्ति फैल रही है । इससे संविधान के उपबन्धों का भी उल्लंघन होता है ।

दूसरी बात मैं विभागीय न्यायाधिकरणों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इनमें ठीक न्याय नहीं हो पाता है ।

तीसरी बात उन कर्मचारियों के बारे में है जिनकी पहली सेवाओं को वरिष्ठता के लिये ध्यान में नहीं रखा जाता । सेवा में आने पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य व शरीर का परीक्षण किया जाता है और यदि वह सेवा काल में ही रोगी हो जाते हैं जो उन्हें छुट्टी ले कर अपना इलाज कराना पड़ता है । बाद में जब वह रोगी निरोग होकर सेवा में आते हैं तो उनकी बीमारी से पहले की सेवा को भविष्य निधि आदि के लिये तो जोड़ा जाता है पर परिष्टता के लिये नहीं जोड़ा जाता । यह बहुत बड़ा अन्याय है मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

मेरी अन्तिम बात यह है कि मृत रेलवे कर्मचारियों के माता-पिता तथा आश्रितों को मासिक वृत्ति दी जानी चाहिये क्योंकि कभी-कभी ये कर्मचारी दुर्घटनावश युवावस्था में अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह नई बातें नहीं है । सामान्य चर्चा तथा कटौती प्रस्तावों के समय लगभग ये सभी बातें उठाई जा चुकी हैं ।

जहां तक निलम्बन का प्रश्न है रेलवे कर्मचारियों पर भी लगभग वही नियम लागू होते हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं । निलम्बन के काल में उनको आधा वेतन दिया जाता है और तत्पश्चात् दण्ड दिया जाता है । सभी मामलों में ऐसा नहीं होता कि निलम्बन काल में वेतन न दिया जाये यह यदि निलम्बन बहुत लम्बे अर्से के लिये किया गया हो तो ऐसे मामलों में पूरा वेतन नहीं दिया जाता । सत्र लगभग उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के लिये हमने नियम तथा विनियमन बनाये हैं । और हमने दो बार अपील को अवसर देने की व्यवस्था कर ी है । मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता कि सभी रेलवे पदाधिकारी अन्यायी

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

[श्री जगजीवन राम]

होते हैं। श्री भरूचा के कथन से ऐसा लगता है कि रेलवे पदाधिकारियों से न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। यदि किसी कर्मचारी को न्यायाधिकरण के निर्णय के सम्बन्ध में सन्देह होता है तो उसे दो अपील करने की व्यवस्था है और इसके पश्चात् वह मंत्री से भी मिल सकता है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाना ठीक नहीं है।

बीमार रेलवे कर्मचारी की पहली सेवा के बारे में मुझे यही कहना है कि स्थायी रेलवे कर्मचारी के लिये वेतन सहित छुट्टी, अर्द्ध वेतन सहित छुट्टि तथा बिना वेतन छुट्टी की व्यवस्था है। केवल अस्थायी कर्मचारियों के बारे में कठिनाई रह जाती है। परन्तु १ वर्ष से अधिक सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिये भी छुट्टी की पर्याप्त व्यवस्था रखी गयी है।

तपेदिक के रोगियों के लिये हमने विशेष छुट रखी है। जितनी छुट्टी उनको मिल सकती है उतनी छुट्टी उनको दी जाती है और ठीक होने पर उन्हें फिर रख लिया जाता है और उनकी सेवा भंग नहीं समझी जाती। पर जब वह बहुत अवधि तक बीमार रहते हैं और उनकी सारी छुट्टी खतम हो जाती है तो उनकी सेवा भंग मानी जाती है। फिर वे रेलवे के कर्मचारी नहीं रह जाते। पर ठीक होने पर उदारता के दृष्टिकोण से उन्हें पुनः नियुक्त कर लिया जाता है और उनकी सेवा नये सिरे से मानी जाती है। भविष्य निधि के लिये उनकी पहली सेवा गिनी जाती है पर अन्य प्रयोजनों के लिये उनकी पुरानी सेवा को नहीं गिना जाता क्योंकि वे नये सिरे से नियुक्त कर्मचारी माने जाते हैं।

जो अन्तिम नई बात श्री भरूचा ने बताई है उस पर विचार किया जा सकता है। यह सुझाव मैं ने रेलवे फेडरेशन को दिया है। निवृत्ति वेतन योजना लागू हो जाने के पश्चात् कर्मचारियों के परिवारों को, कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा के कुछ भाग के अनुसार निवृत्ति वेतन दिया जायेगा। परन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें कर्मचारी निवृत्ति वेतन के अधिकारी होने के पूर्व ही मर जायें। इसके लिये केवल एक रास्ता है छोटी आयु के कर्मचारियों को बीमा कराने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। निवृत्ति वेतन योजना को अपनाने वाले कर्मचारियों के लिये भी मैं भविष्य निधि अनिवार्य कर रहा हूं। इस प्रकार चाहे उनकी भविष्य निधि में सरकार का अंश न हो परन्तु फिर भी उनकी भविष्य निधि तो होगी ही। मैं ने भविष्य निधि में से वर्ग बीमा योजना की संभावना पर विचार करने के लिये भी कहा है। अकाल मृत्यु होने पर बीमा का धन उनके परिवार की सहायता कर सकेगा। मैं भी उत्सुक हूं कि इस प्रकार की कोई योजना लागू हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २, ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, २, ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

— —

सामान्य आयव्ययक, १९५८-५९ सामान्य चर्चा--(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९५८-५९ के सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रखेगी । श्री मुहीउद्दीन अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (सिकन्दराबाद) : इस आय-व्ययक को एक चलताऊ बजट कहा गया है । मैं समझता हूं कि इसे गतिहीन या निरपेक्ष बजट कहना अधिक उपयुक्त होगा या इसे हम 'तेल देखो तेल की धार देखो' बजट भी कह सकते हैं ।

१९५८ की आर्थिक स्थिति के बारे में यह कहा गया है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रगति के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार कर रहा है । इसी प्रकार विदेशी विनिमय की स्थिति के बारे में भी एक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । मैं समझता हूं हमें ये सब वस्तुयें आयव्ययक पत्रों के साथ मिलनी चाहियें थीं ताकि हम चर्चा करते समय उनका अधिक लाभ उठा सकते ।

आज हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में एक भारी असन्तुलन पैदा हो चुका है । पिछले डेढ़ वर्ष से खाद्यान्नों की कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं । खाद्यान्नों के संभरण की अपेक्षा उनकी मांग अधिक बढ़ती जा रही है । निजी क्षेत्रों में पूंजी के अधिक विनियोजन व घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण कीमतों की वृद्धि अधिकाधिक बढ़ रही है । सूखे के कारण इस वर्ष देश में १९५६-५७ की अपेक्षा कम अन्न पैदा होने की आशा है । निजी तथा स्वेच्छापूर्वक बचत की भी उतनी राशि नहीं इकट्ठी हो रही है जितनी कि हम आशा करते हैं । हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि हम अपने विकास कार्यों को पूर्ववत चालू रखना चाहते हैं तो हमें देश का उत्पादन व बचत बढ़ाने व विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता ने कल कहा था कि आयव्ययक भाषण व आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों में कुछ परस्पर विरोधात्मक बातें हैं । मैं इस बात में उन से एक काफी सीमा तक सहमत हूं । वर्तमान असन्तुलन को दूर करने के लिये हमें कुछ सीधी व स्पष्ट कार्यवाही करनी चाहिये । हमें गंभीरता से सोचना चाहिये कि हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन पिछले छः महीनों में क्यों गिर गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें विदेशों से माल अर्द्धनिर्मित पदार्थों व मशीनरी लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये हमें विदेशी मुद्रा चाहिये जिस की कि हमारे पास कमी है। इस प्रकार वर्तमान विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए बहुत सम्भव है कि हम १९५८ में भी देश का औद्योगिक उत्पादन न बढ़ा सकें। ऐसी दशा में हमारी आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

तब फिर इसका क्या इलाज है ? इसके लिये जैसे कि श्री अशोक मेहता ने कहा है हमें 'मितव्ययता' पर अधिक बल देना चाहिये। श्री डांगे, श्री सोमानी व 'स्वतंत्र व्यवसाय वर्ग' की ओर से यह कहा गया है कि हमें वर्तमान विनियोजन के अतिरिक्त अब और कोई अधिक विनियोजन नहीं करना चाहिये। उनका कहना है कि हमारी अनेक कठिनाइयों का कारण यह अधि-विनियोजन ही है। किन्तु देश यह निश्चय कर चुका है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना को अवश्य पूरा करेगा। इसलिये यह सुझाव कैसे माना जा सकता है। हम 'वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ' तथा 'स्वतंत्र व्यवसाय 'वर्ग' द्वारा बार-बार जो सुझाव दिये जा रहे हैं उनसे यह मालूम होता है कि हमारे देश में कठिनाइयों को हल करने के लिये अपेक्षित विचारशक्ति का ह्रास हो चुका है।

मैं समझता हूं अधिक उत्पादन, कम खपत व अधिक बचत के अतिरिक्त हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रयोग में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्थिति में अधिक सुधार आता नहीं दिखाई देता हो तो सरकार को सीधे नियन्त्रण लगाने का विचार करना चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मैं समझती हूं यह एक यथार्थवादी आय व्ययक है। इसमें प्रत्येक स्थिति का ध्यान रखा गया है। देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूं कि इस समय हमारे लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था नित्तान्त आवश्यक है। बजट भाषण में तथा 'आर्थिक पुनरीक्षण' में देश की सारी आर्थिक स्थिति का सही सही अंकन किया गया है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां अमरीका व ब्रिटेन की तुलना में कीमतों में कम वृद्धि हुई है। हमें इस बात से सन्तुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। कीमतों की तुलना करते समय रहन-सहन के स्तर व राष्ट्रीय आय के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिये। हिन्दुस्तान में थोड़ी सी वृद्धि से भी उन देशों की अधिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिये हमें घाटे की अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ नियन्त्रण लगाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

बजट प्रस्तुत करने की विधि में भी सुधार होना चाहिये। बजट केवल वार्षिक आय-व्ययक का लेखा ही नहीं है। उसमें देश की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्रम निहित रहते हैं। अतः आयव्ययक पत्रों में विभिन्न विभागों की अनुदानों की मांगों के साथ साथ हमें उस विभाग द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य व उसमें कितनी सफलता हुई तथा उस कार्य पर कितना व्यय किया गया इन सब बातों का पृथक पृथक विवरण दिया जाना चाहिये तभी यह सभा सरकार के आय व्यय पर सही अर्थों में निगरानी रख सकती है। हमें इस समय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों व स्वायत्त निकायों के बारे में जितनी सामग्री दी जाती है वे नित्तान्त अपर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

‹Forum of Free Enterprise

ऐसे निकायों के प्रबन्ध के बारे में मैं एक बात और कहना चाहती हूं। इनको अपनी आन्तरिक व्यवस्था में पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। इन निकायों के चेयरमेन अथवा निर्देशक मंडल का नीति सम्बन्धी मामलों में मंत्री से सीधा सम्पर्क होना चाहिये। मंत्री को अपने सचिवालय को उनके प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये तथा मंत्री नीति सम्बन्धी जो भी निदेश दे वह लिख कर दे।

प्राक्कलन समिति ने सोलहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि हमें देश में एक औद्योगिक प्रबन्धक सेवा का संगठन करना चाहिये। इसके कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा सकती है। किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों के लिये हमें अपनी वर्तमान सेवा में से ही अधिकारी लेने पड़ेंगे। किन्तु हमें इन दोनों सेवाओं का स्तर एक समान रखना चाहिये ताकि अनुभवी प्रशासकों को उस सेवा में जाने में कोई संकोच न हो। परन्तु जो लोग अधिक अच्छा कार्य करें उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करना चाहिये ताकि वे उधर जाने को स्वयं लालायित हों। एक बात और है जो अधिकारी प्रशासकीय सेवा से औद्योगिक सेवा में जायें उनका पहली सेवा से कोई सम्बन्ध अथवा धरणाधिकार नहीं रहना चाहिये ताकि वे नई सेवा में अपना काम वफादारी से और दिल लगाकर करें। सरकार को ऐसी सेवा के निर्माण के लिये शीघ्रता करनी चाहिये।

वित्त निगम ने राज्यों के संसाधनों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार ने दूसरे वित्त निगम की सिफारिशों को एक पंचाट के रूप में माना था। किन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहा कि वे केन्द्र द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों पर जितना ब्याज बैठता है उसको उन्हें अपने वर्तमान आय-व्ययक में सम्मिलित कर लेना चाहिये। इससे राज्यों को बड़ी कठिनाई हो गई है। खास कर पश्चिमी बंगाल की सरकार को इसी कार्य के लिये अपना आय-व्ययक स्थगित करना पड़ा है।

पश्चिमी बंगाल की विधान-सभा की सभी पार्टियों ने अभी एक मांग रखी थी कि वित्त आयोग ने आय कर के राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार के बीच बटवारे के बारे में जो यह सिफारिश की है कि उसका ९० प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत संग्रह राशि के आधार पर बांटा जाये इस सिफारिश में पश्चिमी बंगाल सरकार को कुछ विशेष छूट दी जाये। उसकी जनसंख्या विभाजन के कारण इधर उधर बंट गई है। इस लिये वह सरकार यह चाहती है कि उसे विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च करने के लिये राज्य में से इकट्ठा होने वाले आयकर को अधिक राशि दी जानी चाहिये। उनकी यह मांग सर्वथा उचित है। मैं समझती हूं केन्द्रीय सरकार उनकी इस मांग पर सहानुभूति से विचार करेगी।

हमारे यहां करों के बंटवारे का ढांचा इस प्रकार का है कि इस में बड़ी कठिनाई से संग्रहीत किये जाने वाले करों की राशि का एक बड़ा भाग व्यर्थ में व्यय हो जाता है और राज्य सरकारें केन्द्र की सहायता पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है। हमें इसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिये। हमें इस सम्बन्ध में प्रशासकीय व्यवस्था में शीघ्र ही आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें तथा सभी प्रक्रिया सम्बन्धी अड़चनों को दूर करने का शीघ्र प्रयत्न करना चाहिये। हमें अपने सभी साधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करने के लिए अपनी मुख्य नीति सोच विचार कर बनानी चाहिये। हमें प्रत्येक विस्तृत विवरण पर भी आवश्यक विचार करना चाहिये। किन्तु हमें विस्तारों के पीछे इतनी अधिक माथा-पच्ची नहीं करना चाहिये कि यह हमारी प्रगति में एक बाधा बन जायें। मैं नहीं समझती की जब हमारी नीति ठीक हो तथा प्रत्येक विस्तृत कार्य भी भली भांति से सोच विचार कर रखा गया हो फिर यदि बाद में कहीं पर एक आध विवरण में कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाय तो वह सारी व्यवस्था पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आय-व्ययक का समर्थन करती हूं :

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सबसे पहले मैं आय-व्ययक की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। आय-व्ययक भाषण के साथ हमें १९५७-५८ की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी पुनरीक्षण के रूप में दिया जाता है। और कल हमें 'आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण' नामक विवरण भी बांटा गया है। किन्तु इस सबसे हमें देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक हमें देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि नहीं बताई जाती है हम इस आय-व्ययक की कैसे आलोचना कर सकते हैं ? ब्रिटेन में इसके लिये एक स्वतंत्र 'आर्थिक परिषद्' है। वह प्रति छः मास के बाद देश की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक दिग्दर्शन प्रकाशित करती रहती है। इस प्रकार वहां के सदस्यों को सब बातों का साथ साथ ज्ञान होता रहता है। अमेरिका में भी ऐसी पद्धति है। हमें जो पत्र दिये गये हैं उनमें सूचना मात्र है। इनमें आंकड़े तो हैं किन्तु उनका किसी प्रकार से विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अशोक मेहता समिति में भी इस त्रुटि की ओर निर्देश किया गया है कि इन आंकड़ों से कुछ पता नहीं चलता कि किस कार्य के लिये कौन उत्तरदायी है। इनसे ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता कि जब मंत्रालय कुछ निर्णय करता है तो फिर दूसरी बात कैसे हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी किस पर है। इसलिये हमें इस पुरानी पद्धति को बदलना चाहिये। हमें केन्द्र के आय-व्ययक के साथ राज्य सरकारों के आय-व्ययकों का भी संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण दिया जाना चाहिये ताकि हमें ज्ञान हो सके कि वे अपने क्षेत्रों में क्या कर रही हैं।

इस आय-व्ययक में बेरोजगारी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सरकार ने अपनी गलतियों को छिपा कर अपने उत्तरदायित्व को टालने का प्रयत्न किया है।

हम लोगों को पंचशील और सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों की शिक्षा देते फिरते हैं किन्तु हमने अपने देश में स्वयं आर्थिक शीत युद्ध की सी परिस्थिति पैदा कर रखी है। आज बड़े बड़े पूंजीपति सरकार को अपनी मांगों का मांग पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नये कर लगाने के प्रस्ताव वापस लिये जायें। अमुक अमुक कर इतना कम होना चाहिये। यह सब कैसा रवैया है ? आज सामान्य लोग शान्त हैं किन्तु कुछ निहित स्वार्थी लोग ऐसी मांगें कर रहे हैं। हमारे पूर्व वित्तमंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने इस शीत युद्ध को समझा था। उन्हों ने इसे दूर करने के लिये उपाय भी सुझाये थे। मैं उनकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करूंगा।

हमारे देश के पूंजीपतियों को सरकार के प्रति बड़ा द्वेष है। वे लोग करों के अपवंचन के लिये बड़े कूट तरीके अपना रहे हैं। 'सम्पत्ति कर' के अपवंचन से देश को कितनी राशि से वंचित किया गया है इस बात को प्रतिपक्षी दल के अनेक सदस्य जानते हैं। वे अपना दिल टटोल कर देख सकते हैं कि उनके दल के सदस्यों ने इसके लिये क्या क्या नहीं किया है।

श्री म० प्र० मिश्र (बेगूसराय) : क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने सम्पत्ति कर का अपवंचन किया है ?

†**श्री खाडिलकर** : वे पर्याप्त ख्याति प्राप्त हैं। उन्हें अब चैन से स्वर्ग का आनन्द लूटने दीजिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मगर वह दल का नाम क्यों बीच में लाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे प्रसंगों में दलों का नाम बीच में न लाया करे। हर दल में सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति के चोरी करने पर आप किसी दल को चोरों का दल नहीं कह सकते हैं।

†**श्री खाडिलकर**: यदि निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र का वर्तमान वैमनस्य बना रहा तो लोगों को एक दिन स्पष्ट बताना होगा कि वे किस क्षेत्र को अच्छा समझते हैं। श्री देशमुख ने 'मिश्रित आर्थिक व्यवस्था' के सम्बन्ध में यह कहा था कि मैं यह नहीं समझता हूं कि "यही व्यवस्था एक मात्र उत्तम व्यवस्था है"। उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि "शायद इसे प्रयोगात्मक आधार पर अपनाया गया है"। निजी क्षेत्र के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए मैं समझता हूं कि अब फिर ऐसा समय आगया है कि हम यह सोचें कि आया यह व्यवस्था हमारे लिये हितकर है अथवा नहीं। हमें इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिये। उन्होंने ऐसी स्थिति में सभी लाइसेंस देने रोक दिये और कुछ लाइसेंसों को वापस जमा करवा लिया। क्या हमारी सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज निजी क्षेत्र सभी सरकारी उद्योगों के विरुद्ध हैं। वह राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध है। वह समाजिक सेवाओं का विस्तार नहीं होने देना चाहता है। सरकार को श्री देशमुख की पूर्व चेतावनी का ध्यान रखना चाहिये और समय रहते उचित कार्यवाही करनी चाहिये। यदि आप ऐसे निहित स्वार्थी लोगों की खुशामद करेंगे या उनको खुश करने का प्रयत्न करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आप से आप की इस कायरता का उत्तर मांगेंगी।

अब मैं प्रतिरक्षा व्यय की ओर आता हूं। १९५२–५३ में हमारा प्रतिरक्षा व्यय १७९.५२ करोड़ रुपये था। आज यह उससे लगभग १०० करोड़ रुपये अधिक बढ़ गया है। आज विश्व में शान्ति की स्थिति है। भारत की विदेशी नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली है। उसका मान विश्व के चारों कोनों में बढ़ गया है। फिर उसको पाकिस्तान सरकार से, जिसने कि अभी अपने देश में चुनाव तक नहीं करवाये हैं, कैसा डर है, मैं नहीं समझता कि वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर सकता है। मेरा निवेदन है कि हम प्रतिरक्षा पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर रहे हैं। हमें इस व्यय को कम करके उसे विकास कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिये।

भारत जैसे पिछड़े हुए देश में कृषि की उन्नति के बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती है। अभी हमारा भूधारण विधान वैसे ही त्रुटिपूर्ण है जैसा कि वह पहले था। देश में खाद्यान्नों की कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इस सब का कसूर किस पर है ? हमने दो प्रतिनिधिमंडल चीन भेजे। मगर क्या हमने उनसे कुछ सीखा है ? हमें एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत किसान को अपनी उपज पर व्यय की जानी वाली राशि का एक न्यूनतम भाग देने का पूरा आश्वासन दिया जाये। आज कृषि के क्षेत्र में सर्वत्र अराजकता फैल रही है। उनके समाजिक सम्बन्ध विच्छेद हो रहे हैं किन्तु उनके स्थान पर उनके साथ कोई नया सम्पर्क नहीं स्थापित किया जा रहा है। हम प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के आयात पर १०० करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में देश की कोई उन्नति हो सकती है ?

कपड़ा उद्योग की स्थिति भी आज बड़ी विकट हो रही है। १५–२० मिलें बन्द हो चुकी हैं। २५,००० मजदूर बेकार हो गये हैं। तिस पर मुझे पता चला है कि अभी उनमें बड़े बड़े स्टाक जमा पड़े हैं। और इस पर भी हम कपड़े पर इतना उत्पादन शुल्क बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं अब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

हम खद्दी के कपड़े पर भी उत्पादन शुल्क लगाने जा रहे हैं। इससे उन गरीब लोगों की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो सूती मिलों से दूर ग्रामों में इनके द्वारा अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं। सरकार को इन बन्द होने वाली २० मिलों के बारे में एक समिति नियुक्त करनी चाहिये कि ये सब मिलें क्या करती रही हैं? क्या ये सब उपभोक्ताओं के हितों के लिये कार्य करती रही हैं या प्रबन्धकों एवं उत्पादकों के हितों के लिये ?

योजना को देखने से ऐसा लगता है जैसे हमारा सब दारोमदार विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति से हमें अपनी निर्यात से अधिक आय होने की आशा नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सर्वत्र कीमतें घटती जा रही हैं। इस स्थिति का कैसे सामना किया जाये ? मैं समझता हूं कि सरकार को सम्पूर्ण आयात निर्यात व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये। कुछ एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाथ में रहने पर हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कभी नहीं सुधर सकता है।

आप योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। आप कुछ सोचते हैं और लोग उसको दूसरी तरह देखते हैं।

भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता के समक्ष एक ही भावना थी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आयेगा। जीवन और स्वतंत्रता के नये मार्ग खुलेंगे। यदि कांग्रेस दल ने इस ओर ध्यान न दिया तो आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। आर्थिक पहलू के साथ साथ उसका राजनीतिक पहलू भी है। यदि श्री जवाहरलाल नेहरू चाहें तो कठिनाइयों के बावजूद योजना के लिये सभी साधनों को एकत्रित कर सकते हैं और उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ देश की औद्योगिक प्रगति भी हो सकती है और समाजवादी निर्माण का आधार बनाया जा सकता है।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत आयव्ययक में दोष बताना कोई शोभा की बात नही, परन्तु कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर ऐसा करना ही पड़ रहा है। 'आर्थिक सर्वेक्षण', जो कि सदस्यों में बांटा गया है, से भी यही प्रकट होता है कि उत्पादन के मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। आशा तो यह थी कि अब तक सूती वस्त्र के उत्पादन की सीमा ७०,००० गज़ पहुंच जाती परन्तु यह अभी ४४,००० गज़ पर ही है। खाद्य-उत्पादन का स्तर भी आशा के अनुसार नहीं बढ़ पाया है और वह जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात के अनुसार बढ़ भी नहीं रहा है। ऐसी दशा में, कैसे कहा जा सकता है कि हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी कल्पना हम ने द्वितीय योजना के पूरे होने के समय के बारे में की थी। योजना का तीसरा वर्ष बीत रहा है परन्तु लक्ष्य प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती। केवल थोड़ी सी नदी घाटी योजनाओं तथा संयन्त्रों से काम नहीं चल उकता। आवश्यकता इस बात की है कि सम्पत्ति के उत्पादन की वृद्धि की जाये क्योंकि समृद्धि तो उसी से ही प्राप्त होगा। परन्तु उसकी कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है।

आय-व्ययक निर्माण के ढंग के बारे में भी मुझे विशेष तौर से शिकायत है। इसमें अनुमानित आय-व्यय का ठीक विवरण नहीं दिखाया जाता और यह शिकायत गत चार वर्षों से की जा रही है। एक वर्ष ३२ करोड़ का घाटा दिखाया जाता है, तो कार्यान्वित करने पर वह बचत का आय-व्ययक

---

†मूल अंग्रेजी में

निकलता है। और यदि बचत दिखाई जाती है तो वह घाटे का निकल आता है। इन आंकड़ों को अधिकृत नहीं कहा जा सकता। इससे कराधान के सम्बन्ध में काफी अन्तर पड़ जाता है। कई बार कर लगाने के बाद यह पता चलता है कि इन करों के बिना भी काम चल सकता था। यही हालत योजना की है। योग्यता तो इसी में है कि प्रत्येक बात निश्चित ढंग से की जाय। परन्तु अवस्था इसके विपरीत है। एक इस्पात संयंत्र का अनुमान १०० करोड़ का किया जाता है परन्तु समाप्त होते होते उस पर १७० करोड़ खर्च हो जाते हैं। भाखड़ा पर खर्च का अनुमान ९० करोड़ था, अब वह १८० करोड़ है। इसी प्रकार सभी स्थानों पर मूल रूप में निर्धारित आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है। इस समय विनिमय की कमी अनुभव की जा रही है, परन्तु क्या सरकार को या योजना बनाने वालों को पता नहीं था कि आयात की इतनी अधिक अनुज्ञप्तियां जारी करने पर यह संकट पैदा हो जायेगा। और यही योजना का दोष है जिसका कि मैं उल्लेख कर रहा हूं।

गत वर्ष आय-कर के सम्बन्ध में छूट की सीमा को ३००० से बढ़ा कर ३६०० कर देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। २५० रुपये मासिक कमाने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ यह भारी अन्याय है। अभी यह भी तय हुआ था कि २५० रुपये तक वेतन पाने वालों को ५ रुपये का और भत्ता दिया जाये। फिर भत्ता देने योग्य लोगों पर कर लगाना कहां तक उचित है? कुछ लोगों का कहना है कि योजना के लिए सब लोगों को बलिदान करना चाहिए। सत्य यह है कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह योजना के लिए क्या क्या बलिदान कर रहा है।

उत्पादन शुल्क के रूप में हम २६० से ३०० करोड़ तक प्राप्त कर रहे हैं। यह लोगों की जेबों से ही आता है। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में कहता हूं कि यह सीमा ४२०० रु० कर दी जानी चाहिए।

कहा गया है कि इंग्लैंड में छूट की सीमा इससे कम है, परन्तु वहां की स्थिति भी यहां की स्थिति से भिन्न है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था उनके बिलकुल विपरीत है। इसके अतिरिक्त जो सुविधायें वहां लोगों को उपलब्ध हैं वे यहां कहां हैं। इस लिये यह सीमा ४२०० पये तक कर देने की मांग उचित ही है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष योजना व्यय के व्यर्थ खर्चे को रोकने के बारे में जो कुछ कहा गया था, उसकी ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस वर्ष हम सेवाओं पर गत वर्ष से १०० करोड़ रुपया अधिक खर्च कर रहे हैं। जनता ने तो ८०० करोड़ की व्यवस्था कर ही दी है और यह नहीं कहा जा सकता कि जनता मदद नहीं कर रही है। गरीब जनता भी योजना की सफलता के लिये अपना अंशदान प्रस्तुत कर रही है। इसके बाद यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस मामले में भी सचेत रहे कि इस प्रकार एकत्रित किये हुए धन का दुरुपयोग न हो। हम ८०० करोड़ केन्द्र स्तर पर, १००० करोड़ रेलवे पर और लगभग इतना ही राज्य सरकारों के स्तर पर खर्च करेंगे। योजना से सम्बन्धित परियोजनाओं पर खर्च का अनुमान भी ५०० से ६०० करोड़ रुपया है। कुल मिला कर इस व्यय को यदि दो, तीन अथवा चार प्रतिशत कम करने का प्रयत्न किया जाय तो काफी गुंजाइश निकल सकती है। कम से कम ६०, ७० करोड़ की बचत हो सकती है। मैं योजना के कांट छांट के पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि फजूल खर्ची को रोका जाय। यदि इस प्रकार के खर्चीले प्रकाशन ही बन्द कर दिय जायें जिनका कुछ लाभ नहीं होता तो लगभग ५० लाख की बचत हो सकती है। गोष्ठियों, सम्मेलनों, कविदरबारों इत्यादि पर खर्च की जाने वाली राशि को बचाना चाहिये। यात्राओं पर अनुचित तौर पर किये जा रहे खर्चों को भी रोका जाय। प्रत्येक पैसे को ठीक ढंग से प्रयोग किया जाय ताकि जनता को कोई आपत्ति करने का अवसर न मिले।

इस वर्ष कोई नया शुल्क अथवा कर नहीं लगाया गया। इतना ही काफी नहीं है। कई बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। देश में बढ़ रही बेकारी के प्रति सरकार की नीति क्या है?

[श्री च० द० पांडे]

यह बड़ी गम्भीर समस्या है, हजारों शिक्षित युवक नोकरी की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं । आम लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि बिना पहुंच वाला व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है । यह उन शिक्षित ुवकों की अवस्था है जिनका यह अधिकार है कि इस कल्याणकारी राज्य में उन्हें कोई-न-कोई काम अवश्य दिया जाय । इसका आय-व्ययक में कोई उल्लेख ही नहीं है । हमारी सफलताओं की शानदार कहानी ठीक है, परन्तु हम यह भी तो जानना चाहते हैं कि शिक्षित बेकारों के लिए क्या किया जा रहा है । प्रकट में तो यही है कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न है कि आवास के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में हर राज्य में शोर मच रहा है । अवस्था यह है कि दिल्ली में नौकरी तो उपलब्ध हो जाती है पर घर नहीं मिलता । लखनऊ, बरेली अथवा अन्य ऐसे स्थानों का भी यही हाल है । गैर-सरकारी तौर पर भी मकान अब नहीं बन रहे, किरायाखोर लोगों का धन्धा तो लगभग समाप्त हो गया है । परन्तु फिर भी सरकार इस समस्या की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है । इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सम्पदा शुल्क में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, और इसकी सीमा भी ५०,००० कर दी गयी है । इसका परिणाम यह होगा कि कई सुखी लोग दुःखी हो जायेंगे । एक व्यक्ति, जिसको मकान से केवल १०० रुपये मासिक की आय होगी उसके उत्तराधिकारियों से भी उसकी मृत्यु पर सम्पदा शुल्क लिया जायगा । इस ५० लाख के लिए १०, १५ हजार व्यक्तियों पर कर लगा कर परेशान करना कोई उचित बात नहीं । और यह ५० लाख भी १४ राज्यों में बांटना होगा । इसलिए मेरी जोरदार मांग है कि इस की सीमा को ५० हजार से बढ़ा कर एक लाख कर देना चाहिये ।

दानकर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं । पत्नी को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये । जिन लोगों को सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिलना हो उनको दिये जाने वाले दान पर छूट देने की बात गलत है । गरीब लोगों को दान दिया जा सकता है । धनी व्यक्तियों द्वारा परस्पर दान देने व लेने की प्रणाली बन्द होनी चाहिये और इस पर भारी कर लगना चाहिए । उत्तराधिकारी को दिये जाने वाले दान पर कर लगना चाहिऐ, अन्यथा इस बहाने खूब अपवंचन किया जायगा । इसके साथ ही धनी द्वारा किसी गरीब को दिये गये दान पर कर नहीं लगना चाहिए ।

अन्त में मेरा कहना है कि बेकारी और आवास की समस्या तथा सामूहिक खर्चे में बचत करने के मामलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : हमें स्थिति का पूर्ण आभास है । इसी आभास के कारण ही प्रत्येक गरीब और अमीर ने गत वर्ष इन भारी करों को सहन कर लिया था । अब की बार भी उन करों को कायम रखना ही ठीक समझा गया है । गरीब लोगों के लिए इससे बचना कठिन था । अमीर शोर तो करते रहे परन्तु उनका अपवंचन भी जारी रहा । आय कर की वसूली शायद कुछ मामूली अधिक हो जाय । सभी लोगों ने योजना की सफलता को समक्ष रखते ये करों के भार को सहन करना स्वीकार कर लिया है ।

निस्सन्देह आज हमारी योजना और कार्यक्रम का आधार बहुत ठोस है इस बात को देश और विदेश दोनों स्थानों पर माना जा चुका है । यह बात भी गलत है कि केवल अमेरिका ने ही हमारी सहायता की है, संसार के सभी देश हमारी सहायता को तैयार हैं । हम उन सब के आभारी

†मूल अंग्रेजी में

हैं । हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी देशों ने हमारे हालात का अध्ययन किया है और वे सभी हमारी आर्थिक और विदेश नीति को भली भांति समझने लगे ।

हमारी योजना और कार्यक्रम तो ठोस हैं परन्तु उनके कार्यान्वित किये जाने के ढंग में भारी दोष है । इस समय आप खाद्य समस्या की ही बात लीजिये । यह बड़ी गम्भीर समस्या है और स को हल करने के लिये सभी प्रयत्नशील हैं । विभिन्न राज्यों के कृषिक्षेत्रों में स बारे में काफी कमी हुई है । परन्तु इस सम्बन्ध म जो राशि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को दी गयी थी उसका भी पूरा प्रयोग नहीं किया गया है । जो कुछ होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ । हमने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं किया अतः कई प्रशासनिक भूलों और असफलताओं का सामना करना पड़ा । योजना के कार्यान्वित होने में काफी बाधायें उपस्थित हुईं । सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देना ही चाहिए ।

हमने ामीण तथा कृषि क्षेत्रों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बा ें की हैं, परन्तु काम बहुत ही कम हुआ है । सामुदायिक परियोजनाओं और लघु उद्योगों के बारे में कु विशेष कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया । यदि हम ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर समुचित ध्यान न दिया ो सन्तुलन अवश्य बिगड़ जायेगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । हमारे ामीण लोग योजना को कार्यान्वित करने में सब से अधिक योग दे रहे हैं और उनकी ही सब से अधि उपेक्षा की जा रही है । यदि यह उपेक्षा जारी रही तो देश की अर्थ व्यवस्था में काफी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । सरकार ने अपनी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दी है । देश की अर्थ व्यवस्था में गैर सरकारी क्षेत्रों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है और उन्हें ससे सन्तोष करना चाहि । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भी सरकारी क्षेत्र में ही ४० प्रतिशत की कमी आयी थी । द्वितीय योजना में भी सरकारी क्षेत्र ही बहुत बुरी तरह ीछे है । इसके बावजूद गर सरकारी क्षेत्रों में रियायतों और प्रोत्साहनों की मांग हो रही है ।

हो सकता है कि कुछ उद्योगों को अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़े । इसके कई कारण हो सकते हैं । अंशों की दरों में कमी का कारण गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा यह कर बताये जा रहे हैं । यह बात काफी सीमा तक ठीक है और उसका परीक्षण किया जाना चाहिए । परन्तु मेरे विचार में दाम अब अपने सामान्य स्तर पर आ गये हैं । करों के अतिरिक्त इस गिरावट के और भी कई कारण हैं, और गैर सरकारी क्षेत्रों को उस दिशा की ओर भी देखना चाहिए, और उनका समुचित नियन्त्रण किया जाना चाहिए ।

अब एक यह मनोवृत्ति बन रही है कि बड़े उद्योग को तोड़ कर छोटे उद्योग बना दिये जायें, परन्तु मालिक उनके बड़े उद्योगपति हों । यह बड़ी खतरनाक बात है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना ही चाहिए । सरकारी क्षेत्र में भी अभी तक यह पता नहीं चल सका कि इस . क्षेत्र को विकसित करने का उत्तरदायित्व किस का है और इसका समन्वय किस प्रकार किया जा सकता हैं । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि महा लेखापरीक्षक ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं । उनका कहना है कि राष्ट्रीय उपक्रमों और राष्ट्रीय उद्योगों के नियन्त्रण का काम कई मंत्रालयों के सुपुर्द किया गया है । इससे पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता और उत्पादन क्षेत्र में एक ही नीति के अनुसार कार्य करना सम्भव नहीं प्रतीत होता । इग्लैंड में भी ऐसा नहीं है ।

अब प्रश्न यह है कि पांच वर्ष के बाद सरकारी क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी होगा ? यदि उत्तरदायित्व सरकार का है तो इसे एक ही मंत्रालय के सुपुर्द क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि इसका समुचित समन्वय हो सके । सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्ण विचार करना चाहिए ।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मैंने तो प्रारम्भ में ही कहा था कि योजना को ठीक ढंग से कार्यन्वित नहीं किया जा रहा है। इस मामले में हमें क्रान्तिकारी पग उठाने ही होंगे। कई कारणों से हमारा प्रशासन का खर्चा बढ़ गया है। इस खर्चे में कम से कम १० से २० प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुधार आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि २ करोड़ रुपये का आवर्तक व्यय बचाया जा सकता है। राजस्थान म भी हमने देखा है कि काफी बचत की जा सकती है। आयोजित अर्थ व्यवस्था के लिए समुचित नियन्त्रण बड़ा ही आवश्यक है। परन्तु हमारे हालात नियन्त्रण के पक्ष में नहीं है। हमारे स्वर्गीय किदवई साहब ने तो नियन्त्रण द्वारा किये थे। उन्हें प्रशासन की व्यवस्था पर विश्वास था। और अब भी हमें इन नियन्त्रणों से बचना ही चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जिस असल बात पर बोलना चाहता हूं उस पर आने से पहले आपकी इजाज़त से दो तीन बातों के ऊपर जोकि फाइनेंस बिल और बजट से ताल्लुक रखती हैं, अर्ज करना चाहता हूं।

अभी इस हाउस में श्री सी० डी० पांडे और दूसरे मैम्बर साहिबान ने एस्टेट ड्यूटी के बारे में कहा है। मैं भी इसके बारे में दो तीन बातें इशारतन अर्ज़ कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो तरमीम इस वक्त एस्टेट ड्यूटी में की जा रही है वह एक बड़ी फंडेमेंटल तरमीम है और शायद इतनी ज़बर्दस्त तरमीम है कि ऐसी अभी तक इस हाउस के अन्दर या कंट्री के सामने नहीं आई हैं। इससे तमाम कंट्री के अन्दर एक दम बड़ी डिस्सैटिसफैक्शन पैदा होगी। आज तक जो एस्टेट ड्यूटी हिन्दू ज्वायंट फैमिली पर लगती है उसके अन्दर जो एक्जेम्पशन-लिमिट थी वह ५०,००० की थी जब कोई शख्स मर जाता है उसका नोशनल पार्टिशन करार दिया जाकर जो जायदाद उसके मरने पर उसके वारिसान को पहुंचती है उसके ऊपर अब टैक्स लगता है। लेकिन जो नई तरमीम की जा रही है उसमें एक यह तरमीम भी शामिल है कि वह शख्स जब मर जाए तो उसकी जायदाद और उसकी औलाद की जायदाद, उसके संस की जायदाद दोनों को मिलाकर एग्रिगेट करके उसके ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगेगी यानी जो लड़के ज़िन्दा हैं जो बर्थ से ही उसमें राइट रखते हैं, उन ज़िन्दा आदमियों पर भी एस्टेट ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। यह सवाल निहायत अहम है। इसका यह मतलब होगा कि जहां ज्वायंट फैमिली को ५०,००० की एग्जैम्पशन मिली हुई है, उसको हम एक हाथ से तो दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से उसका हम गला मरोड़ रहे हैं। अगर किसी आदमी के बेटे उससे जुदा हों या शामिल हों उस सूरत का भी तरमीम करते वक्त कोई ध्यान नहीं रखा गया। उसके मरने के बाद उसके बेटे की जायदाद जिस में कि उसने बर्थ से राइट पाया है, सारी की सारी एग्रिगेट में ले ली जाएगी। एक तो यह तरमीम की जा रही है। इसके अलावा दूसरी तरमीम यह की जा रही है कि जो गिफ्ट्स आज तक दो बरस पुराने या उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जो गिफ्ट्स आज इनडिविज़िबिल हो चुके हैं, जिन के ऊपर एस्टेट ड्यूटी नहीं लग सकती है उन पर भी आज अगर वह मर जाए तो लगेगी। दो बरस की जहां पहले लिमिट रखी गई थी, उसको आज बढ़ा कर पांच बरस किया जा रहा है। आज जो गिफ्टस एस्टेट ड्यूटी से इम्यून थे, उन सारे के सारों को अब शामिल किया जा रहा है। इस तरह से इस चीज़ को रिट्रोस्पेक्टिव बनाना तमाम कैनंस आफ ला के, तमाम उसूलों के, तमाम प्रिंसिपल्स के, इक्विटी के, इंसाफ के, मैं समझता हूं, बरखिलाफ है। जब बिलायत के अन्दर इस तरह की तरमीम की गई थी, तीन साल से पांच साल तक इस पीरियड को बढ़ाया गया था, उस वक्त खास तौर पर यह कहा था कि रिट्रौस्पेक्टिवली जितने भी गिफ्टस उसमें आते थे उन सब को उस के अन्दर से एग्जेम्पट कर दिया जाए। मैं चाहूंगा कि कम से कम इस तरह का तो कोई प्राविज़न हमको सके

अन्दर रखना चाहिए था और हमें यह नहीं समझना चाहिए कि आज तो हमें अखत्यार है कि इस बार तो हम इसको पांच साल कर दें, अगली बार सात साल कर दें और फिर दस साल कर दें। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको मुल्क बरदाश्त नहीं करेगा।

दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आम तौर पर मैंने देखा है कि अखबारों में या पब्लिक मीटिंग्स में जो कि इस काम के लिए बुलाई जाती हैं इन दोनों बातों का कहीं ज़िक्र नहीं आता है जिसका मतलब यह है कि एस्टेट ड्यूटी में हम जो तरमीमें करने जा रहे हैं, उनका क्या असर पड़ने वाला है। यह लोगों ने नहीं समझा है। मैं एक मिनट के अन्दर सारी उस बड़ी तबदीली का ज़िक्र करना चाहता हूं जो पिछले साल श्री कृष्णमाचारी ने जो उस वक्त हिन्दु ज्वायंट फैमिली के बारे में की थी। बीसों साल की लड़ाई के बाद हमने यह चीज़ पाई थी कि हिन्दु ज्वायंट फैमिली में जहां उसके मैम्बर दो हैं तो उसकी जो एग्ज़ेम्शन लिमिट है वह दुगुनी ही हो और अगर तीन या उससे ज्यादा हैं तो तीन टाइम हो। यह चीज़ श्री कृष्णमाचारी ने सारी बातों को छोड़ कर, सब फाइनेंस मिनिस्टर्स की बातों को छोड़ कर, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी (कराधीन जांच समिति) की रिकमेंडेशंस को छोड़ कर, सभी तजावीज़ को छोड़कर रुपये के लालच में आकर हटा दी। जब मैंने उनसे कहा कि आपने यह क्या किया है, आप इतनी जबर्दस्ती क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी कहते रहे हों, मैं नहीं जानता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शूशटर, ब्लैकेट, लियाकत अली खां, मथाई, देशमुख इत्यादि जितने भी मिनिस्टर आए उन सब ने इस बात को माना है कि हिन्दु ज्वायंट फैमिली के साथ एक्विटेबल ट्रीटमैंट नहीं हुआ है। लेकिन श्री कृष्णमाचारी ने फरमाया कि मुझे तो मनी कंसिड्रेशंस अपील करती हैं, मैं इक्विटी का कायल नहीं हूं। मैं उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गया। मैंने फिर कहा कि यह मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह का जवाब दें तब आखिर में उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी बिठाऊंगा। यह उत्तर तब उन्होंने दिया जब उनका दिल पिघला और यह भी कहा कि इसकी मैं तहकीकात करूंगा। लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि कमेटी बैठती कि हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक नया तोफा हमें दिया है। बजाय इसके कि मरते ही जायदाद पर टैक्स लगता अब उसके लड़कों की जायदाद पर भी टैक्स लगेगा। वह एक बेसिक उसूल था जिस पर उनको चलना चाहिये था लेकिन अब वह इसके बिल्कुल बरखिलाफ जा रहे हैं। इस मौके पर मैं इससे ज्यादा इस पर अर्ज़ नहीं करना चाहता।

अब मैं उन तकरीरों की तरफ आता हूं जो कि इस हाउस में की गई हैं। मेरे उन दोस्तों की तकरीरों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से चन्द दोस्तों की ऐसी तकरीरें थीं, जिनको कि मैं दुरुस्त खयाल नहीं करता। आज जब कि हम दूसरे प्लान के तीसरे साल में से हो कर गुज़र रहे हैं और जो स्कीमें हमने हाथ में ली हैं, जिन तीन स्टील प्लांट्स को हम स्थापित करने जा रहे हैं, उनके बारे में यह कहना कि ये तो जंक हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनको फरटिलाइज़र फैक्टरी में तबदील कर दिया जाये या किसी और प्लांट में तबदील कर दिया जाये मैं हर्गिज़ मुनासिब नहीं समझता हूं। हमने खूब सोच समझ कर और पूरी जानकारी रखते हुये एक कदम उठाया है और उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जो हमारे दोस्त इस तरह की बातें कहते हैं वे उस वक्त कहां थे जब दूसरा प्लान तैयार किया गया था और हर किसी की उसके बारे में राय मांगी गई थी और हर किसी को इस बात का मौका दिया गया था कि अगर वह कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। अगर हमारे पास रुपया नहीं है तो हम कर्ज़ लेंगे। हम किसी से गिफ्ट नहीं चाहते हैं, हम तो कर्ज़ चाहते हैं जिसको हम वापिस भी कर देंगे। उस जमाने में जब कि पाकिस्तान ने गिफ्ट लिया अमरीका से उस वक्त भी हमने कहा कि हम गिफ्ट नहीं चाहते कर्ज़ा चाहते हैं और हम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसको अदा करेंगे, हमने कर्ज़ा लिया । मैं मानता हूं कि अगले दो तीन बरस तक हमको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा । लेकिन जो भी मुश्किलात आ रही है वे लाज़िमी हैं, वे आनी ही थीं लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं है । इसमें मैं समझता हूं कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं होने वाला है । ये मुश्किलात ऐसी नहीं हैं जिन पर हम काबू न पा सकें ।

मैंने इकोनोमिक सर्वे को पढ़ा है । वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इतना पैनिक फैल रहा है । उसके अन्दर बड़ी खूबी के साथ,बड़ी सफाई के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ यह कहा गया है कि हमारी ऐसी हालत है इस वक्त, और कोई बात इसके सिवाय नहीं कही गई है । सारे सर्वे को पढ़ कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहां ले जायेगा, यह हमें मालूम है । हमें यह भी मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है । उस मंजिल तक पहुंचने के लिये जो भी दिक्कतें आयें, उनका हमें मुकाबला करना है, उन पर हमें फतह पानी है । यह कहना कि हमें कर्ज़ा अदा करना पड़ेगा, या हमारी यह स्कीम पूरी नहीं होगी, इससे मैं एग्री नहीं करता ।

मुझे अपने मुल्क पर भरोसा है और मुझे एकोनोमी (अर्थ व्यवस्था) पर भरोसा है । मिल साहब ने जो अपनी किताब पोलिटिकल एकोनोमी में फरमाया है कि ऐसे मुल्क में जो कि एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, उसके ऊपर कोई आफत आ जाय, क़हत आ जाय अथवा मुसीबत आ जाये तो वह मुल्क बड़ी जल्दी रिकवरी (प्राप्ति) करता है । मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क १०० करोड़ से भी ज्यादा रुपया अगले दो तीन साल में आसानी से दे सकेगा । दूसरे हाउस में जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जनरल बजट के डिसकशन का जवाब देते हुये तक़रीर फ़रमाई, उसको पढ़ कर मुझे खुशी हुई और मुझे यह विश्वास हो गया कि हमारी जो स्कीमें हैं वे चलेंगी और कामयाब होंगी और मुझे यह भी भरोसा हुआ कि हम उन दिक्कतों पर काबू पा लेंगे । इस सिलसिले में मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां जो प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर का झगड़ा चला, अगर वह न चला होता तो बेहतर होता और उसके बजाय मेम्बर साहबान को फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की अपील के जवाब में यह कहना चाहिये था कि हम उनके साथ हैं और जितनी हमारी स्कीमें हैं हम उनको मुकम्मिल करके दिखलायेंगे । लेकिन ऐसा नहीं कहा गया और हमने देखा कि यहां पर वही प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर का झगड़ा चलाया गया । यह खुशी की बात है कि हमारे फ़ाइनन्स मिनिस्टर साहब ने फ़ेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स के सालाना इजलास में तकरीर करते हुये इस चीज़ को साफ कर दिया । बार बार यहां पर यह जिक्र आता है कि प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर में फ़र्क है । पबलिक सैक्टर कुछ और चीज़ है और प्राइवेट सैक्टर कुछ और चीज़ है । इसके बारे में फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो पोजीशन स्टेट की है मैं उससे सोलह आने मुत्तफ़िक हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बारे में मुल्क को एक सही लीड दी है ।

अब मैं असल बात की ओर आता हूं । एक चीज़ मैं बिलकुल साफ़ कर देना चाहता हूं कि यह हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद की ही फाइव इयर प्लान नहीं है बल्कि यह हमारे पूरे देश का प्लान है और ऐसी जगहों का प्लान है जहां पर कि चिमनियां नहीं हैं बड़े कारखाने नहीं हैं और जहां पर कि बड़े बड़े शहर नहीं हैं । हिन्दुस्तान के लाखों गांवों के लिये यह प्लान है और यहां के शहरों के वास्ते भी यह प्लान है । इस प्लान के अन्दर जो मुझे सब से बड़ी खराबी नज़र आती है वह यह है कि प्लान सारे का सारा एक अर्बेनाइज्ड सोसाइटी के लिये बनाया हुआ है । रूरल एकोनोमी, रूरल सवालात के निबटारे

और रूरल सोसाइटी की बाबत इसमें ज़बानी जमा खर्च है लेकिन फ़िलवाक़या उनके बारे में इस प्लान में कोई अमल होता नहीं है । आप इसके अन्दर कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको दुख देंगी । जितनी इसमें इंडस्ट्रियल प्लानिंग की तरफ तवज्जह की गई है उतनी एग्रीकलचरल एकोनोमी कीतफ़र पर्वाह नहीं की गई है । याद रखिये जब तक मुल्क की एग्रीकलचरल एकोनोमी दुरुस्त नहीं होगी जब तक कि मुल्क की खुराक की पैदावार हम नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारा कोई भी प्लान और योजना उस हद तक कामयाब नहीं होगी जिस हद तक कि हम उसे कामयाब होते देखना चाहते हैं । आज हमारे गल्ले की समस्या क्या है ? ३.६ मिलियन टन अनाज बाहर से यहां पर मंगाया गया है । मेरे खयाल में इससे ज्यादा गवर्नमेंट के वास्ते शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है । ४५ करोड़ रुपये की रूई बाहर के देशों से यहां पर मंगवाई जाती है । इतना अधिक फ्रेट दिया जाता हो एक एग्रीकलचरल मुल्क में जिसके कि अन्दर इतनी अधिक जमीन, आदमी और जानवर हों, वह क्या उस मुल्क के लिये शर्म की बात नहीं है ? भारत जैसे एग्रीकलचरल कंट्री के अन्दर बाहर से गल्ला मंगाना यह जाहिर करता है कि हम नाअहल हैं और हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने एफ़ेयर्स को खुद मैनेज कर सकें । मैं तो इस व्यू का हूं कि सन् १९५१ से ही हमारे मुल्क में सेल्फ सफ़िशिएंसी आ चुकी थी । इस चीज़ को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में हरगिज़ गल्ले की कमी नहीं है अगर कमी है किसी चीज़ की तो वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है । यहां पर ठीक इन्तजाम नहीं होता है लेकिन यह ग़लत है कि इस देश में काफ़ी गल्ला पैदा नहीं होता । आप यह सुन कर हैरान होंगे कि ५ करोड़ रुपये का मिल्क पाउडर इस देश में बाहर से आता है । इस देश के अन्दर बाहर से घी आता है और रूई आती है जब कि अब रूई यहां बहुत उम्दा पैदा होने लगी है । अगर अकेले इन तीनों चीज़ों का मंगवाना बन्द कर दें तो कम से कम १५० करोड़ रुपये का फ़र्क पड़ जायेगा और यह जो १०० करोड़ रुपये का कर्ज़ा देना है, उसके लिये क्या फ़िक्र रह जायेगी । हमारे मसानी साहब ने जो यह कहा कि फाइव इयर प्लान के पीछे लोग नहीं हैं और मुल्क इस गवर्नमेंट के पीछे नहीं है क्योंकि लोग हमारी स्कीमों के वास्ते कर्ज़ा नहीं देते, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर मुल्क के अन्दर फ़िलवाक़या लोगों को इल्म हो कि सेकेंड फाइव इयर प्लान के अन्दर यह दिक्कतें हैं और इस तरह से यह गल्ला बाहर से आता है और अगर हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का इल्म हो तो मुझे पूरा यक़ीन है कि और इसमें कोई शुबहा नहीं है कि लोग खुशी से कर्ज़ा देंगे और हमारी स्कीमों को कामयाब बनायेंगे । जब सारा कंट्री पीछे हो तो यह नामुमकिन है कि यहां पर उतनी पैदावार न हो जितनी कि हम यहां पर चहाते हैं । आज जो किसान गल्ला पैदा करते हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इस मुल्क का सालवेशन उनके ज़रिये ज्यादा गल्ला पैदा किये जाने में है । वे इगनोरेंट हैं और उनको पता नहीं है कि मुल्क में गल्ले की पैदावार बढ़ाना किस क़दर ज़रूरी है और उसकी वजह से कितना रुपया हमारा बाहर के देशों में जा रहा है वरना मुझे इसमें ज़रा भी शुबहा नहीं है कि वे अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे और इस देश में अधिक गल्ला पैदा करेंगे ।

मैं शिकायत के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों से लगातार मैं इस हाउस के अन्दर इसके बारे में कहता रहा हूं लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । मैं बराबर यह कहता आ रहा हूं कि जब तक गाय और बैल के सवाल को ठीक तरीक़े से हल नहीं करेंगे और रूरल एकोनोमी को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा । आज जो यह कहा जाता है कि इस देश में हर एक आदमी का दूध का औसत कंजम्पशन ५ औंस है, यह बिलकुल झूठ है और मेरे पास उसके सम्बन्ध में फ़ीगर्स मौजूद हैं और मैं डिटेल में समझा सकता हूं कि यह ग़लत है लेकिन आज मेरे पास उसके लिये समय नहीं है । इतना मैं ज़रूर बतला देना चाहता हूं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि मैंने जो हिसाब लगाया है तो पाया है कि इस देश के अन्दर ढाई औंस से ज्यादा दूध का एवरेज कंजम्पशन (सामान्य खपत) नहीं है और यह चीज़ बिलकुल ग़लत है कि यहां पर ५ औंस का औसत पड़ता है। जहां ढाई औंस से ज्यादा दूध का औसत न पड़ता हो वहां कुछ ऐसी स्टेट्स भी हो सकती हैं जहां कि सिर्फ़ १ औंस ही मिलता हो। हमारे देश में जहां १६ फी सदी कुनबों को दूध का देखना तक नसीब नहीं होता। हमारे यहां पर साढ़े दस छटांक दूध का एक गाय का रोज़ का औसत है जब कि डेनमार्क में १० $^{१}/_{२}$ सेर रोज़ का ऐवरेज पड़ता है। मुझे खुशी है कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब इस वक्त हाउस में तशरीफ़ ले आये हैं। मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वे इस मसले के ऊपर अपनी ख़ास तवज्जह दें। हमारे कांस्टीट्यूशन की दफ़ा ४७ में लिखा हुआ है कि यह स्टेट की ड्यूटी है कि वह लेविल आफ न्युटिशन और स्टैन्डर्ड आफ़ लिविंग को ऊंचा करे और पबलिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह लोगों की हेल्थ इसी तरह इम्प्रूव कर रहे हैं कि ढाई औंस दूध की औसत पड़ती है।

श्री त्यागी : कुनैन से इम्प्रूव कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दूध न लोगों को दे कर चाय पिलाना चाहते हैं। खुद मेरे इलाक़े में जहां कि लोग चाय नहीं पीते थे और जहां कि १६ औंस के करीब प्रति आदमी को दूध मिलता था, आज वे दूध न पीकर तीन-तीन दफ़े चाय पीते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पंजाब के अन्दर जहां तक कि फिज़िकल ताक़त का सवाल है, पंजाबी भी दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आसाम और उड़ीसा का तो ज़िक्र ही क्या जहां पर आज एक आदमी के वास्ते ४ गाय भी काफ़ी दूध नहीं दे सकतीं। हमारे यहां की बकरी उतना दूध देती है जितन कि वहां की एक गाय दूध देती है। दरअसल अब मौक़ा है और वक्त आ गया है जब गवर्नमेंट अपनी सारी पालिसी को ठीक करे। गवर्नमेंट ने इस मामले में अब तक बहुत बड़ी क्रिमिनल नेगलेक्ट दिखाई है और गवर्नमेंट ने इस मद में काफ़ी रुपया खर्च नहीं किया। हमें अपने पशुओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा क्यों कि किसानों और जानवरों के अन्दर झगड़ा बतलाया जाता है, कि उनके कनफ्लिकटिंग इंटरेस्ट्स (परस्पर विरोधी हित) हैं। यह दुरुस्त नहीं है लेकिन यदि दुरुस्त हो तो मिनिस्टर साहब को देखना चाहिये कि हमारे इन डम्ब जानवरों के साथ इंसाफ़ हो। हमारे श्री अजीत प्रसाद जैन को खुराक के मसले से फुरसत नहीं है और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर महोदय और होम मिनिस्टर की खिदमत में बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है कि इसके लिय एक अलग मिनिस्टर बनाया जाये अगर आप वाक़ई विज़नेस मीन करते हैं। हाउस में २, ३ दिन हम इस डिप्रेस्ड क्लासेज़ रिपोर्ट की बहस पर खर्च करते हैं कि और यहां पर शिकायत करते हैं कि फलां आदमी को नौकरी नहीं मिली और फलां के साथ यह सलूक नहीं हुआ लेकिन इस चीज़ की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और कोई इसकी शिकायत नहीं करता कि हमारे डिप्रेस्ड क्लासेज़ के भाइयों को जो छाछ पहले मुफ्त मिलती थी अब पहले के मुकाबले में बहुत थोड़ी मिलती है। छाछ जिस पर कि गरीब आदमी की गुज़र होती है अब मयस्सर नहीं है। मुझे सबसे पहले यह चाहिये कि इस देश के अन्दर गरीब आदमी की खुराक में कमी न हो। मैं देखता हूं कि जहां खुराक के मसले का सवाल है दूध तो काफ़ी क्या मिलेगा अब छाछ भी नहीं मिलती।

एक माननीय सदस्य : आपको भी तो छाछ नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मेम्बर साहब कहते हैं कि आनरेबल मेम्बर को भी नहीं मिलता, आवाज खराब हो गई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूं कि मुझे भी नहीं मिलता तो औरों को क्या मिलेगी। वह मेरी ताईद कर रहे हैं। मेरी गुज़ारिश यह है कि आज अगर आप इस बजट को देखें तो अभी गोसंवर्द्धन कौंसिल बनाई गई है, जिसका मैं मेम्बर हूं, फाउंडेशन मेम्बर एक तरह से, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने कैसी दुर्गति इस कौंसिल की की है। कतई कोई अख्तयार इस कौंसिल को हासिल नहीं है और कोई माकूल काम इसके ज़रिये नहीं होता, पहली फाइव इयर प्लान में सरकार ने लिखा कि ११०० करोड़ रुपया की आमदनी जानवरों से होती है, और सैकेंड फाइव इयर प्लान वालों ने उसी कलम से लिखा कि ६६० करोड़ होती है। फिलवाकया गाय और बैलों से कम से कम दो या ढाई हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है कुल नेशनल आमदनी का २५ परसेंट। मैं अर्ज़ करता हूं कि ऐसी हालत है। मेरे अपने हाथ में रिपोर्ट है गोसंवर्द्धन कौंसिल की आखिरी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि जहां तक दूध की पैदावार का सवाल है या जहां तक ड्राफ्ट पावर का सवाल वह कम होती जा रही है। मेरे पास और भी रिपोर्ट मौजूद हैं लेकिन वक्त नहीं कि पेश करूं, मगर उनके अन्दर यह अम्र मुसल्लेमा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सन् १९५५ में फरमाया था कि हमारे बैलों की हालत दिगरगूं है। कल पन्त जी महाराज कैटल शो में गये और वहां बड़ा खूबसूरत लेक्चर दे कर आये, श्री अजित प्रसाद जैन ने खूबसूरत लेक्चर दिया, जितने एक्सपर्ट जाते हैं बड़ा खूबसूरत लेक्चर देते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका होता है तो न रुपया खर्च करना चाहते हैं और न देखना चाहते हैं अपनी आंख से कि क्या काम हुआ है। एक्सपर्ट्स ने एक सबक सीखा हुआ है और मैं देश को भी जिम्मेदार करार देता हूं, आज एक्सपर्ट्स का ही सवाल नहीं है, आज गायों का वेनेरेशन खत्म हो गया है, करोड़पतियों की गायें पत्ते चाटती फिरती हैं, देश में तो अब नारे ही लगते हैं, हमारे इन एक्सपर्ट्स ने हाल में ही कहा कि देश में ज़रूरत से ज्यादा गायें हैं। अगर गायें ज़रूरत से ज्यादा हैं तो उनको खत्म किया जाये। जो तरकीब गवर्नमेंट ने गोसदनों की बनाई है एक्सपर्ट उनको नाकामयाब बनाने के पीछे पड़े हैं। यूसलेस जानवरों की आयन्दा पैदावार न हो और बेकार सांडों को कैस्टेटेड करने की कोशिश पूरी नहीं की जाती बुल्स को हटा दो, एक्सपर्ट सिर्फ नारे लगाना जानते हैं, इस वास्ते कि पबलिक वालों से कह सकें कि तुम्हारे कुसूर की वजह से तरक्की नहीं होती। इस देश के अन्दर जब ड्राफ्ट पावर नहीं बढ़ेगी, बैलों के अन्दर ताकत नहीं बढ़ेगी, हर्गिज देश के अन्दर ज्यादा पैदावार नहीं होगी। अगर आप कंट्री में जायें और लोगों से कहें कि हमारी प्लान फेल होती है, हमारा गुज़ारा नहीं होता, तो वह हंसेंगे। वह कहेंगे कि आप किस तरह के आदमी हैं कि एग्रीकल्चर को तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जो एग्रकल्चर की मां है—दोनों का नाम गौ है, गौ धरती को भी कहते हैं और गाय को भी कहते हैं जिससे सारी उपज होती है—उसकी तरफ आप कुछ तवज्जह नहीं करते तो कैसे आपकी तरक्की मुमकिन है? मैं कहूंगा कि सारे चितरंजन, सारी सिन्दरी फटिलाइज़र फैक्ट्री और फूड डिपार्टमेंट तीनों का काम गौ करती है। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जह नहीं करती। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूजलेस कैटल के बारे में चन्द ऐसे खयालात जाहिर किये कि सारे मिनिस्टर गाय का नाम लेते हुये डरते हैं। कम्यूनेलिजम और गाय उनके लिये एक ही चीज़ है मैं एग्रिकल्चर मिनिस्टर को देखता आया हूं, उनकी जुर्रत नहीं होती कि वह कह सकें कि हम इस कैटर वैल्थ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब मैंने पंडित जी को और पन्त जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि एग्रिकल्चर के वास्ते अलाहदा मिनिस्टर बनाया जाय तो जवाब आया कि मेरी बात का कि उससे खर्च बढ़ जायेगा। मुझे कालिदास का एक फिकरा याद आता है :

"अलपस्य हेतो बहु हातुम इच्छन,
विचारमूढ़ो प्रतिभासिमेत्वम्।"

एक छोटी सी चीज़ के वास्ते बड़ी चीज़ का छोड़ना अक्लमन्दी नहीं है। आपकी जहां ढाई हजार

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

करोड़ रुपया नैशनल इनकम बढ़ती है, उसके लिये कहा कि एक मिनिस्टर का खर्च बढ़ जायेगा, यह दुरुस्त नहीं है ।

मैं कुछ अल्फाज बैलों के वास्ते भी अर्ज़ करना चाहता हूं । गाय तो दूध देती है, उसकी तरफ शहर वाले तवज्जह करते हैं, आस पास गांव वालों का सारा दूध दिल्ली जाकर बिकता है । पचास-पचास मील, सौ सौ मील का दूध दिल्ली में आता है । यही हालत बम्बई की है, आर० ए० कालोनी तो दूर रही, वहां २४ घंटे चल कर दूध पहुंचता है । आनन्द से सारा दूध, जिससे बछड़ों को पाला जाता, गांव के बच्चों को पाला जाता, वह शहरों में आ रहा है । गवर्नमेंट जितना रुपया अब लगाना चाहती है नस्लें सुधारने के वास्ते नहीं, दूध को बढ़ाने के वास्ते भी नहीं, दूध के शहरों में कलेक्शन के वास्ते लगाया गया है, जिससे सारी की सारी ब्रीडिंग पालिसी खत्म कर दी । अगर आप देखें कि हमारी प्लैनिंग कमिशन ने कितना रुपया दिया तो आप हैरान होंगे थोड़ी मात्रा की हर बात नहीं है, काम करने के तरीके व उनकी तवज्जह का बड़ा सवाल है , आप बैलों की तरफ देखिये । एक दफ़ा का जिक्र है, नैशनल प्लैनिंग कमेटी ने कहा था कि बैलों को बड़ी तकलीफ़ है । बैलों की जितनी कैरींग कैपैसिटी है, उतनी न रेलों की है न वाटरवेज़ की है । अगर आप दोनों को मिला कर भी शुमार कीजिये तो जितना बोझा बैल ढोते हैं उतना कोई नान मीन्स आफ कम्यूनिकेशन नहीं ढोता है । एक करोड़ बुलककार्ट्स इस देश के अन्दर हैं । एक करोड़ बुलककार्ट्स के होते हुये सारे देश का काम बुलककार्ट्स से होता है, वे पैसेंजर ले जाती हैं, माल ढोती हैं, सारा काम करती हैं, उनके लिये गवर्नमेंट ने क्या किया ? गवर्नमेंट ने एक दफा हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम के लिये तजवीज दी, प्लैनिंग कमिशन ने सफा २८२ पर लिखा कि अगर कार्ट्स में न्यूमैटिक टायर और ट्यूब लगा दिये जायें तो लोगों को बड़ी आसानी हो जायगी । यह बात सही है कि आज जो बैल १६ से २५ मन तक का बोझ ढोते हैं, अगर आप उनकी कार्ट्स में टायर और ट्यूब लगा दें, तो वह कम से कम ५५ से ६५ मन तक ढो सकेंगे । अगर ऐसा कर दिया जाय तो कितना फर्क पड़ जायेगा । चुनांचे क्या किया उन्होंने कि दो करोड़ रुपये का सवाल उठाया गया कि यह रकम इसके वास्ते दी जाय । तब रोड्स कमेटी ने कहा कि यह प्रापर काम नहीं है, रोड्स कमेटी का काम नहीं है । उसका काम सड़कें बनाने का है न कि बैलों के वास्ते ऐसा इन्तजाम करने का । चुनांचे लीगल आब्जेक्शन हुआ । ला मिनिस्ट्री ने लीगल आब्जेक्शन को हटा दिया । डेढ़ या दो लाख रुपये का पायलट प्रोजेक्ट बनाने की फिर तजवीज है । लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट में से दो लाख रुपये में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ । आज पंडित नेहरू के कहने के बावजूद, प्लैनिंग कमिशन के अंदर आने के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद आज तक एक पैसा इस पर खर्च नहीं हुआ । किसी भी तरह से इन बैलों के वास्ते कुछ थोड़ी सी सहूलियत हो जाती ताकि वह माल को आसानी से ढो सकते आज वाटलनैक का सवाल उठता है । जिसके लिये अशोक मेहता स हब ने फरमाया था, यह जो वाटलनेक है रेलवे पर उसका बोझा हलका हो जाता । श्री मोहन लाल सक्सेना जी ने तजवीज की थी, जिसको पूह-पूह कर दिया गया, कि ३० मील से २०० मील तक माल लारी से ढोया जाय, २०० मील से ऊपर का बोझ रेलों से ढोया जाय और ३० मील तक बुलक कार्ट्स के वास्ते रक्खा जाय ताकि अच्छी तरह से काम हो सके और लोग काम भी सीखें । लेकिन उन्होंने बैलों को बिल्कुल गैर जरूरी चीज़ समझा । मुझे तो वह दिन देखना दूर मालूम होता है कि जब कि इस देश के अन्दर ट्रैक्टर्स आयेंगे, लारीज आयेंगी जिससे काम चल सके । इस देश के अन्दर एग्रिकल्चरल एकानोमी में जमींदार को अपने बैल बेटे से भी ज्यादा प्यारे होते हैं क्योंकि वह उनके जरिये ही काम करता है, उन्हीं के ऊपर उसका इन्हिसार है । अगर इस देश के अन्दर गायों और बैलों के वास्ते काफी रुपया खर्च किया जाय तो जो आपकी एकोनोमी है, जिसके वास्ते इतनी दिक्कत हो रही है, वह सारी की सारी एकानोमी दुरुस्त हो सकती है । जैसा मैंने अर्ज़ किया कम से कम १५० करोड़ रुपया सालाना

आपको महज गायों और बैलों को दुरुस्त करने से आमदनी बढ़ सकती है । न आपको बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत, न रूई मंगाने की जरूरत । मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको किसी और वक्त के लिये रिजर्व रखता हूं, उनके अन्दर दर्ज है कि ८० लाख खालें इस देश से दूसरे देशों के अन्दर जाती हैं । कई लाख जानवर सतलज के जरिये स्मगल हो कर पाकिस्तान को लुटा दिये जाते हैं और उनकी कीमत हम अपनी नाज में से देते हैं । लेकिन इस एकोनोमी की कोई परवाह नहीं करता । जहां तक इन कैटल का सवाल है गवर्नमेंट का रवैया यह है । और अगर यही रवैया रहा तो मैं अर्ज करता हूं कि आप लाख कोशिश करें, प्लैन कामयाब नहीं हो सकती । इससे देश के अन्दर न प्लैन कामयाब होगी और न वह ऐग्रिकल्चरिस्ट्स को अपील करेगी एकोनोमी को बैहतर बनाने के लिये । देश के अन्दर किसी तरीके पर सैटिस्फैक्शन नहीं होगा । कल अशोक मेहता साहब ने फरमाया कि आप ऐग्रिकल्चरल पापुलेशन को १५०० करोड़ रुपये से महरूम न करेंगे तो १००, २०० करोड़ रुपया स्मालसेविंग्स में आ गया होता । मैं जानता हूं कि अगर उन लोगों के पास होता तो ५०० करोड़ रुपया ही आ जाता । आप जाकर जमींदार के पास कहें कि आपकी स्कीम के वास्ते इतनी जरूरत है तो इतना बड़ा रिस्पान्स होगा जो कि पालिटीशियन्स से नहीं हो सकता और न प्राइवेट सेक्टर से ही, जो कि मुनाफे के पीछे पड़ा हुआ है, आप उतना ले सकते हैं । रिस्पान्स मिलेगा उनसे जो यक़ीन रखते हैं अपनी गवर्नमेंट में, जो यक़ीन रखते हैं इस एकोनोमी में, जो यकीन करते हैं कि जो कुछ गवर्नमेंट करती है वह दुरुस्त करती है । मैं पूछना चाहता हूं कि तीन बरस के भीतर क्या दिक्कत हो जायेगी । राज्य सभा में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस दिक्कत का जिक्र किया । तीन साल में आपकी एकोनोमी, अगर आप सही तरीके से उसे चलायेंगे, इतनी मजबूत हो जायेगी कि १००० करोड़ रुपया आसानी से पुराना कर्जा अदा करने के लिये और इस बीच का भी कर्जा अदा करने के लिये आजायेगा, मुझे इसमें शुबहा नहीं है । शर्त यही है कि सही मानों में इस एकोनोमी को ठीक किया जाये और सही मानों में लोगों के पास पहुंचा जाय, लोगों के पास पहुंच कर कहें कि आपको यह जरूरत है । मुझे कोई सुबहा नहीं है कि हमारी फाइव इयर प्लैन सक्सेसफुल होगी और सारी चीजें सक्सेसफुल होंगी बशर्ते हम रूरल एकोनोमी की तरफ देखें और जनता के ट्रस्टीज़ होने के नाते उनकी तरफ आपका जो भी फर्ज है उसे अदा करें । और पूरी तवज्जह अपने गाय बैलों की तरफ दें ।

†**श्री महन्ती** (ढेंका नाल) : गायों-भैंसों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं अब इन्सानों की बात करूंगा । अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री नें दिल्ली में हुये भारतीय वाणिज्य मंण्डल के सम्मेलन में भाषण देते हुये कहा था कि भारतीय जनता के कल्याण, स्वतन्त्रता, और आर्थिक प्रगति के लिए मुझे से जो कुछ होगा मैं हमेशा करता रहूंगा । प्रधान मंत्री हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रतीक हैं । परन्तु आज वास्तविकता के दृष्टिकोण से इन शब्दों के तोले जाने की आवश्यकता है । प्रधान मंत्री के भाषण और आर्थिक सर्वेक्षण में जमीन आसमान का अन्तर है । वित्त मंत्री अपने भाषण में फरमाते हैं कि कीमतें कम हो रही हैं, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है और औद्योगिक विस्तार हो रहा है । परन्तु यह सब किसके लिए है । हो सकता है कि यह सब जनता के उपयोग के लिए हो, परन्तु जो "आर्थिक सर्वेक्षण" माननीय सदस्यों में वितरण किया गया है, उस से तो कुछ अच्छा चित्र प्रतीत नहीं होता । उत्पादन कम हो रहा है और खर्चे बढ़ रहे हैं । आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है । निर्यात १९५७-५८ में २६७ करोड़ रुपये का हुआ है जब कि १९५६-५७ में यह २८८ करोड़ रुपये का था । निर्यात बढ़ाने से भी अधिक प्रभाव तो उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

कराधान की ओर गुंजाइश नहीं, और सब से खतरनाक बात यह है कि योजना से सम्बन्धित आधी परियोजनाओं के खर्चे का अनुमान बढ़ गया है। हम अभी सरकारी और गैर-सरकारी झगड़े में ही पड़े हैं और यह निर्णय भी नहीं कर पाये कि योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा। मेरा मत तो यह है कि अपनी पुरानी भूलों को स्वीकार कर हमें नये सिरे से सारी स्थिति का सिंहावलोकन करना चाहिए। प्रधान मंत्री के नाम से आज कल देश में सब कुछ चल रहा है, परन्तु यह ठीक बात नहीं है, स्वयं प्रधान मंत्री को स्थिति का परीक्षण करवाना चाहिए ताकि कोई इलाज निकाला जा सके।

प्रधान मंत्री की सफलताओं सम्बन्धी बातें सुनकर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी योजनायें असफल हो गयी हैं। इसके तीन कारण हैं--वे हैं, घाटे की अर्थ व्यवस्था, मुद्रा स्फीति और विदेशी विनिमय की कमी। इन तीनों का मैं परीक्षण करूंगा। पहली बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि संसद की स्वीकृति के बिना ही सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था कैसे लागू कर दी। यदि प्रथम पंच-वर्षीय योजना को संसद् की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो सीमा को पार कर घाटे की बात को संसद् के समक्ष क्यों नहीं रखा गया। प्रथम पंच वर्षीय योजना में घाटे की व्यवस्था २९० करोड़ की थी, परन्तु योजना काल में ही केन्द्र स्तर पर यह राशि ४२८ करोड़ की हो गयी। राज्यों में यह ४८ करोड़ तक बढ़ गयी। इस प्रकार इसकी शत प्रतिशत वृद्धि हो गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गत दो वर्षों में घाटे की अर्थ व्यवस्था ६०० करोड़ तक चलती रही है। इसके अतिरिक्त कुछ चालू धारा भी है, कुल मिला कर यह राशि १०७६ करोड़ है। यदि हमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करना है तो हमें ६०० करोड़ का ऋण लेना ही पड़ेगा और इस प्रकार हमें घाटा १२०० करोड़ का हो जायेगा। मेरा आरोप यह है कि इस प्रकार निराधार और बिना योजना के घाटे की अर्थ व्यवस्था को लागू कर के देश का सर्वनाश कर दिया गया है। इन सब बातों का प्रभाव खाद्यान्नों पर पड़ा है, और उनकी कीमतें बढ़ गयी हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत स्पष्टता से अपने आप को व्यक्त नहीं किया है फिर भी इस सम्बन्ध में हम खाद्यान्न जांच समिति के आभारी हैं। अभी समय है कि हम इस समस्या का कोई अन्य हल निकाल लें। अनाज की कीमतों में वृद्धि १९५५-५६ में अधिक हुई, उस वर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था का स्तर १८० करोड़ तक था। इस से एक वर्ष पूर्व १९५४-५५ यह ९३ करोड़ था और १९५३-५४ में यह ७८ करोड़ था। चार वर्ष पश्चात प्रशासन की निद्रा भंग हुई यह व्यवस्था १८० तक पहुंच गयी, १९५६-५७ में इसका स्तर २५३ करोड़ था। यही कारण थे कि कीमतों की वृद्धि होती गई। खाद्यान्न जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ३२ पर इस मामलों को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया। इन सब गड़बड़ियों का कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था है। इसको कम करने के लिये उपायों पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

क्या प्रधान मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ की तुलना में १९५८-५९ में राजस्व की वृद्धि तो केवल ८० प्रतिशत है परन्तु व्यय १०१ प्रतिशत बढ़ गया है। एक ओर तो बचत का शोर किया जा रहा है और चपरासियों को

दफ्तरों से निकाला जा रहा है, दूसरी ओर प्रशासन पर अन्धाधुन्ध खर्चा किया जा रहा है। इस प्रकार की बात को चुनौती दी ही जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के घाटे की अर्थ व्यवस्था का मुकाबला करने के लिये क्या साधन है ? घाटे की अर्थ व्यवस्था का स्तर १०७६ करोड़ तक पहुंच चुका है और अन्य ६०० करोड़ की वृद्धि भी होने को है। वित्त मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि इस संकट को हल करने के लिए हमारे पास क्या साधन हैं।

अब आप विदेशी विनिमय के मामले को ले लीजिए। सरकार का कहना है कि लोहा तथा इस्पात, खाद्यान्न, और मशीनों इत्यादि के आयात के कारण इसका संकट उपस्थित हो गया। इसके बिना और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं इस सम्बन्ध में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री देशमुख और प्रधान मंत्री के साथ पत्र व्यवहार की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। उसके कुछ अंश मैंने कलकत्ता के १० फरवरी १९५८ के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में देखे थे। श्री देशमुख का कहना था कि यह संकट स्वयं पैदा किया हुआ है। उनका कहना था कि बहुत से आयात के लाइसैन्स उनकी जानकारी के बिना ही दे दिये गये। और इसके लिए एक दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं। सारे विदेशी विनिमय के संकट की जिम्मेदारी उन पर है, और यह बात अब गोपनीय भी नहीं रही। श्री देशमुख तो उन दो तीन व्यक्तियों को खूब अच्छी प्रकार जानते हैं। मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री को इस मामले में सामने आकर पूरी जांच करवानी चाहिए ताकि सारी पोल खुल सके।

अब मैं कर अपवंचन की समस्या को लेता हूं। सरकार जब चाहे प्रो० कोलडोर को बुला ले और जब चाहे तो वापिस कर दे, इस प्रकार काम नहीं चल सकता। प्रो० कोलडोर के अनुमान के अनुसार कर अपवंचन २०० से ३०० करोड़ रुपये तक का है। परन्तु श्री देशमुख का अपने समय में यह मत था कि यह ३० से ४० करोड़ के बीच में ही है। आय कर जांच आयोग ने जिन मामलों का फैसला किया है उन से भी अभी वसूली नहीं हुई है। मेरा कहना यह है कि यह सब अपवंचन आय-कर विभाग के सहयोग से ही हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसमें वित्त मंत्रालय का भी हाथ है। मूंदड़ा के मामले में भी इसी प्रकार की बात का पता चलता है। क्या माननीय मंत्री महोदय के पास इसका कुछ स्पष्टीकरण है।

अन्त में, मेरा कहना है कि करों के मामले में कुछ रियायत दी जानी चाहिये।

† **श्री भगवती** (दर्रांग): इस वर्ष के आयव्ययक में जोश और विवाद की कोई बात नहीं। यह अच्छा है कि किसी प्रकार के नये करों की व्यवस्था नहीं की गयी। प्रो० कोलडोर ने शायद ठीक ही कहा था कि भारत में प्रतिवर्ष २०० से ३०० करोड़ प्रति वर्ष का कर अपवंचन होता है। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था इतनी योग्य नहीं कि ठीक ढंग से कर एकत्रित कर सके। कराधान विधि के अन्तर्गत हमें अधिक से अधिक कर एकत्रित करना चाहिए इसके लिए कर्मचारियों का पुनर्गठन कर के उन्हें इस काम के लिए उचित ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भगवती]

कहा गया कि उद्योगपतियों को कर कम करके कुछ सुविधा दी जानी चाहिये। परन्तु विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में सरकार को धनिक वर्ग पर अधिक से अधिक कर लगाने ही पड़ते हैं। और उस अवस्था में जब कि हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं हमें गरीब और अमीर का अन्तर समाप्त करना ही होगा। इस उद्देश्य को शांति पूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए, कराधान ही एक रास्ता है, और सरकार उस ओर चल ही रही है। वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से कीमतों का बढ़ना एक अच्छा सर दर्द है, परन्तु प्रसन्नता है कि अब कीमतें कम हो रही हैं, परन्तु इन्हें बहुत नीचे नहीं जाने देना चाहिए। वह भी देश की अर्थ व्यवस्था के लिये अच्छा सिद्ध नहीं होगा। इस में कृषकों का हित भी नहीं है।

इसके साथ ही श्रमिक वर्ग की आय में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उनकी क्रय-शक्ति बढ़े। इस के लिए मजदूरी सम्बन्धी ठोस नीति अपनाई जानी चाहिए। अब तक इस ओर हमने समुचित ध्यान नहीं दिया। कीमतों की स्थिरता तथा मजूरी नीति का संतुलन रखना बड़ा जरूरी है। इस से सभी को लाभ होगा। जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का सम्बन्ध है हमें कुछ बाहर के देशों से कर्जे उपलब्ध हो गये हैं। अमेरिका के कर्जे के सम्बन्ध में कल श्री डांगे ने कुछ अपशब्द कहे थे। परन्तु किया क्या जा सकता है, पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था के लिए यह मजबूरी है। विदेशों से कर्ज लिए बिना काम नहीं चल सकता। हो सकता है कि कोई दिन ऐसा आ जाये कि हम अन्य देशों की सहायता कर सकें। यह भी अवस्था आ सकती है कि सभी देश एक जैसे विकसित हों और विभिन्न प्रकार के भेद भाव दूर हों।

देश में उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन के लिए नियोजित कार्यक्रम बनाया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने घोषणा कर दी है कि योजना को ९५ प्रतिशत मूल रूप में ही रखा जायेगा। श्री मसानी ने इस सम्बन्ध में निराशा प्रकट की थी, परन्तु श्री अशोक मेहता ने उसका बहुत ही सुन्दर उत्तर दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्तमान अवस्था का उल्लेख किया। हमारी दशा विकास की अवस्था में है और हम संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न प्रक्रिया विधि विरोधी कार्य कर रही है। पुराने और नये विचार परस्पर टकरा रहे हैं। इन कठिनाइयों का हमें सामना करना ही होगा।

योजना को कार्यान्वित करना ही होगा। कृषि और उद्योग का विकास साथ-साथ करना ही होगा। कृषि का भी उद्योगीकरण करना पड़ेगा। इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। कृषि के नये साधनों के लिये नये औजारों की जरूरत है और इस के लिए दोनों को नियोजित ढंग से विकसित करना ही होगा। मेरा निवेदन है कि पोषक खाद्यान्नों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमनें योजना का कार्यक्रम तो अपनाया है परन्तु हम ने ऐसे ढंग नहीं अपनाये कि व्यक्तिगत आवश्यकतायें को सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके। इसके लिए हमें राष्ट्रीय बीमा योजना चालू करनी होगी, जिसे कि ब्रिटेन में लागू किया गया है। इस से बेकारी, बीमारी इत्यादि समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। यह समस्या किसी योजना से हल नहीं हो सकती इसके लिए तो यही है कि तमाम अवस्थाओं के मुकाबले के लिए बीमा हो जाना चाहिए।

किसान को भी अपनी फसल के सम्बन्ध में खतरा हो सकता है । फसल अच्छी हो अथवा बुरी इसकी संभावना तो रहती ही है । इसके अतिरिक्त वर्षा, तूफान, कीड़े-मकोड़े, कई तरह की समस्यायें फसल के साथ लगी रहती हैं। हर हालत के मुकाबले का बीमा ही इस समस्या का हल है। इसके लिए कृषि बीमा योजना का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार हम देश की व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सकते हैं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मैं माननीय वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज है । गत आय-व्ययक सत्र में संसद ने दो महत्वपूर्ण विधान अधिनियमित किये थे। वह हैं, व्ययकर अधिनियम तथा धनकर अधिनियम हैं। सन्देह प्रकट किये गये थे कि दान कर के बिना इन से कुछ लाभ होगा ? आज हम देख रहे हैं कि धनी अपनी अधिक से अधिक सम्पति दान के रूप में दे रहे हैं। इस लिए इस सम्बन्ध में दानकर का स्वागत करना ही पड़ता है । अधिक मृत्यु शुल्कों का भी स्वागत करना ही पड़ता है। आज की स्थिति में, यदि उस में कर अपवंचन न हो तो राज्य को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है।

विवाद में कृषि उत्पादन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। स्वयं वित्त मंत्री ने कीमतों तथा उत्पादन की अस्थिरता को स्वीकार किया है । यह भी ठीक है कि हमारा उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है । डा० कृष्णास्वामी ने लोगों की खुराक सम्बन्धी आदतों को बदलने की बात कही है । पता नहीं शताब्दियों और पीढ़ियों से चली आ रही इन आदतों को कैसे बदला जा सकता है ? यह भी सत्य है कि उत्पादन भी एक दम नहीं बढ़ सकता। हम यह पूछ सकते हैं कि इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

हमें बताया गया कि भूमि सुधारों को भी लागू किया जायेगा। यह भी कहा गया था कि वे आवश्यक हैं इनके बिना सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो सकता । इसी से ही अधिक उत्पादन की भी सम्भावना हो सकती है । परन्तु भूमि सुधारों के मार्ग में कई एक राजनीतिक प्रभाव और परस्पर विरोधी विचार धारायें रुकावट बन कर खड़ी हैं । इन सब बातों का कारण यह है कि हमने उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा नहीं किया है। अभी हम समाज सुधार की उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि लोग स्वयं ही अपनी भलाई के दृष्टिकोण से सामाजिक सुधारों को स्वीकार कर लें। हमने सुधार लाने की दृष्टि से कई एक विधान बनाये, परन्तु अनुकूल वातावरण न होने के कारण लोग क्रियात्मक रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वातावरण ऐसा होना चाहिए कि लोग स्वयं अपने अन्यायों और बुरे कृत्यों को स्वीकार करें । इसी लिए तो मैं सरकार से पूछता हूं कि वह ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए क्या कर रही है जिस से समाजवादी समाज वाले युग का प्रादुर्भाव हो सकेगा ?

मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने कीमतों का उल्लेख किया। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। जब तक किसान को परिश्रम के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे वह उत्पादन की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देगा। इस मामले पर खाद्यान्न जांच समिति ने सविस्तार विचार किया है, और उसने खाद्यान्न स्थायीकरण संस्था की स्थापना का सुझाव दिया है । मैं इससे सहमत हूं। इस से कृषि उत्पादन को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

इस संस्था का कार्य क्या होगा ? जब कीमतें गिर रही होंगी तो यह खरीदेगी और जब बढ़ रही होगी तो बेचेगी। इससे कीमतें स्थायी हो जायेंगी और किसान को उसका हक मिल जायेगा। शनैः शनैः खाद्यान्न सम्बन्धी सारा थोक व्यापार भी इसी संस्था के हाथ में आ जायेगा। हमने मिली जुली अर्थ व्यवस्था के सिद्यान्त को स्वीकार किया है। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भेद भाव नहीं रहना चाहिए। सभी जनता के क्षेत्र हैं। हालात ऐसे ही बन रहे हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्रों को भी [illegible] का हित सर्वोपरि रखना होगा। अब पुराने मुनाफाबाजी के तरीकों से नहीं चला जा सकता। कोई गैर-सरकारी उद्योग अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता उसे सरकार से कर्जे, रियायतों तथा अन्य कई प्रकार की सहायता के लिए मांग करनी ही पड़ती है। इस लिए हें केवल मुनाफे को ही लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, समाज के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों को अच्छी मजूरी भी देनी चाहिए।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हम अपने आधारभूत समाजवादी स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं ? हमारे संविधान में स्वीकृत न्याय, आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता के समानाधिकार की बातें बड़ी अच्छी हैं। परन्तु देखना यह है कि सामाजिक समानता की ओर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं ? संविधान के अनुसार सब को एक सा अवसर मिल सकता है। परन्तु केवल इस से ही सामाजिक समानता के युग का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। कांग्रेस को भी ऐसे विधान बनाने होंगे जिनके द्वारा सभी को एक जैसे अवसर प्राप्त हो सकें।

समान अवसरों की बात लीजिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र को ही लेता हूं। क्या आज उसे इस सिद्धान्त के आधार पर चलाया जा रहा है और सभी गरीब-अमीर को शिक्षा के एक जैसे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। हम समान अवसरों की बात कर रहे हैं, परन्तु कर कुछ भी नहीं रहे हैं। मैं समाजवादी समाज की विचार धारा में विश्वास रखता हूं, प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इस ध्येय को प्राप्त करने के मार्ग में जो भी रुकावटें आयेंगी उनका पूरी तरह मुकाबला किया जायेगा।

श्री म० प्र० मिश्र : संसार के जो देश आज खुश–किस्मत हैं, उनको अपनी तरक्की–अपना विकास—करने का तब मौका मिल गया, जब लोक-राज्य का सूर्य अपनी पूरी रोशनी से धरती पर नहीं उतरा था। हम एशियाई देशों का यह सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि हम मैदान में बहुत देर कर के आए हैं, और आए भी हैं, तो अपने साथ लोक-राज्य का पूरा सामान लिए हुए। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान ने एक और बड़ा काम किया है कि लोक-राज्य के सारे सामान रखते हुए उसने विकास की योजना के अनुसार विकास का रास्ता लिया है। इस रास्ते पर चलने वाला हिन्दुस्तान शायद पहला देश था। और देश भी अब इस रास्ते को अख्त्यार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान ने प्रजातंत्र यानी लोकराज के भीतर रहते हुए विकास योजनाओं को हाथ में लेना तय किया। इसके साथ ही पिछले सात-आठ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान ने जो उन्नति की है, जो प्रगति की है, जो आगे का रास्ता तय किया वह ऐसा जरूर है कि जिस पर हर हिन्दुस्तानी को चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी दल का हो, अभिमान होना चाहिए क्योंकि उसमें उसका भी हिस्सा है।

हमारे कुछ दोस्तों ने कल भी कहा और आज भी कहा कि यह योजना ऐसी है कि जो हमारी हैसियत से बहुत बाहर चली गई है। किसी ने कहा कि जो दूसरी योजना हमारी है वह पांच साल के बाद भी पूरी नहीं होगी। किसी ने कहा कि इसमें १५ प्रतिशत की कमी होगी और मेरे मित्र मसानी साहब ने कहा कि शायद २५ प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह उस योजना का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही साथ में यह भी कह देना चाहता हूं कि किसी योजना की सफलता, किसी योजना की कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम उस योजना के सभी निशानों तक पहुंचते हैं या नहीं, सभी टारगेटस को छू लेते हैं या नहीं या उससे भी आगे बढ़ जाते हैं या नहीं। ऐसी योजनाबाजी तो कम्युनिस्ट देशों में होती है। हमारे देश में, प्रजातंत्र में योजना की सच्ची सफलता इस बात में है कि हम समझें कि पांच बरस की मंजिल तय करने पर, हम ही नहीं समूची जाति, समूची कौम यह समझे कि हमने इस योजना में मिलकर पसीना बहाया है, हमने इस योजना को पूरा करने में मिलकर कोशिश की है, हमने इस यात्रा में मिलकर सुख-दुःख उठाये हैं।

लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस योजना में इसी चीज की कमी है फारेन एक्सचेंज की कमी उतनी बड़ी चीज नहीं है, देश के भीतर से पूंजी जुटाने की बात भी उतनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी यह चीज है, कि इस योजना ने अब तक देश में उतना उत्साह पैदा नहीं किया है जितना कि जनता के भीतर, मुख्तलिफ वर्गों के भीतर होना चाहिये था। अगर लोग यह कहते हैं कि योजना का प्रचार नहीं हुआ है तो यह बात भी गलत है। योजना का काफी प्रचार हुआ है और अकेले एक आदमी ने ही इस योजना का इतना प्रचार किया है कि कुछ ठिकाना नहीं। वह एक आदमी हैं हमारे प्रधान मंत्री। उनकी हर सांस में या तो योजना है या पंचशील। हर रोज लाखों आदमी उनको सुनते हैं या उनके दिए हुए भाषणों को पढ़ते हैं। केन्द्रीय सरकार ने, प्रान्तीय सरकारों ने, देश के अखबारों में, देश की दूसरी संस्थाओं ने, कांग्रेस ने सभी ने इस योजना का प्रचार करने के लिए काफी कुछ किया है और मैं आपसे कहता हूं कि आज इसका इतना प्रचार हो चुका है कि गांव का हलवाहा भी, खेती पर काम करने वाला भी एक शब्द जानने लग गया है और वह है "विकास" शब्द। लेकिन इसके साथ ही साथ वह यह भी पूछता है कि मेरे लिए क्या हो रहा है? दूसरे लोग भी यह जान गए हैं कि प्रधान मंत्री के हर सांस में योजना तो है जरूर लेकिन देश की जनता के सांस में योजना नहीं समा पाई है। इसका एक बड़ा कारण है। इस कारण को मैं अपने तरफ से न पेश करके अभी जो हमारे वित्त मंत्री थे, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, जिन्होंने बहुत बड़े टैक्स का बोझ मध्य वित्त वर्ग के लोगों पर लादा है, उनकी जबानी आपको बतलाना चाहता हूं। वह कहते हैं :—

> "ऐसा इस कारण हो सकता है कि जिस वर्ग से विद्वान लोग आते हैं उस वर्ग पर अधिक मूल्यों का अधिक असर पड़ा है जब कि आय में कोई परिवर्तन नहीं है। भारत के मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है और वही वर्ग जनता का विचारवान वर्ग समझा जाता है। संभव है हमने उनकी उपेक्षा की और उनकी समस्याओं को ठीक न समझा हो। संभव है जो सहायता उन्हें मिलनी थी, उसका वादा किया गया हो मगर जिसको पूरा नहीं किया गया हो।"

और वही कृष्णमाचारी साहब उन लोगों पर एक टैक्स लगा गए हैं जिनकी आमदनी २५० रुपया मासिक है और उस १९५७—५८ के साल मे लगा गए हैं जबकि चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं। अब उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। एक तरफ उनकी यह बुरी हालत और दूसरी तरफ यह टैक्स जो कि इस मध्य वित्त के

[श्री म० प्र० मिश्र]

लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, देना पड़ता है और उनके साथ यह गैर-इनसाफी और उसके बाद हम यह कहें कि हमारी योजना देश के लोगों में उत्साह पैदा नहीं करती है, तो यह दोनों बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं।

मेरे दोस्त श्री च० द० पांडे ने कहा कि अभी भी समय है कि इनकम टैक्स की यह जो हद है २५० की, उसे फिर पुरानी जगह पर पहुंचा दिया जाए यानी ४२०० या ४५०० तक। एक बात उन्होंने और कही। उसको मैं सिर्फ दौहरा देना चाहता हूं और वह है पढ़े लिखे लोगों की बेकारी की। उसकी तरफ भी हम इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान कि हमको देना चाहिए।

एक बहुत बड़ा और भी कारण है जिस की तरफ मैं आपका और इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां योजना आयोग के दिमाग में सिर्फ देश के शहर ही शहर हैं, देश के गांव नहीं हैं। वह उन गांवों की फिक्र नहीं करता है जहां पर हिन्दुस्तान के सात में से छः लोग रहते हैं और उन शहरों की फिक्र करता है जहां पर सात में से केवल एक आदमी ही रहता है। इन शहरों के लिए सब कुछ होता है। इसके बाद जब घबराहट पैदा होती है और यह पता लगता है कि क्या हो गया है, क्यों चीज ठीक नहीं हो रही है तब निदान खोजते समय पता लगता है कि हमने गांवों का तिरस्कार किया है और गांव का एक ही मतलब है और वह है गांव की खेती। इसके मानी हैं देश की खेती। पहली योजना में खेती को जो स्थान दिया गया था वह बड़ी अच्छी चीज थी और यही कारण है कि पहली योजना कामयाब हुई। यह नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि मैं औद्योगीकरण के विरुद्ध हूं। देश में उद्योगों की जरूरत है लेकिन उद्योग और खेती इस ढंग से इस देश में चलने चाहिये कि देश में संतुलन कायम रहे। देश में जब एमबैलेंस पैदा हुआ, जहां संतुलन टूटा वहां देश की प्रगति नहीं हो सकती। दूसरी योजना में यह गड़बड़ी पैदा हुई कि हमने उत्साह में आकर देश में उद्योगों को बढ़ावा देने की खातिर, उनको प्राथमिकता दे दी। उद्योग चाहियें, कारखानें चाहियें, लेकिन जरूरी नहीं कि रातोंरात वे हो जायें। इसमें समय लगेगा। हमने यह समझ लिया कि खेती की उपज इतनी बढ़ गई है कि शायद अब और अधिक आवश्यकता नहीं। अब फिर सरकार कोई दो चार दस महीनों से यह सोचने लगी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाए। नैशनल डिवेलेपमेंट काऊंसिल व प्लानिंग कमिशन में भी उसने इसके बारे में कुछ फैसले किये हैं। लेकिन होता क्या है? हम उसी वक्त देखने की कोशिश करते हैं, जब गड़बड़ पैदा होती है। यह तो उसी तरह से है कि एक आदमी का जब पेट खराब हो जाता है तो वह कहता है कि मैंने ज्यादा खा लिया और जब वह टीक हो जाता है तो फिर पुराने तरीके पर चलने लग जाता है। यह अपराधी की मनोवृत्ति है। वह अपराध करता है और जेल पहुंच जाता है तो सोचता है कि मैंने यह काम अच्छा नहीं किया और अब नहीं करूंगा लेकिन फिर जब बाहर आता है तो वही काम शुरू कर देता है।

आप देखें कि खेती के बारे में क्या हुआ है। हमारी इतनी बड़ी योजना है, और इतना ज्यादा रुपया हमारा खर्च हो रहा है लेकिन आप देखें कि चार सालों में खेती की क्या तरक्की हुई है। १६५३-५४ में ५८० लाख टन अनाज इस देश में पैदा हुआ यानी आज से चार पांच साल पहले। १६५४-५५ में वह हुआ ५५० लाख टन। १६५५-५६ में वह हुआ ५४० लाख टन और १६५६-५७ में ५७० लाख टन। इसका मतलब यह हुआ कि १६५५-५६ में पैदावार सबसे कम थी। १६५७-५८ के आंकड़े इसमें नहीं दिए गए हैं।

लेकिन यह बात सरकार ने मान ली है कि १९५७-५८ में १९५६-५७ के मुकाबले देश में खेती की उपज घटी है। यह जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की इकोनोमिक सर्वे की पुस्तिका है, इसके पेज २० पर लिखा है :—

"पिछले दो या तीन वर्षों में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि न होने के कारण भी आयोजना को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं। भारत की मूल्य-व्यवस्था में खाद्य-पदार्थों के मूल्यों का मुख्य स्थान है। खाद्य-पदार्थों के मूल्य जितने बढ़ते हैं शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों की धन बचाने की क्षमता में उतनी ही कमी होती है खाद्य पदार्थों के मूल्यों में जरा सी भी वृद्धि होने से माल को रोक रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कम आमदनी वाली अर्थ-व्यवस्था में खपत को समय रहते और आवश्यक हद तक सीमित करना कठिन हो रहा है। इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आयोजना में जो संशोधन किये जा रहे हैं उनमें खाद्य—उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये।"

लेकिन यह बात मानने से ही काम नहीं चलेगा। जब फारेन एक्सचेंज की कठिनाई आती है तब आप दूसरी चर्चा चलाते हैं। जब देश के भीतर ही रुपये की कमी होती है तो योजना में कुछ कमी करने की बात की जाती है अब योजना में कमी क्या करी जाये और उसके लिए कहा जाता है कि इतना तो कम से कम जरूर करो कि जो योजना की रीढ़ है, उसका जो कोर है वह बचा रह सके। सरकार बार २ यह कहती है कि योजना की रीढ़ लोहा, इस्पात और बिजली है लेकिन एक बार भी इसका नाम नहीं लेती कि इस योजना की रीढ़ की एक हड्डी कम से कम खेती भी है। अपनी कृषि की पैदावार में बढ़होत्री करके ही हम फारेन एक्सचेंज को रोक सकते हैं; आज हमारे देश का सबसे अधिक रुपया विदेशों से अनाज खरीदने में लग जाता है जो कि हम अपने देश में अन्न की पैदावार बढ़ा करके बचा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ४५, ४६ करोड़ रुपये साल की रूई भी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। पिछले सप्ताह हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो लिस्ट पढ़ी कि कौन २ सी चीजें कोर आफ दी प्लान मानी जा सकती हैं, उसमें उस चीज का जिससे कि खेती का गहरा ताल्लुक है वह चीज उसमें नहीं थी और वह है खाद के कारखाने, फर्टिलाइजर का नाम नहीं दिया गया। खेती की तरक्की के लिए इस देश में खाद के कारखाने खोलने की आवश्यकता है लेकिन वह न करके बाहर से खाद मंगाई जाती है। सरकार यहां पर खाद के कारखाने खोलने की स्वीकृति नहीं देती और उसके लिए आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि फारेन एक्सचेंज चाहिए। और बाहर से खाद मंगाने पर भी रोक लगती है। जब कृषि मंत्री से पूछा जाता है कि आप बाहर से खाद क्यों नहीं मंगाते हैं तो उनकी तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि हम क्या करें, वित्त मंत्रालय हमारे रास्ते में हायल है।

एक बात और उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान देने की है और वह यह है कि जब पहली योजना चल रही थी तब न सिर्फ केन्द्र में अपितु राज्यों में भी कृषि मंत्रालय सबसे चोटी के लोगों के हाथ में होते थे और सरकार उसको महत्व देती थी लेकिन जब दूसरी योजना में आकर हम लोग यह देखते हैं कि क्या केन्द्र और क्या सूबों में कृषि मंत्रालय का भार दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोगों के हाथों में दिया हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि जिनके हाथों में यह मंत्रालय हैं वे काबिल नहीं है और योग्य नहीं है लेकिन एक बात यह अवश्य होती है कि जब एक वजनदार लोगों के हाथ में यह मंत्रालय होते थे तो वे अपनी चीजें करा सकते थे और करा ले जाते थ। आज चूंकि वैसे लोग नहीं हैं इसलिए वह उस प्रकार नहीं करा सकते हैं और

[श्री म० प्र० मिश्र]

जिसका कि परिणाम यह होता है कि कभी तो उन्हें प्रधान मंत्री डांट देते हैं और कभी वित्त मंत्री डांट देते हैं। इस कारण आज हम कठिनाई में पड़ गये हैं लेकिन इसके अतिरिक्त एक कारण हमारी कठिनाई का और हो गया है और वह है औद्योगीकरण का नारा जिसकी कि रट हमारे कम्युनिस्ट भाई लगातार लगाये रहते हैं। अब हमारी सरकार पर कम्युनिस्ट भाइयों के नारों का बहुत असर होता है हालांकि वह उनको स्वीकार नहीं करती। सोशलिस्ट लोग जब कोई बात करते हैं तब सरकार पर उसका असर ज्यादा नहीं होता। इसका कारण यह है कि कम्युनिस्ट लोग जहर में बुझी हुई गोलियों के तीर चलाते हैं और मैं समझता हूं कि अगर सोशलिस्टों को वैसे ही गाली देनी आ जाये तो उनकी बात भी सुनी जा सकती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों की ओर से यह बराबर कहा जाता है कि कोर आफ दी प्लान में स्टील को रक्खो। पिछले अधिवेशन में डांगे साहब ने कहा था कि कम्युनिटी प्राजक्टस पर, गांवों पर और सड़कों पर रुपया खर्च न करके शहरों में बड़े बड़े कारखाने लगाये जाये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से हमारे देश की एकोनामी में अनबैलेंस पैदा हो जायेगा, देश में असन्तोष पैदा हो जायेगा, लेकिन हमारे वे कम्युनिस्ट भाई तो चाहते हैं कि ऐसा असन्तोष इस देश में पैदा हो जाये ताकि वे उस आग में अपने हाथ सेंक सकें और इसीलिए वे ऐसी बातें कहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इन नारों के भ्रम में न पड़े और फर्टिलाइजर्स खरीदने को उतना ही महत्व दिया जाय जितना कि इस्पात के कारखाने को दिया जाता है। हमें यह कहना चाहिए कि हमें इस्पात भी चाहिए और साथ ही गेहूं भी चाहिए और जब तक सरकार की तरफ से यह चीज नहीं कही जायेगी तब तक योजना सफल नहीं हो सकती है।

एक और मेरा निवेदन है। मुझे खुशी हुई कि अभी कल प्रधान मंत्री महोदय ने इस बात को कबूल किया कि यह जो आसमान का देवता है यह जब नाराज होता है तो खेती खराब हो जाती है लेकिन दुःख की बात है कि १० वर्ष हो गये, इस दस वर्ष में आसमान के देवताओं से हम कुछ भी राहत नहीं पा पाये। खेती की उपज बढ़ाने के लिए पानी चाहिए और सिचाई की उचित व्यवस्था चाहिए और चूंकि सिंचाई की हम अपने देश में उचित व्यवस्था नहीं कर सके इसीलिए सन् १६५४ से १६५८ में हम खेती की उपज १०० टन भी नहीं बढ़ा सके।

दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री महोदय जो कि सन् १६५१ में कहते थे कि इस देश में आबादी की समस्या नहीं है, इस देश में पापुलेशन की प्राब्लम नहीं है और यह देश ७०, ८० करोड़ की पापुलेशन को सम्हाल सकता है, मुझे आज उनके मुंह से यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि वे भी अब योजना कमिशन के तथ्यों के रास्ते यह मानने लग गये हैं कि इस देश की बढ़ती हुई आबादी उसकी बड़ी समस्या है और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या उसकी आबादी है। सरकार बराबर इसको कबूल करती है और योजना में भी इस बात को कहा गया है लेकिन सरकार इस चीज को बतलाने में झेंपती है और हम देखते हैं कि इस बढ़ती हुई आबादी की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए योजना कमिशन द्वारा इस मद में बहुत कम रुपया दिया गया है और जितना रुपया दिया भी जाता है वह पूरे का पूरा खर्च भी नहीं होता है न तो पहली योजना में हुआ और न इस दूसरी योजना में हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही कम्युनिस्ट हैं। सरकार के आलोचक इस बढ़ती हुई आबादी पर सरकार द्वारा नियंत्रण करने के विरुद्ध यह कहा करते थे कि पूंजीवादी लोग अपने सुख के लिए गरीबों की आबादी को कम करना चाहते हैं लेकिन

में सरकार से कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों की वह गाली तो उसी वक्त टूट गई जब कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार पूरी ताकत से और पूरे बल से फैमिली प्लानिंग और आबादी को बढ़ने से रोकने और कम करने का आन्दोलन चला रही है और ऐसी हालत में आपको इस काम को करने में क्या झेंप है। अब वे गाली नहीं दे सकेंगे और सरकार की इस सम्बन्ध में आलोचना करना बंद कर देंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गवर्नमेंट को और ज्यादा बल देना चाहिए ।

आखिर में मैं सिर्फ दो बातें कह कर समाप्त करूंगा। मेरा समय खत्म हो गया है। पहली बात तो यह है कि हमारी फौज पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है । यह खर्चा जरूर कम होना चाहिए । यह हमारी पंचशील की नीति के खिलाफ है । सारी दुनिया को तो हम यह कहते हैं कि शांति से रहो और सेना में होने वाले खर्चे को कम करो लेकिन आज किसी भी देश के सैनिक खर्च के अनुपात से हमारे देश का फौजी खर्च कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। वे देश जो कि लडाई के लिए चिल्लाते रहते हैं उन देशों से भी हमारा सैनिक खर्च किसी कदर कम नहीं है। इसी सम्बन्ध में एक बात और कहूंगा और बहुत धीमी आवाज में कहूंगा और वह है पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक। उसको लेकर हमारी तरफ से कोई घबड़ाहट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की हालत कोई अच्छी नहीं है। मुझे तरस आता है और मैं घबड़ाता हूं कि एक पड़ौसी मुल्क की हालत ऐसी बुरी है और इसलिए बुखार की हालत में वह आज मुब्तिला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि काश्मीर के मामले में सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति विशेष सख्ती का रुख अखत्यार करने की जरूरत नहीं है जो कि हम लोग कर रहे हैं।

आखिर में मैं एक शब्द अपने सूबे के बारे में और कहूंगा. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात आपने आखिर में रक्खी जब कि अब उसके लिए वक्त नहीं रह गया ।

श्री म० प्र० मिश्र : बस मैं खत्म किये देता हूं। हमारी बिहार गवर्नमेंट बरौनी में एक थर्मल पावर स्टेशन ५ करोड़ रुपये की लागत पर लगाने जा रही है लेकिन उसके लिए फारेन एक्सचेंज नहीं दिया गया और जब लिस्ट में उसका मैंने नाम नहीं देखा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। उत्तर बिहार में २ करोड़ लोग रहते हैं जब कि वहाँ पर सिर्फ ८ हजार किलोवाट बिजली पैदा होती है और वह भी डीजल से पैदा होती है। लेकिन यह ३० हजार किलोवाट की योजना, ५ करोड़ रुपये की जिसमें मुश्किल से २, ढाई करोड़ का फारेन एक्सचेंज लगेगा, वह नहीं दी जा रही है और यह वहां के २ करोड़ लोगों के साथ गैरइंसाफी है और यह चीज की जानी चाहिए ।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं समझता हूं कि हमें अपनी योजना को एक राष्ट्रीय कार्य समझना चाहिए और इसी आधार पर सभी दलों तथा सभी सदस्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि भारतीय नागरिक के रूप में इसका स्वागत करें । योजना में कमियाँ निकाली जा सकती हैं परन्तु हमें कमियां निकालने के बजाय उन्हें ठीक करके इसे सफल बनाना है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे प्रधान मंत्री जनता के दिलों में जितना उत्साह पैदा कर देते थे कि वह गुण उनका अब नष्ट प्रायः हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवराज]

गया है। मैं मानता हूं कि इसके कारण भी हैं जिनमें से पहला यह है कि सत्तारूढ़ दल ने इसको दलीय योजना मान लिया है। दूसरा कारण यह है कि जनता के मनोभाव कुछ ऐसे हो गये हैं कि वह इसको देश के कुछ क्षेत्रों के विकास का साधन मानने लगे हैं। तीसरे रूरकेला भिलाई तथा दुर्गापुर के विकास के कारण जनता यह भी समझने लगी है कि केवल नगरीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से जनता इस योजना में रुचि नहीं ले रही है।

अब राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व लीजिए। विभिन्न राज्य सरकारें यह समझती हैं कि इस योजना का भार केन्द्रीय सरकार पर है और हमें योजना की परियोजनाओं पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ राज्य समझते हैं कि कुछ राज्यों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। राज्यों में योजना के लिए आबंटित धनराशि का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री को जनता में उत्साह भरने का प्रयत्न करना चाहिए।

योजना के सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति आशा व्यक्त कर सकते हैं तथा कुछ निराशा। परन्तु मेरा तो यही मत है कि किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में न आकर हमें योजना को पूरी तरह फलीभूत बनाना चाहिए।

जिन दो चार समितियों का मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं यही कहता हूं कि सरकारी धन बड़े गैर जिम्मेदारी से व्यय किया जाता है। कितने ही स्थानों पर ऐसे पुर्जों तथा अन्य वस्तुओं का भांडार इकट्ठा कर लिया जाता है जो बेकार होती हैं। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार को इन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के प्रबन्ध का भार भारतीय असैनिक सेवा के कर्मचारियों को ही न सौंपे। इनका प्रबन्ध करने के लिए अन्य अनुभवी व्यक्ति भी मिल सकते हैं।

मैंने दूसरी बात यह देखी है कि परियोजनाओं पर जितना व्यय होता है उपबन्ध उससे अधिक राशियों का कर दिया जाता है। जिसका असर दूसरी परियोजनाओं पर बुरा पड़ता है और बाद में इसके लिए धन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है।

योजना के साथ-साथ शांति तथा व्यवस्था को ले लीजिए। सभी स्थानों पर शांति तथा व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति बार-बार कहते हैं कि धन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है।

हमारी ग्रामीण जनता के मन में भी यही भावना फैली हुई है कि उनकी उपेक्षा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार थोड़ा सा अपना ध्यान योजना पर से हटाकर इनकी ओर भी लगायेगी। कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह भावना फैली है कि ये तो केवल एक जाति विशेष अथवा समुदाय के लिए बनाई गई हैं। मैं चाहता हुं कि इन परियोजनाओं के प्रभारी प्रबन्धकों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि इन परियोजनाओं से समस्त जनता को लाभ हो।

गैर सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र आपस में एक दूसरे को एक दूसरे का प्रतिद्वन्दी समझते हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को अपनी योग्यता तथा अपने संसाधनों से योजना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बड़े परिश्रमी तथा ईमानदार व्यक्ति हैं और दोनों क्षेत्रों को

परस्पर सहयोग से कार्य करना चाहिए । इसके साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे सबके साथ उचित न्याय हो चाहे वह मालिक हो अथवा मजदूर हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री मेरी इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर): मैं तो समझता हूं कि समाजवादी समाज की नीति की घोषणा करके हम स्वयं अपने को धोखा दे रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं इसलिए अच्छा हो यदि हम अपनी योजना का स्वरूप बदल दें। आजकल आर्थिक नीति को देखने पर यह पता लगता है जो बेचारे गरीब हैं वह तो पिसते जाते हैं परन्तु जो धनवान हैं उनके पास धन की और वृद्धि होती जाती है। इसके आंकड़े बताना बेकार है क्योंकि सरकार का स्वयं का यह कथन है कि आंकड़े प्रायः गलत होते हैं । परन्तु हालत देखने पर यही पता लगता है कि गरीब जनता पिस रही है।

यह कहा जाता है कि हमारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु दूसरी ओर मुद्रास्फीति के ६ प्रतिशत की वृद्धि बताई जाती है। और इस प्रकार पता लगता है कि कोई विकास अथवा संपन्नता नहीं मिली है। मैं तो समझता हूं कि जनता की क्रयशक्ति के आधार पर उसकी संपन्नता का अंकन किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार सभा को इसके बारे में बताये क्योंकि निम्न मध्यवर्ग की हालत ऐसी है कि उसे एक वक्त भी खाना नहीं मिल पाता। केवल कागजों पर यह लिखा जाता है कि देश की संपन्नता बढ़ रही है। हम कुछ इस्पात संयंत्र, कुछ नदी घाटी परियोजनायें बना सकते हैं परन्तु यह हमारी योजना की सफलता नहीं है। हमारी वास्तविक सफलता यह होगी कि जनता को क्रयशक्ति का परिवर्द्धन हो।

सब यही कहते हैं कि हमारी योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि उत्पादन है। परन्तु बड़े खेद की बात है कि इसकी ही सबसे अधिक उपेक्षा की गई है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि भू-नीति की अनिश्चितता को हटाने का प्रयत्न करें। इसके लिए यदि संविधान में संशोधन आवश्यक हो तो उसमें भी संशोधन कर लिया जाये।

जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते रहते हैं हमारे देश का मुख्य धन पशुधन है। और जब तक पशुओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जायेगा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसानों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के साधन दिए जायें तो वह उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं । इसलिए सरकार को छोटे-छोटे किसानों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जनता में समुचित प्रचार किया जाना चाहिए जिससे उनको प्रशिक्षित किया जा सके।

भ्रष्टाचार के बारे में सभी लोग बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। इसी के कारण सरकार को आयकर आदि नहीं मिल पाता है। इसको किस प्रकार रोका जाये यही बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। मैं समझता हूं कि यदि मूंदड़ा जैसे व्यक्तियों के साथ सौदे बाजी करने को प्रोत्साहन दिया जायेगा तो यह बात बड़ी अनुचित होगी । मैंने यह बात इसलिए कही है क्योंकि यह सुना है कि सरकार ने मूंदड़ा की मदद करने के लिए ऐसा किया था।

अन्त में मुझे यही कहना है कि हमें मुद्रा स्फीति आदि को हटाने के लिये जनता की क्रयशक्ति बढ़ानी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं सरकार उन पर ध्यान देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हमने श्री मसानी द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आलोचना सुनी। उन्होंने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के मामले स्पष्टतया बताये और यह प्रयत्न किया कि हम यह स्वीकार कर लें कि हमारी योजना असफल रही है।

यह सब सच है कि इस सभा के अधिकांश सदस्य इस योजना की सफलता चाहते हैं, और इस पिछड़े हुये देश के लिये योजना लक्ष्य अधिक महत्वाकांक्षी नहीं माने जा सकते हैं और इसीलिये समस्त राष्ट्र को इस योजना की सफलता के लिये यत्न करना चाहिये। साथ ही साथ हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि योजना के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को अलग हटाया जा सके।

ऐसा मालूम होता है कि श्री मिश्र का विचार है कि कृषि की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि हम मूल उद्योगों के पक्षपाती तो हैं हीं परन्तु साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि इस देश को अधिकांश जनता किसान है। हमारी सफलता कच्चे माल पर आधारित है और इस सम्बन्ध में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उद्योगों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध हो। क्योंकि जिस देश का सहारा औद्योगिक कच्ची सामग्री हो उसके लिये यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री के भाषण में इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं थोक के भाव के अखिल भारतीय अनुक्रम संख्या देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि निर्माण कर्त्ताओं ने अपने मूल्य स्थिर रखे परन्तु औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य नवम्बर, १९५६ में ११८ के और १९५७ में ११६ हो गये। केरल से सबसे अधिक कच्चे माल का निर्यात होता है और वहां ये आंकड़े देखने पर मालूम होता है काली मिर्च के आंकड़े जनवरी १९५७ में ११७ थे जो जनवरी १९५८ में ५९ हो गये। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं जैसे अदरक, अगिया घास, तेल आदि के आंकड़ों का भी यही हाल रहा। और इसीलिये जब हमने रिज़र्व बैंक के प्रतिवेदन को पढ़ा तो पता लगा कि निर्यात १९५७ में ८२ करोड़ रुपये का था अब २१ करोड़ रुपये कम हो गये हैं। चाय का भी यही हाल है और इस प्रकार २० करोड़ रुपये का नुकसान चाय में रहा। ऐसा रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन में कहा गया है। वनस्पति घी आदि सभी चीजें अमेरिका को कम निर्यात होने लगी हैं। केवल लौह अयस्क और मैंगानीज़ अयस्क का निर्यात स्थिर है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिये।

अक्तूबर १९५७ के टाइम्स में मिस्टर निकोलस कोल्डोर का एक पत्र छपा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जितना माल एक अविकसित देश निर्यात करता है उससे कम औद्योगिक वस्तुओं का वह आयात करता है जिससे पता लगता है कि इन देशों में विनिमय मुद्रा की कमी है। और इनके विकास कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अतः हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि एक वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी कमी हो जाने पर अविकसित देशों में करोड़ों डालरों की कमी हो जाती है।

हमें इस उद्धरण पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारा विकास हमारी निर्यात आय पर ही निर्भर है। मैं मानती हूं कि निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् ने बड़ा सुन्दर काम किया है परन्तु हमें इस के लिये अपनी नीति में भी कुछ सुधार करना चाहिये। दूसरे राज्य व्यापार को अन्य वस्तुओं का व्यापार भी अपने हाथ में लेना चाहिये जिससे चाय, काफी तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल में ही इकफे की बैठक में जापान ने अन्तर क्षेत्रीय व्यापार के विकास की बात कही उस समय भारत ने इसका समर्थन किया था। मैं भी समझती हूं कि अविकसित देशों को अपने विकास के लिये ऐसा करना उचित है ।

बांडुंग सम्मेलन के राजनैतिक सिद्धान्त तो फलीभूत होने लगे परन्तु आर्थिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। यही विचार काहिरा सम्मेलन में व्यक्त किये गये जिनका बड़ा समर्थन हुआ ।

मैं तो मूल्य नीति को बहुत महत्वपूर्ण समझती हूं। इसका ही प्रभाव खाद्यान्नों के मूल्य पर पड़ा है और मूल्य बढ़ गये हैं। उद्योगपतियों को बहुत लाभ हो रहा है । क्योंकि निर्मित वस्तुओं के दाम वही हैं। इसलिये मेरा कथन है कि प्रत्यक्ष कर का भार उद्योगपतियों पर ही डाला जाना चाहिये ।

मेरी दूसरी बात यह है कि खाद्यान्नों के मूल्य की वृद्धि का प्रश्न अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा रहन-सहन के मूल्य की वृद्धि से संबंद्ध है । इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ न कह कर इतना कहना चाहती हूं कि यदि उपभोक्ता मूल्य अनुक्रम की तुलना अखिल भारतीय जीवन अनुक्रम से की जाये तो पता लगता है कि जीवन अनुक्रम खाद्यान्न के मूल्य कम करने पर ही कम होंगे। खाद्यान्नों में गेहूं का आयात किया जा रहा है। इसलिये मूल्य स्थिर हैं परन्तु चावल खाने वाले क्षेत्रों में बहुत कठिनाई हो रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १३ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १२ मार्च, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२११९—४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
८८३	टैक्निकल शिक्षा	२११९—२१
८८४	दिल्ली में बेघरों के लिये मकान . . .	२१२१–२२
८८५	तेल और प्राकृतिक गैस नियम . . .	२१२२
८८६	उत्तुंग गवेषणा केन्द्र	२१२३
८८७	पंजाब विश्वविद्यालय	२१२४–२५
८८८	जीवन बीमा निगम	२१२५—२८
८८९	युद्ध-सामग्री कारखाना, मुरादनगर . . .	२१२८
८९२	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड . .	२१२९–३०
८९३	खनिज निक्षेप	२१३०–३१
८९४	दशमलव सिक्के	२१३२–३३
८९५	तेल के नये कुओं का पता लगना . . .	२१३३–३४
८९६	अमृत बाजार पत्रिका का मनीपुर परिशिष्टांक . .	२१३४–३५
८९७	फ़ेरो मेंगनीज़ संयंत्र	२१३५–३६
८९८	शिक्षा का आयोजन . . .	२१३६–३७
८९९	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	२१३७
९००	सर्व सेवा संघ . . .	२१३८–३९
९०२	हिमाचल प्रदेश का मन्दिर . . .	२१३९
९०३	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चे . . .	२१३९—४१
९०४	अन्तर्राज्यिक सीमा विवाद . . .	२१४१–४२
९०५	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा	२१४३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२१४३—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९०	भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियां .	२१४३
८९१	पोरबिलिया कोयला खान . .	२१४३–४४
९०१	सरकारी निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्ति	२१४४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९०६	मनीपुर में कबायलियों का हमला . . .	२१४४
९०७	चूने के पत्थर और संगमरमर के निक्षेप . .	२१४४–४५
९०८	सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा . .	२१४५
९०९	अखिल भारतीय शहीद स्मारक . .	२१४५
९१०	उत्तरी उच्च तर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर .	२१४५
९११.	कोयला उत्पादन की लागत का ब्यौरा .	२१४६
९१२	विमान वाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) .	२१४६
९१३	'कन्टेम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर' . .	२१४६
९१४	भारतीय नौसेना . .	२१४६
९१५	चीनी सैनिक शिष्टमंडल . . .	२१४७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११८५	बुद्ध जयन्ती . . .	२१४७
११८६	प्रौढ़ शिक्षा . . .	२१४८
११८७	जन सम्पर्क सप्ताह	२१४८–४९
११८८	हैलीकोप्टर्स	२१४९
११८९	अल्प बचत	२१४९–५०
११९०	बूहजंग गवर्नमेंट हाई स्कूल, अगरताला . . .	२१५०
११९१	खनन के पट्टे	२१५१
११९२	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग . . .	२१५१
११९३	पंजाब में पोस्त काश्त	२१५१
११९४	राजस्थान से सम्पदा शुल्क	२१५२
११९५	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का कल्याण	२१५२–५३
११९६	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों के लिये आवास	२१५३
११९७	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में वार्धक्य निवृत्ति प्राप्त कर्मचारी	२१५३
११९८	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पदोन्नति .	२१५३–५४
११९९	बम्बई में स्मारक . . .	२१५४
१२००	दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने का तस्कर व्यापार . .	२१५४
१२०१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	२१५४
१२०२	लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ का उल्लंघन .	२१५५
१२०३	राष्ट्रीय मानचित्रावली (नेशनल एटलस)	२१५५–५६

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२०४	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् . .	२१५६
१२०५	मद्रास के बहुप्रयोजनीय स्कूल . . .	२१५६
१२०६	दिल्ली में दीवानी और फौजदारी मामले . .	२१५६
१२०७	प्रतिरक्षा सेनायें	२१५७
१२०८	जनता पालिसियां . . .	२१५७
१२०९	मंत्रालयों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन . .	२१५७
१२१०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	२१५७
१२११	एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति . . .	२१५८
१२१२	जीवन बीमा निगम के विनियोग . . .	२१५८–५९
१२१३	पंजाब में खनिज पदार्थ	२१५९
१२१४	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां	२१५९
१२१५	पंजाब में स्मारक . .	२१६०
१२१६	दाक्षिण केरल कुटुम्बी महा न सभा .	२१६०
१२१७	आई० सी० एस० अफसर	२१६०
१२१८	प्रतिरक्षा लेखा विभाग	२१६१
१२१९	असिस्टेंट .	२१६१
१२२०	निर्वाचन याचिकायें	२१६२
स्थगन प्रस्ताव		२१६२
अध्यक्ष ने दिल्ली में पुलिस की हवालात में एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव, जिसकी सूचना श्री ब्रज राज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२१६२–६३
निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—		
(१) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचना की एक-एक प्रतिः—		
(एक) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ६२, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।		
(दो) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपीयन सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६३, दिनांक १ मार्च, १९५८		
(तीन) भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६४, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ६५, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(पांच) भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या ६६, दिनांक १ मार्च, १९५८ ।

(२) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८३, दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(३) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८४ दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(४) सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५ दिनांक १८ जनवरी, १९५८ में प्रकाशित रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

विधेयक पारित २१६५–६७

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

सामान्य आय-व्ययक १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २१६७–९७

१९५८–५९ के सामान्य आयव्ययक पर अग्रेतर चर्चा जारी रही ।

गुरुवार, १३ मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प । सामान्य आय-व्ययक १९५८–५९— और संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।